BHARAT
KE
NIYA-
NTRAK-
MAHALE-
KHAPA-
RIKSHAK
KEE
REPORT

1969-70

336.54
B 469

N.A.I.L.

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY.

GOVERNMENT OF INDIA

NEW DELHI.

Call No. 336.54

Book No. B 469

Acc No - 120039

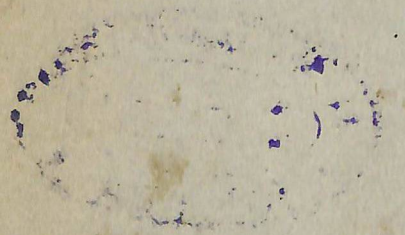

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1969-70

केन्द्रीय सरकार

(सिविल)

३३८.५४
९४६१

मैंने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की गई इस रिपोर्ट को देखा है और मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तुत पाठ अंग्रेजी पाठ के अनुरूप है ।

(का० प्र० मिश्र)
निदेशक,
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,
(गृह मंत्रालय)

विषय-सूची

		पैरा	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
पहला अध्याय	सामान्य	1–21	1–24
दूसरा अध्याय	विनियोजन लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण	22–26	25–32
तीसरा अध्याय	व्यय–सिविल विभाग		
	शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय	27–29	33–37
	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	30	37–38
	गृह मंत्रालय	31	38
	औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय	32	38–39
	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	33–34	39–41
	श्रम, रोज़गार और पुनर्वास मंत्रालय	35	41–43
	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	36–37	43–45
	योजना आयोग	38	45–47
	विविध अनियमितताएं	39	47
चौथा अध्याय	निर्माण-कार्य व्यय	40–50	48–55
पांचवां अध्याय	सामान की खरीद	51–58	56–66
छठा अध्याय	सहायक अनुदान		
	सामान्य	59	67–69
	शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय	60–62	70–74
	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	63–64	75–78
	गृह मंत्रालय	65–68	79–81
	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	69	81–82
सातवां अध्याय	कर्जे और पेशगियां	70–71	83–94
आठवां अध्याय	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम	72–75	95–127
नवां अध्याय	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियां और निरीक्षण रिपोर्टें	76–77	128–133

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट I	विविध अनियमितताओं, हानियों आदि का विवरण	134–137
परिशिष्ट II	मुख्य निवेश और लाभांश	138–139
परिशिष्ट III	राज्य सरकारों और एक स्वायत्त निकाय को दिए गए क़र्जे जिनके लिए शर्तें 31 मार्च, 1970 तक तय नहीं की गई थीं	140
परिशिष्ट IV	राज्य सरकारों से इतर अन्य पार्टियों को दिये गए कर्जों और पेशगियों की वसूली का बकाया	141–146
परिशिष्ट V	पूरक अनुदानों/विनियोजनों के उपयोग की सीमा	147–150
परिशिष्ट VI	दत्तमत अनुदानों के अधीन बचतें	151–152
परिशिष्ट VII	मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं अथवा निकायों (विधिक निकायों के अतिरिक्त) और व्यक्तियों को दिये गये अनुदान	153
परिशिष्ट VIII	विद्युत विभाग, अंडमान द्वीप समूह–सरल प्रोफार्मा लेखे	154–155
परिशिष्ट IX	आकाशवाणी सरल प्रोफार्मा लेखे	156–160

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

इस संकलन में मुख्यत: 1969–70 के केन्द्रीय सरकार के विनियोजन लेखों से संबंधित मामलों (जिसका पृथक संकलन प्रकाशित किया गया है) तथा सिविल विभाग द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा से उत्पन्न अन्य बातों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें निम्नलिखित विषय भी शामिल हैं :—

(i) 1969–70 के वित्त लेखों से संबंधित कुछ उल्लेखनीय विषय, और

(ii) कुछ विधिक और स्वायत्त निकायों से संबंधित मामले, भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा जिनके लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है।

रिपोर्ट में जिन वित्तीय अनियमितताओं, हानियों आदि पर टिप्पणी की गई है वे ऐसे मामलों से संबंधित है जो कि 1969–70 के दौरान लेखापरीक्षा विभाग के ध्यान में आई तथा पूर्ववर्ती वर्षों में जो ध्यान में तो आई किन्तु पिछली रिपोर्टों में जिन्हें शामिल नहीं किया जा सका। 1969–70 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां पर आवश्यक समझा गया, शामिल कर लिया गया है।

इस रिपोर्ट में उन बातों की ओर संकेत किया गया है जो कि मंत्रालयों/विभागों के लेखों की जांच लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई। जिन बातों को सामने लाया गया है उनका आशय यह नहीं है और न ही उनका यह अर्थ लगाया जाए कि उनके द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकारियों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का आक्षेप व्यक्त किया गया है।

पहला अध्याय

1—सामान्य

1969–70 के दौरान मूल बजट प्राक्कलन और राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़े तथा इस अवधि के दौरान राजस्व से किया गया व्यय और पूंजीगत लेखे पर व्यय, पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ, नीचे दिखाया गया है :—

		बजट	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
			(करोड़ रुपयों में)		
राजस्व प्राप्तियां*	1967-68	@2989.57	2820.15	−169.42	−5.7
	1968-69	@3027.30	3084.07	+56.77	+1.9
	1969-70	@3322.21	3388.54	+66.33	+2.0
राजस्व से किया गया व्यय	1967-68	@2686.06	2715.92	+29.86	+1.1
	1968-69	@2896.38	3003.11	+106.73	+3.7
	1969-70	@3262.33	3263.37	+1.04	—
पूंजीगत लेखे पर व्यय	1967-68	933.58	816.60	−116.98	−12.5
	1968-69	761.48	427.91	−333.57	−43.8
	1969-70	769.58	648.44	−121.14	−15.7

---

*राज्यों को आय पर कर और सम्पदा शुल्क से प्राप्त विभाज्य आय में उनके भाग के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं जिन्हें राजस्व प्राप्तियों में कमी के रूप में लिया जाता है। तीन वर्षों के दौरान राज्यों को की गई ऐसी अदायगियां इस प्रकार थीं :—

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
आय पर कर	174.52	194.51	293.18
सम्पदा शुल्क	6.55	5.54	6.98

@राजस्व प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन में 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के क्रमशः 18.16 करोड़ रुपए, 6.84 करोड़ रुपए और 23.52 करोड़ रुपए शामिल हैं जो कि बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राज्यों को संघ उत्पादशुल्क के लिए देय थे और जिन्हें राजस्व में कमी के रूप में लिया गया था किन्तु व्यय के मामले में, बजट प्राक्कलनों के आंकड़ों में यह तत्व शामिल नहीं था।

1969–70 के दौरान राजस्व से किया गया व्यय लगभग बजट प्राक्कलनों के बराबर था किन्तु राजस्व प्राप्तियां बजट प्राक्कलनों से 66 करोड़ रुपए अधिक थीं तथा पूंजीगत लेखे पर व्यय बजट प्राक्कलनों से 121 करोड़ रुपए अधिक था ।

वर्ष के दौरान व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किया गया जिसका उद्देश्य राजस्व से किए गए व्यय के उपरोक्त प्राक्कलनों तथा पूंजीगत लेखे पर व्यय को क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए बढ़ाना था ।

राजस्व प्राप्तियों के और अधिक ब्यौरे मेरी राजस्व प्राप्तियों की रिपोर्ट में दिए गए हैं ।

II–कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत)

2. निम्नलिखित सारणी में 1969-70 के दौरान ब्यौरेवार शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व लेखे पर व्यय की तुलना उसके अन्तर्गत निधियों की व्यवस्था से की गई है :–

व्यय शीर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	अंतर
	(करोड़ रुपयों में)		
करों और शुल्कों की वसूली	44.59	41.79	−2.80
ऋण सेवाएं	568.82	564.87	−3.95
प्रशासकीय सेवाएं	164.83	174.97	+10.14
समाज और विकास सेवाएं	272.33	258.62	−13.71
बहूद्देशीय नदी योजनाएं	4.39	4.01	−0.38
लोक-निर्माण	37.93	33.06	−4.87
परिवहन और संचार	17.33	19.72	+2.39
सिक्का और टकसाल	26.44	26.17	−0.27
विविध	226.69	248.22	+21.53
अंशदान और विविध समायोजन (इसमें मुख्यतः (क) राज्यों को उनके संघ उत्पाद शुल्क के भाग की अदायगी और (ख) राज्यों और संघ शासित सरकारों का सहायता अनुदान शामिल है)	907.31	920.49	+13.18
असाधारण मदें	5.89	5.82	−0.07
रक्षा सेवाएं	985.78	965.63	−20.15
जोड़	3262.33	3263.37	+1.04

3. पिछले दो वर्षों की तुलना में 1969-70 के दौरान व्यय नीचे दिखाया गया है : –

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
करों और शुल्कों की वसूली	35. 19	38. 69	41. 79
ऋण सेवाएं	501. 62	528. 02	564. 87
प्रशासकीय सेवाएं	136. 48	153. 52	174. 97
समाज और विकास सेवाएं	219. 07	234. 23	258. 62
बहुउद्देशीय नदी योजनाएं	3. 34	2. 14	4. 01
लोक निर्माण	23. 87	34. 05	33. 06
परिवहन और संचार	16. 25	14. 43	19. 72
सिक्का और टकसाल	22. 79	24. 31	26. 17
विविध	172. 07	197. 47	248. 22
अंशदान और विविध समायोजन	714. 12	835. 59	920. 49
असाधारण मदें	8. 91	11. 61	5. 82
रक्षा सेवाएं	862. 21	929. 05	965. 63

4. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित कुछ शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में अन्तर का विश्लेषण नीचे दिया गया है :–

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
(क) करों और शुल्कों की वसूली :			
सीमा शुल्क	5. 61	6. 78	7. 82
संघ उत्पाद शुल्क	12. 28	12. 84	12. 78
निगम कर	2. 34	2. 68	3. 15
आय पर कर	9. 36	10. 72	12. 62
अन्य शीर्ष	5. 60	5. 67	5. 42
जोड़	35. 19	38. 69	41. 79

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
(ख) प्रशासकीय सेवाएं :			
सामान्य प्रशासन	30. 40	27. 98	27. 46
पुलिस	61. 27	72. 60	86. 16

वृद्धि मुख्यतः दिल्ली पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार (i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की अतिरिक्त बटालियन बनाए जाने और (ii) अतिरिक्त पदों और गाड़ियों की संस्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुई ।

विदेश मामले	13. 07	14. 12	18. 95

वृद्धि मुख्यतः इस शीर्ष के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन शीर्ष से विदेश मंत्रालय के विवेकाधीन व्यय के अन्तरण के कारण हुई ।

विविध विभाग	5. 65	11. 14	11. 59
अन्य शीर्ष	26. 09	27. 68	30. 81
जोड़	136. 48	153. 52	174. 97
(ग) समाज और विकास सेवाएं :			
विज्ञान विभाग	50. 28	54. 02	59. 56

वृद्धि मुख्यतः विज्ञान समितियों और संस्थाओं को अधिक सहायता अनुदान दिए जान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और संपदा प्रबंधों पर अतिरिक्त व्यय किए जाने के कारण हुई ।

शिक्षा	61. 94	68. 87	76. 99

वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय स्वस्थता कोर तथा हिन्दी और राज्य भाषाओं के विकास पर अधिक व्यय के कारण हुई ।

चिकित्सा	12.95	14.03	15.05
लोक स्वास्थ्य	6.11	7.61	9.03
कृषि	16.21	17.93	18.69
सहकारिता	5.07	2.25	2.22
उद्योग	28.14	29.52	31.55

वृद्धि मुख्यतः सूती कपड़ा मिलों को प्रोत्साहन की अदायगी के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था किए जाने तथा वर्षा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नमक लाइसेंसधारियों के लिए अधिक धन व्यवस्था किए जाने के कारण हुई ।

	1967–68	1968–69	1969–70
		(करोड़ रुपयों में)	
प्रसारण	8.31	9.78	10.64
सामुदायिक विकास	0.42	0.34	0.44
श्रम और रोजगार	9.90	10.09	10.42
विविध समाज और विकास संगठन	18.17	17.88	21.71

वृद्धि मुख्यतः विदेशों में प्रदर्शन कमरों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों पर अधिक व्यय किए जाने तथा 1971 में जनगणना से संबंधित प्रारम्भिक कार्यों की गणना, सार और संकलन पर अधिक व्यय के कारण हुई ।

अन्य	1.57	1.91	2.32
जोड़	219.07	234.23	258.62

ऊपर (ग) पर दिखाए गए व्यय में विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को दिया गया सहायता अनुदान शामिल नहीं है, तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऐसे अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

विज्ञान विभाग	4.43	4.07	..
शिक्षा	26.37	34.57	9.20
चिकित्सा	2.62	4.44	..
लोक स्वास्थ्य	34.38	41.13	55.14
कृषि	47.01	48.53	10.96
सहकारिता	4.46	5.16	1.82
उद्योग	3.78	3.69	0.16
सामुदायिक विकास	14.35	10.82	2.61
श्रम और रोजगार	8.61	8.34	3.01
अन्य	11.29	9.41	2.20
जोड़	157.30	170.16	85.10

	1967-68	1968-69	1969-70
	(करोड़ रुपयों में)		

उपरोक्त अनुदानों को ध्यान में रखते हुए 1969–70 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान समाज और विकास सेवाओं पर क्रमशः 376.37 करोड़ रुपए, 404.39 करोड़ रुपए और 343.73 करोड़ रुपए व्यय हुआ ।

(घ) लोक निर्माणकार्य	23.87	34.05	33.06
(ङ) अंशदान और विविध समायोजन–			
राज्यों को संघ उत्पाद शुल्क के उनके भाग की अदायगियां	234.64	290.93	321.50
राज्य सरकार और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान––			
(i) उपरोक्त (ग) के अनुसार अनुदान	157.30	170.16	85.10
(ii) संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन	149.26	150.06	162.93
वृद्धि मुख्यतः पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुई :––			
(iii) रेलवे यात्री भाड़ों पर कर के एवज में अनुदान	16.16	16.12	16.29
(iv) दैवी विपत्ति के लिए सहायता	24.00	12.00	24.47
(v) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए	6.52	10.44	2.17
(vi) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए	5.90	3.79	3.20
(vii) अन्य विविध अनुदान	73.26	121.16	234.91
संघशासित क्षेत्रों को सरकारों को, अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपरोक्त (i) में शामिल तत्व को छोड़कर	40.90	51.97	59.25
अन्य मदें	6.18	8.96	10.67
जोड़	714.12	835.59	920.49
(च) असाधारण मदें :			
असाधारण प्रभार	4.19	5.06	5.81

इसमें सिंधु जल संधि के अन्तर्गत अदायगियों का पुरांकन शामिल है जिसे मूलतः पूंजीगत व्यय मान कर 15 वर्षों से अधिक समय से राजस्व में पुरांकित किया जाता रहा है ।

विभाजन पूर्व अदायगियां	0.07	0.02	0.01
राष्ट्रीय आपात से संबंधित व्यय	4.65	6.53	–
जोड़	8.91	11.61	5.82

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
(छ) अन्य शीर्ष :			
परिवहन और संचार	16.25	14.43	19.72
सिक्का और टकसाल	22.79	24.31	26.17
भारतीय शासकों के प्रिवीपर्स और भत्ते	4.81	4.80	4.79
पेंशन और अन्य निवृत्ति लाभ	6.84	7.17	8.11
लेखन सामग्री और मुद्रण	5.77	5.80	5.81
सहायता अनुदान आदि (राज्य और संघशासित क्षेत्र सरकारों के अलावा)	32.77	26.17	33.84
विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	14.25	10.46	9.61
खाद्यान्न की खरीद पर व्यापार संबंधी हानियां/ अमरीकन कर्जा गेहूं की बिक्री पर हानि	22.53	19.71	20.19
विविध और अदृष्ट प्रभार	27.96	41.30	59.11
पणन विकास योजनाएं और पणन विकास निधि को अंतरण	22.70	38.48	52.32
अन्य	34.44	43.58	54.44
जोड़	211.11	236.21	294.11

5. 1969-70 के दौरान बजट प्राक्कलन की तुलना में पूंजीगत लेखे पर व्यय में 121.14 करोड़ रुपए की कमी मुख्यत: निम्नलिखित के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
	रु०	रु०	रु०
		(करोड़ रुपयों में)	
औद्योगिक और आर्थिक विकास	332.67	302.77	29.90
मुख्यत: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और अन्य विभागों तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में कम निवेश किए जाने के कारण हुई।			
बहूद्देशीय नदी योजनाएं	20.51	15.65	4.86
मुख्यत: फरक्का और जंजीपुर बराज और इंजीनियरिंग संग्रहालय के कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।			
लोक निर्माण कार्य	56.00	39.85	16.15

शीर्ष	बजट प्राक्कलन रु०	वास्तविक व्यय रु०	बचत रु०
		(करोड़ रुपयों में)	
व्यय में कमी मुख्यत: सीमा सड़क कार्यक्रम से संबंधित कुछ निर्माण कार्यों की दुबारा अनुसूची तैयार किए जाने तथा उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति में देरी हो जाने के कारण हुई ।			
विकास के लिए अनुदान	6.28	2.11	4.17
व्यय में कमी मुख्यत: सड़कों पर कम व्यय होने के कारण हुई।			
रेलवे पूंजीगत परिव्यय	132.60	94.29	38.31

6. निम्नलिखित सारणी 31 मार्च 1970 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत लेखे पर व्यय तथा 1969-70 तक प्रगामी पूंजीगत परिव्यय को दिखाती है ।

	1967–68	1968–69	1969–70	1969–70 के अंत तक कुल पूंजीगत परिव्यय
			(करोड़ रुपयों में)	
सरकारी व्यापार की योजनाएं :				
सकल व्यय	818.67	606.29	257.81	7500.89
घटाएं-प्राप्तियां और वसूलियां आदि	739.15	795.61	286.97	7467.58
निवल व्यय	79.52	−189.32	−29.16	33.31

इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी व्यापार की विभिन्न योजनाओं की निवल अदायगियों का अभिलेख रखा जाता है, वर्ष के दौरान मुख्य योजनाएं इस प्रकार थीं : खाद्यान्न की खरीद , उर्वरकों की खरीद, मैडिकल स्टोर डिपो और फैक्टरी, दिल्ली दुग्ध योजना तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा खाद्यान्न की खरीद 1969–70 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान दो मुख्य व्यापार योजनाओं पर सकल व्यय और उनकी प्राप्तियां इस प्रकार थीं :

(क) खाद्यान्न की खरीद –

सकल व्यय	572.04	374.08	76.85
घटाएं प्राप्तियां आदि	499.09	488.09	116.57
घटाएं ऐसे खाद्यान्न की खरीद पर व्यापार संबंधी हानियां जिसे राजस्व में बट्टे खाते डाला गया	22.53	19.71	20.19

	1967-68	1968-69	1969-70	1969-70 के अंत तक कुल पूंजीगत परिव्यय
(ख) उर्वरकों की खरीद---			(करोड़ रुपयों में)	
सकल व्यय	219. 93	202. 47	148. 42	
घटाएं- प्राप्तियां आदि	189. 57	259. 59	118. 01	
औद्योगिक और आर्थिक विकास (पैरा 7 भी देखें)	178. 45	239. 43	302. 77	2358. 98
कृषि सुधार और अनुसंधान	0. 59	1. 31	1. 27	29. 95
दंडकारण्य विकास योजना	3. 03	3. 28	2. 94	39. 06
पत्तन	2. 29	3. 13	4. 98	58. 45
लोक निर्माण कार्य	42. 77	38. 85	39. 85	600. 28
इस शीर्ष के अन्तर्गत सड़कों पर पूंजीगत व्यय जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमा सड़कें भी शामिल हैं, विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण और दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भवनों का निर्माण शामिल हैं ।				
बहूद्देशीय नदी योजनाएं	16. 50	20. 22	15. 65	151. 98
दिल्ली पूंजीगत परिव्यय	5. 81	7. 03	13. 81	138. 69
इस शीर्ष के अन्तर्गत दिल्ली में भवनों की निर्माण की लागत तथा बड़े पैमाने पर अर्जन, दिल्ली में भूमि का विकास और निपटान संबंधी व्यय शामिल है ।				
विमानन	3. 62	8. 59	6. 96	68. 32
सिक्का और सिक्का ढलाई	13. 68	13. 42	4. 85	700. 43
विकास के लिए अनुदान	36. 01	17. 01	2. 11	343. 10
रेलवे	135. 93	121. 47	94. 29	3187. 19
डाक-तार	26. 44	26. 72	33. 38	381. 70
रक्षा पूंजीगत परिव्यय	106. 22	104. 14	135. 24	1331. 68
अमेरिका से विकास सहायता का अन्तरण	150. 00	—	—	1161. 01
इस शीर्ष के अन्तर्गत अमेरिका से प्राप्त पी०एल० 480 कर्जे और कुछ अन्य विकास सहायता कर्जों का विशेष विकास निधि में अन्तरण शामिल है । 1968–69 से विशेष विकास निधि में कर्जे की राशि के अन्तरण को छोड़ दिया गया है, केवल उन मामलों के अलावा जिनमें कर्जा करार के अन्तर्गत इस प्रकार का निधिकरण आवश्यक हो ।				
अन्य विविध मदें	15. 74	12. 63	19. 50	294. 38
जोड़	816. 60	427. 91	648. 44	10878. 51

7. उपरोक्त पैरा में दिखाया गया औद्योगिक और आर्थिक विकास पर व्यय सरकारी उपक्रमों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि में निवेश और विभागीय रूप से किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को दिखाता है। 2358.98 करोड़ रुपए के कल निवेश के विपरीत 1969–70 के दौरान लाभांश के रूप में लेखे में दिखाई गई राशि 21.82 करोड़ रुपए थी। लाभांश के प्रमुख भाग की प्राप्ति (क) जीवन बीमा निगम (6.27 करोड़ रुपए) (ख) भारतीय तेल निगम (4.98 करोड़ रुपए) (ग) आयल इंडिया (3.16 करोड़ रुपए) और (घ) भारतीय जहाजरानी निगम (1.17 करोड़ रुपए) से हुई। 1969–70 के अन्त में इन कंपनियों में किए गए निवेश की राशि 123.84 करोड़ रुपए थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों में लाभांश की राशि 13.04 करोड़ रुपए (1968–69) और 10.13 करोड़ रुपए (1967–68) थी। मुख्य निवेशों और लाभांशों के ब्यौरे परिशिष्ट II में दिए गए ह ।

सरकार को रेल तथा डाक-तार से प्राप्त हुआ लाभांश, 1969–70 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान ब्याज* को छोड़कर, नीचे दिया गया है :–

	1967–68	1968–69	1969–70
	(करोड़ रुपयों में)		
रेल	12.57	10.53	10.00
डाक-तार	5.55	2.64	2.81

ऊपर दिखाए गए रेल-अंशदानों में 16.25 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल नहीं है जो कि रेल यात्री किराए पर कर के एवज में राज्य सरकारों को प्रति वर्ष अनुदान की अदायगी के लिए प्राप्त हुई थी। 1967–68, 1968–69 और 1969–70 के दौरान सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे द्वारा अदा की गई क्रमशः 1.48 करोड़ रुपए, 1.58 करोड़ रुपए और 1.85 करोड़ रुपए की राशि को भी ऊपर दिखाए गए आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

---

*1969–70 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान रेल तथा डाक-तार से प्राप्त ब्याज नीचे दिखाए गए के अनुसार था :–

	(करोड़ रुपयों में)		
रेल	111.23	122.30	128.29
डाक-तार	12.44	9.20	10.02

राजस्व लेखे के बाहर प्राप्ति और संवितरण

8. निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 1970 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान राजस्व लेखे के बाहर प्राप्तियों और संवितरणों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है ।

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
(क) प्राप्तियां–			
समेकित निधि–			
(i) स्थायी ऋण			
भारत में लिए गए ऋण*	427.04	396.15	611.69
भारत के बाहर लिए गए ऋण	788.93	653.83	633.32
(ii) चल ऋण (खजाना बिलों के अलावा) (निवल)	0.53	−2.52	2.73
(iii) राज्य सरकारों आदि द्वारा कर्जों और पेशगियों की वापसी	494.44	742.38	904.62
(iv) अंतर्राज्य निपटारा	0.17	0.18	0.05
आकस्मिकता निधि–			
आकस्मिकता निधि में आपूर्ति	0.52	0.59	2.96
लोक लेखा– अनिधिक–ऋण	352.54	77.11	251.89
जमा राशियां और पेशगियां (निवल)	264.23	291.98	339.44
अन्य मदें (प्रेषण) (निविल)	64.36	−76.40	−132.44
राजस्व लेखे के बाहर कुल प्राप्तियां	2392.76	2083.30	2614.26
जोड़ें–खजाना बिलों को जारी करके लिए गए ऋण (निवल)	89.86	234.93	−12.56
कुल जोड़	2482.62	2318.23	2601.70
(ख) अदायगियां–			
पूंजीगत परिव्यय सिविल	548.01	175.58	385.53
पूंजीगत परिव्यय रेलवे	135.93	121.47	94.29
पूंजीगत परिव्यय डाक-तार	26.44	26.72	33.38
पूंजीगत परिव्यय रक्षा	106.22	104.14	135.24
जोड़	816.60	427.91	648.44

*इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ों में 75 करोड़ रुपए शामिल हैं जो कि 1967-68 से 1969-70 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान तदर्थ खजाना बिलों के दिनांकित प्रतिभूतियों में बदले जाने के कारण हुई प्राप्तियों के द्योतक हैं (पैरा 10 भी देखें) ।

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
केंद्रीय सरकार द्वारा कर्जे और पेशगियां	1363.77	1497.91	1457.63
ऋण की वापसी–			
भारत में लिया गया ऋण	258.79	246.14	396.26
विदेश से लिया गया ऋण	187.78	176.39	179.16
अन्तर्राज्य समाधान	0.25	0.34	–
आकस्मिकता निधि	0.59	2.96	1.13
राजस्व लेखे से बाहर कुल व्यय	2627.78	2351.65	2682.62
उपर्युक्त उप पैरा (क) के अनुसार कुल प्राप्तियां	2482.62	2318.23	2601.70
राजस्व लेखे से बाहर शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों से अधिक व्यय	−145.16	−33.42	−80.92
घटाएं–राजस्व अधिशेष	103.73	80.96	+125.18*
निवल { अधिशेष+ / घाटा–	−41.43	+47.54	+44.26

प्रत्येक वर्ष के दौरान यदि खजाना बिलों का निवल विस्तार शामिल किया जाए तो 1967-68 और 1968-69 के दौरान कुल घाटा क्रमशः 131.29 और 187.39 करोड़ रुपए होगा और 1969-70 के दौरान 56.82 करोड़ रुपए का अधिशेष होगा ।

(ग) 1969-70 की समाप्ति पर 253.68 करोड़ रु० (बजट) और 290 करोड़ रु० (परिशोधित अनुमान) के प्रत्याशित घाटे की तुलना में 56.82 करोड़ रु० का अधिशेष रहा। नीचे दी गई सारणी में इस अधिशेष का विश्लेषण किया गया है :–

	बजट	वास्तविक आंकड़े	अंतर
		(करोड़ रुपयों में)	
जाना बिल (निवल)	253.00	−12.56	265.56
नकद शेष का ह्रास	0.68	−44.26	44.94
	253.68	−56.82	310.50

*यह राशि 'राजस्व प्राप्तियों और पिछले पैरा 1 में उल्लिखित 'राजस्व से पूरा किया गया व्यय' से 1 लाख रु० अधिक है। इस व्यय को रेलवे विभाग ने भारत की आकस्मिकता निधि से पूरा किया था परन्तु वर्ष की समाप्ति तक उसकी आपूर्ति नहीं की गई ।

बजट अनुमानों की तुलना में अंतर मुख्यतः इन कारणों से था:–

(i) अधिक राजस्व प्राप्तियां	66 करोड़ रु०
(ii) कम पूंजीगत व्यय	121 करोड़ रु०, और
(iii) कर्जों और पेशगियों की अधिक प्राप्ति (निवल) (ऋण और जमा राशियों समेत)	219 करोड़ रु०

यह प्रेषण के अधीन 120 करोड़ रु० (कम) के अंतर द्वारा अंशत : प्रतिसंतुलित हो गया।

III–ऋण

9. (क) निम्नलिखित सारणी में 1955–56, 1968–69 और 1969–70 की समाप्ति पर 'लोक ऋण' और 'अनिधिक ऋण' के अधीन बकाया राशियों को दिखाया गया है।

	31 मार्च 1956	31 मार्च 1969	31 मार्च 1970
		(करोड़ रुपयों में)	
लोक ऋण–			
(i) बाजार कर्ज	1545	3931	4146
(ii) चलऋण	808	2931	2921
(iii) विदेशी साधनों से कर्ज*	111	5636	6153
अनिधिक ऋण –			
(i) लघु बचत वसूलियां	575	1892	2021
(ii) भविष्य निधि, आयकर वार्षिकी जमा, आदि	183	906	934
(iii) पी० एल० 480 के अधीन बनाई गई प्रतिरूप निधि में अमरीका सरकार द्वारा जमा राशि	..	581	667
जोड़	3222	15877	16842

(ख) सरकारी लेखों के जमा अनुभाग में आरक्षित निधियों और जमा खातों इत्यादि में जमा निवल शेषों में जो कि नीचे दिखाए गए हैं सरकार की देयताएं भी शामिल हैं क्योंकि इन्हें अलग से निविष्ट नहीं किया गया है अपितु सरकार की सामान्य रोकड़ शेष में मिला दिया गया है।

ब्याज देय जमा राशियां	188.96	186.88	@223.97
अब्याय देय जमा राशियां	233.14	1159.50	@1311.73
जोड़	422.10	1346.38	@1535.70

*मूल्यह्रास के कारण समायोजन के बाद।

@बाद की भूल सुधारों के कारण, 1970 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 9 में दिखाए गए तदनुरूप आंकड़ों से भिन्न हैं।

(ग) 1969–70 के दौरान ऋण के लेन-देन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

	प्राप्तियां	वापसियां	निवल वृद्धि
			(करोड़ रुपयों में)
(i) बाजार कर्जे	611.69	396.26	215.43
(ii) चल ऋण	9005.34	9015.17	−9.83
(iii) विदेशी स्त्रोतों से कर्जे	633.32	179.16	454.16
(iv) अनिधिक ऋण–			
लघु बचत वसूलियां	651.31	522.50	128.81
भविष्य निधियां, आदि	181.28	110.21	71.07
अनिवार्य जमा राशियां	0.32	21.61	−21.29
आयकर वार्षिकी जमा राशियां	2.86	14.56	−11.70
पी० एल० 480 इत्यादि के अन्तर्गत बनाई गई प्रतिरूप निधियों में अमरीका सरकार द्वारा जमा राशियां	215.25	130.25	85.00
जोड़	11301.37	10389.72	911.65

10. (क) बाजार कर्जे–1969–70 के दौरान बाजार कर्जों से हुई प्राप्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

	नकद	वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले कर्जों के रूपान्तरण द्वारा	भारत के रिजर्व बैंक के तदर्थ खजाना बिलों क रूपान्तरण द्वारा (करोड़ रु० में)	जोड़
4 प्रतिशत कर्ज, 1969	0.36	–	–	*0.36
4¼ प्रतिशत कर्ज, 1973	0.67	–	–	*0.67
4¼ प्रतिशत कर्ज, 1975	–	–	25.00	25.00
4¼ प्रतिशत कर्ज, 1976	98.65	161.51	–	260.16
4 प्रतिशत कर्ज, 1980	–	–	50.00	50.00
5½ प्रतिशत कर्ज, 1999	107.32	167.87	–	275.19
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980	0.03	–	–	0.03

* ये कर्जे 1968–69 के दौरान जारी किए गए थे, परन्तु इनके लेखा-समायोजन 1969–70 के दौरान किए गए।

15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाण–

पत्र II श्रेणी	0.28	–	–	0.28
जोड़	207.31	329.38	75.00	611.69

(ख) चल ऋण– इसमें ये शामिल हैं––

(क) भारत के रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों को भेजे गए तदर्थ खजाना बिल । 2018.30 करोड़ रुपए 31 मार्च, 1970 को बकाया थे । भारत के रिजर्व बैंक (1757.41 करोड़ रुपए) और राज्य सरकारों (260.89 करोड़ रुपए) द्वारा बकाया बिल रोक लिए गए ।

(ख) 31 मार्च, 1970 को जनता को जारी किए गए अन्य खजाना बिल (213.48 करोड़ रुपए) ।

(ग) विनिर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय निधि और अन्तर्राष्ट्रीय विकास समिति को भारत के अंशदान की अदायगी के लिए (689.79 करोड़ रुपए, 31 मार्च, 1970 को) जारी की गई अपरक्राम्य और अब्याजदेय सिक्यूरिटियां ।

11. (क) ऋण इत्यादि के कारण की गई ब्याज की अदायगी का विश्लेषण नीचे दिया गया है ––

	1967-68	1968-69	1969-70
			(करोड़ रु० में)
(i) ऋण और अन्य दायित्वों पर सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज	496.62	523.02	559.87
(ii) घटाएं–			
(क) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए कर्जों पर प्राप्त ब्याज	200.02	240.71	281.33
(ख) राज्य सरकारों से स्टर्लिंग पेंशनों के पूंजीकृत मूल्य की वसूली के कारण समीकृत अदायगियों के ब्याज का हिस्सा	0.76	0.59	–
(ग) नकद शेष राशि के निवेष में से अन्य कर्जों और अन्य मदों पर प्राप्त ब्याज (नीचे मद (iv) में दी गई प्राप्तियों को छोड़कर)	93.91	130.12	163.29
(iii) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	201.93	151.60	115.25

	1967-68	1968-69	1969-70
			(करोड़ रु० में)
(iv) इनके अतिरिक्त वर्ष के दौरान निम्न-लिखित प्राप्तियां और हुईं :—			
(क) रेलवे और डाक-तार विभाग सहित वाणिज्यिक विभागों से ब्याज	130.25	142.40	148.67
(ख) पेंशनों के परिवर्तित मूल्य के कारण समीकृत अदायगियों के ब्याज का हिस्सा	0.45	0.64	0.83
(ग) स्टर्लिंग पेंशनों की खरीद में वार्षिकियों के पूंजीगत मूल्य के पुरांकन के कारण समीकृत अदायगियों के ब्याज का हिस्सा	—0.01	0.12	0.67
मद (iv) का जोड़	130.69	143.16	150.17
(v) ऊपर मद (iv) में दिखाई गई प्राप्तियों को घटाने के बाद ब्याज प्रभारों की निवल राशि	71.24	8.44	—34.92

(ख) भारत सरकार द्वारा अदा की गई ब्याज के और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

भारत में लिए गए बाजार कर्जों पर ब्याज	151.77	163.10	173.77
खजाना बिलों पर छूट	71.21	63.54	66.73
ऋण के प्रबंध के लिए भारत के रिजर्व बैंक को अदायगी	0.52	0.51	0.58
विदेशों से लिए गए ऋण पर ब्याज	139.55	147.68	153.91
भविष्य निधियों पर ब्याज	27.68	31.13	34.74
लघु बचत वसूलियों पर ब्याज:—			
खजाना बचत/रक्षा जमा राशि प्रमाण-पत्र	5.27	6.01	5.51
डाक घर बचत बैंक जमा राशियां	26.69	25.48	26.64
डाक घर के कैश प्रमाण पत्रों, संचयी सावधि जमा राशियों आदि पर बोनस	40.68	46.01	52.45
डाकतार व अन्य वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों पर ब्याज	6.84	7.03	8.59
अमरीका सरकार के पब्लिक लॉ-480 जमा राशियों के निवेशों पर ब्याज	10.29	10.90	9.59
बचत बैंक और प्रमाण-पत्र कार्य के लिए डाकघरों को अदायगी	7.80	8.17	8.96
अन्य मदें	8.32	13.46	18.40
जोड़	496.62	523.02	559.87

IV विदेशी स्रोतों से अनुदान और कर्जे

12. (क) 31 मार्च, 1970 तक 6956.55 करोड़ रुपए विदेशों, निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास समितियों आदि से अनुदानों (803.93 करोड़ रु०) और कर्जों (6152.62* करोड़ रु०) के रूप में प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यू० एन० टी० ए० ओ०, यूनेस्को आदि और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय लोक हितैषी संगठनों से उपकरण और तकनीकी सेवाओं इत्यादि के रूप में अंशदान प्राप्त हुए जो सरकारी लेखों में नहीं दिखाए गए हैं।

(ख) अनुदान–अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियां नीचे दिखाई गई हैं :—

कार्यक्रम	स्रोत	प्राप्त अनुदान		सबसे पहले की वह अवधि जबसे अनुदान प्राप्त हुए	अभ्युक्तियां
		1969-70 के दौरान	1969-70 की समाप्ति तक		
		(करोड़ रु० में)			
भारत–अमरीका तकनीकी सहयोग सहायता कार्यक्रम	यू० एस० ए०	0.01	(†) 135.25	1952-53	तकनीकी सेवाओं के रूप में प्राप्त सहायता को सरकारी लेखों में नहीं दिखाया गया है
पब्लिक लॉ 480	यू० एस० ए०	8.00	354.32	1960-61	
कोलम्बो योजना	कनाडा	26.60(†)	276.78	1952-53	
	यू० के०	शून्य	1.40	1954-55	
	आस्ट्रेलिया	शून्य(†)	17.42	1951-52	
	न्यूजीलैन्ड	शून्य	3.51	1951-52	
मत्स्य क्षेत्रों की विकास-परियोजना	नार्वे	शून्य	2.68	1953-54	मीन उद्योग संबंधी उपस्कर के रूप में
फोर्ड फाउन्डेशन		0.44	12.57	1951-52	नकद
जोड़		35.05	803.93		

* 5 जून, 1966 तक के आंकड़े पूर्व-अवमूल्यन दर तथा उसके बाद के आंकड़े उत्तर-अवमूल्यन दर के हिसाब से हैं।

(†) 1969-70 की समाप्ति तक की शेष राशियों में क्रमशः 0.34 करोड़ रु०, 0.10 करोड़ रु० और 3.08 करोड़ रु० के प्रोफार्मा सुधार शामिल हैं।

13. विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त और 1969–70 की समाप्ति पर बकाया कर्जों की राशि 6152.62 करोड़ रुपये की थी। जिन कर्जों की शेष राशियां 30 करोड़ रु० से अधिक हैं उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

स्त्रोत	प्राधिकृत राशि	प्राप्त		वापस की गई		1969–70 की समाप्ति पर बकाया**	ब्याज की दर
		1969–70 के दौरान	1969–70 की समाप्ति तक*	1969–70 के दौरान	1969–70 की समाप्ति तक*		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(करोड़ रुपयों में)			
अमरीका	3455.64	199.76	2924.42	46.40	249.09***	3296.49	$2\frac{1}{2}$ प्र० श० से $5\frac{3}{4}$ प्र० श०
रूस	739.63	65.39	534.54	48.73	291.45	400.68	$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत
पश्चिम जर्मनी	540.21	47.87	452.76	24.75	192.93	390.53	3 प्र० श० से $6\frac{3}{4}$ प्र० श०
कनाडा	208.76	22.19	103.62	1.71	21.15	93.47	$4\frac{1}{4}$ प्र० श० से 6 प्र० श०
जापान	262.63	42.61	230.61	3.67	27.19	257.73	$5\frac{3}{4}$ प्र० श० से 6 प्र० श०
यूनाइटिड किंगडम	660.52	84.16	604.07	23.90	121.89	561.31	(क)
आई० बी० आर० डी०	294.06	9.21	254.03	9.87	106.36	247.66	4 प्र० श० से 6 प्र० श०
आई० डी० ए०	687.12	114.19	574.09	–	–	695.46	कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। $\frac{3}{4}$ प्र०श०

							का एक सेवा प्रभार बकाया राशि पर देय है।
नीदर लैंड	40.49	5.28	28.49	–	–	34.32	$5\frac{3}{4}$ प्र० श० (3 प्र० श० कम हो गया)
चैकोस्लोवाकिया	59.92	19.48	51.23	4.99	10.96	47·99	$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत
अन्य (पोलैंड, स्विटजरलैंड, यूगोस्लाविया, रोडेशिया, ग्वासालैंड, न्यूजीलैंड, आस्ट्रिया, कुवैत, डेनमार्क, बहराइन, स्वीडन, इटली, फ्रांस, बैलजियम, कतर, शरजाह और अबूधाबी से अनिर्दिष्ट कर्जों सहित)	255.08	23.19	164.33	@15.15	73.05	126.98	(ख)
जोड़	7204.06	633.33	5922·19	179.17	1094.07	6152.62	

(क) मैसर्ज लैजर्ड ब्रादर्ज एंड कंपनी से लिए गए उधार पर यूनाइटिड किंगडम की बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज है (कम से कम $4\frac{1}{2}$ प्र० श० वार्षिक)।

(ख) प्रत्येक देश की ब्याज-दर भिन्न-भिन्न है।

(*) 5–6–66 तक की राशियां अवमूल्यन से पहले की दरों पर और 5–6–66 के बाद अवमूल्यन से बाद की दरों पर हैं।

(**) अंतशेष, लेखों में उपलब्ध राशियों पर अवमूल्यन के प्रभाव को शामिल करने के बाद निकाले गए हैं।

(***) इन कर्जों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत मंजूर 7 कर्जे शामिल हैं जिनकी शेष राशियों को अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(@) इसमें 0.02 करोड़ रु० की नामे राशि सम्मिलित है जो कि माइनस जमा होनी चाहिए थी।

V–केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियां

14. 1968–69 और 1969–70 की समाप्ति पर राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों पर बकाया कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

कर्ज किसे दिया गया	31 मार्च, 1969 को बकाया राशि	1969–70 के दौरान दिए गए कर्जे	1969–70 के दौरान वापस किए गए कर्जे	31 मार्च, 1970 को बकाया राशि
		(करोड़ रुपयों में)		
राज्य सरकारें	5490.43	1029.28	630.93	5888.78
संघ शासित क्षेत्र सरकारें	109.47	27.05	2.15	134.37
विदेशी सरकारें	44.81	61.62	58.71	47.72
सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थान, इत्यादि	2265.79	258.70	181.10	2343.39
स्थानीय निधियां, नगरपालिकाएं, इत्यादि	289.99	62.20	17.09	335.10
सरकारी कर्मचारी	23.14	18.65	14.44	27.35
खेतिहर	1.51	0.13	0.20	1.44
	8225.14	1457.63	904.62	8778.15

15. केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को जो कर्जे दिए थे उनकी अधिकांशत: वापस अदायगी नहीं की गई, यद्यपि इन कर्जों की वापसी की शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। पहले के कर्जों के मूलधन और ब्याज के बकाया की वापसी के लिए 1969–70 के दौरान जम्मू-काश्मीर सरकार को दिए गए 56.92 करोड़ रुपए के नये कर्जे और पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए 2.64 करोड़ रु० के नये कर्जे शामिल करके 1969-70 की समाप्ति पर मूलधन और ब्याज की बकाया राशियों की स्थिति नीचे दी गई है।

राज्य सरकारें	31 मार्च, 1970 को बकाया राशि		बकाया राशि की सबसे पहली अवधि
	मूलधन	ब्याज	
	(करोड़ रुपयों में)		
जम्मू और काश्मीर	3.33	5.15	1969–70
पश्चिम बंगाल	15.23	22.00	1969–70

(1970–71 के दौरान 11.19 करोड़ रु० मूलधन के रूप में और 17.20 करोड़ रु० ब्याज के रूप में वसूल किए गए)।

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों में से राज्य सरकारें भारत सरकार को विस्थापितों से वसूल की गई वास्तविक राशियां ही वापस कर रही हैं।

जनवरी, 1964 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि वह पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों की 10 प्रतिशत तक की हानि स्वयं वहन करेगी। मई, 1964 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि 31 मार्च, 1964 तक पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दिए गए कर्जों की कुल हानि केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। यह फैसला उन कर्जों पर लागू नहीं था जो 31 दिसम्बर, 1963 के बाद आने वाले विस्थापितों को दिए गए थे। भारत सरकार ने अब तक (31 मार्च, 1970 तक) ऐसे कर्जों पर 17.85 करोड़ रुपए की हानि वहन की है।

16. पहले के कर्जों पर मूलधन और/या ब्याज की बकाया राशियों की वापसी के लिए 1969–70 के दौरान दिए गए नए कर्जों के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं—

कर्ज की मंजूरी देने वाला मंत्रालय	कर्जा किसे दिया गया	नये कर्ज की राशि (करोड़ रु० में)
वित्त मंत्रालय	जम्मू और काश्मीर सरकार	56.92
	पश्चिम बंगाल सरकार	2.64
इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, भद्रावती	1.90

17. राज्य सरकारों और एक स्वायत्त निकाय को दिए गए निम्नलिखित कर्जों की वापसी की शर्तें अभी तक निश्चित नहीं की गई हैं (मंत्रालय-वार विश्लेषण परिशिष्ट III में दिया गया है) ।

राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय जिसे कर्जा दिया गया	कर्जों की संख्या	कर्जों की कुल राशि (करोड़ रु० में)	कर्जों से संबंधित सबसे पहली अवधि
आंध्र प्रदेश	1	35.71	1969-70
असम	1	48.54	1969-70
जम्मू और काश्मीर	2	57.14	1968-69
केरल	1	17.88	1969-70
मध्य प्रदेश	2	1.54	1969-70
मैसूर	1	17.50	1969-70
उड़ीसा	1	32.13	1969-70
तमिलनाडु	3	7.01	1965-66
उत्तर प्रदेश	1	1.00	1969-70
पश्चिम बंगाल	1	9.91	1969-70
टी० बोर्ड	15	1.76	1967-68

राज्य सरकारों/स्वायत्त निकाय से इन कर्जों के मूलधन और/या ब्याज की राशियां प्राप्त नहीं हुई थीं ।

18. जिन कर्जों और पेशगियों का (राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य) मूलधन (3365·14 लाख रु०) और ब्याज (1937.65 लाख रुपए) 1969-70 की समाप्ति पर बकाया में पड़ा रहा, उनके ब्यौरे परिशिष्ट IV में दिखाए गए हैं । ऊपर दिखाए गए बकायों में पुनर्वास वित्त प्रशासन यूनिट से दिए गए कर्जों में से 31 मार्च, 1970 के अतिदेय शामिल नहीं हैं । इन कर्जों की स्थिति परिशिष्ट IV में दी गई है ।

19. **विभिन्न देशों को सहायता**—भारत सरकार विभिन्न देशों को कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता देती रही है । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 1969-70 के दौरान 12·21 करोड़ रुपए की और 1969-70 की समाप्ति तक 66.77 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जिसमें से 63.30 करोड़ रुपए नेपाल को दिए गए (यह सहायता मुख्य मार्गों, जल विद्युत परियोजनाओं, लघु सिंचाई कार्यों, ग्राम विकास कार्यक्रम, तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए थी) । अन्य देशों को सहायता तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में दी गई । विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 1969-70 के दौरान 17 लाख रुपए थी और 1969-70 की समाप्ति तक 46 लाख रुपए ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विदेशों को भी कर्जे दिए हैं। 1969-70 की समाप्ति पर विभिन्न देशों पर कर्जों की बकाया राशि 47.72 करोड़ रुपए थी।

20. **केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गरंटियाँ**--1969-70 के दौरान भारत सरकार ने 66 मामलों में (नवीकृत गारंटियों को शामिल कर के) 64 करोड़ रुपए की नयी गारंटियां जारी कीं। 1969-70 की समाप्ति पर सरकार द्वारा गारंटीकृत कुल राशि का बकाया 993 करोड़ रुपए था (कुछ ऐसे मामलों सहित जिनमें राशियां विदेशी मुद्रा में देय हैं)। ये गारंटियां 31 मिश्रित पूंजी कंपनियों, 52 सरकारी कंपनियों, 28 सांविधिक निगमों, 6 पत्तन न्यासों, 8 सहकारी बैंकों, 56 सरकारी समितियों, 5 राज्य निगमों, 4 राज्य वित्त निगमों और 89 उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा लिए गए कर्जों के लिए थीं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ निगमों की शेयर पूंजी पर न्यूनतम प्रतिलाभ और डिबेंचरों इत्यादि पर ब्याज की अदायगी के लिए भी गारंटी दी है।

निम्नलिखित मामलों में सरकार को गारंटियों की शर्तों के अन्तर्गत अदायगियां करने के लिए कहा गया :--

I. ब्रांचलाइन रेल कंपनियां--इन मामलों में सरकार ने प्रदत्त शेयर पूंजी पर प्रतिवर्ष $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत निवल प्रतिलाभ की गारंटी दी है। 1969-70 के दौरान दो कंपनियों के मामले में गारंटी का उपयोग किया गया और कुल मिलाकर सरकार ने 2.22 लाख रुपए अदा किए, जिसमें केवल घटौती की बाबत की गई 1.79 लाख रुपए की अदायगी शामिल है।

II. लघु उद्योगों के लिए उधार की गारंटी-- 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 26 पेशगियों के लिए गारंटियों का उपयोग किया गया और वर्ष के दौरान पेशगियों के अदा न किये जाने के कारण सरकार ने अपने हिस्से की राशि के रूप में कुल 5,10,231 रुपए अदा किये।

21. **अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान**--1969-70 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अदा किये गये अंशदानों की कुल राशि 825.77 लाख रुपए थी। 1969-70 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए अधिक महत्वपूर्ण अंशदान नीचे दिखाए गए हैं:--

जिसे अदा किया गया	1967-68	1968-69 (लाख रु० में)	1969-70
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय---			
अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन	13.19	15.07	13.34
शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय---			
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन	39.37	47.64	56.06
विदेश मंत्रालय---			
संयुक्त राष्ट्र संघ	157.89	163.08	184.08
वित्त मंत्रालय---			
संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि अंश	161.25	161.25	161.25
संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता अंश	63.75	63.75	63.75

	1967-68	1968-69	1969-70
		(लाख रुपयों में)	
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय--			
राष्ट्र मंडल कृषि ब्यूरो	6.23	5.34	5.34
खाद्य और कृषि संगठन	39.76	49.12	46.54
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय--			
विश्व स्वास्थ्य संगठन	66.01	64.27	73.54
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय--			
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	53.25	55.52	56.42
संचार विभाग--			
अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ	10.29	10.56	10.82
परमाणु ऊर्जा विभाग--			
अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी	12.95	12.59	13.78
विधि और समाज कल्याण मंत्रालय--			
(समाज कल्याण विभाग)			
संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि	45.00	52.00	63.75

दूसरा अध्याय

विनियोजन लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

1. विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम

22. नीचे दी गई सारणी में 1969-70 वर्ष के अन्तर्गत मूल और पूरक अनुदानों और विनियोजनों की रकम, वास्तविक व्यय और बचत दिखलाई गई है :—

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	
			रकम	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपये में)		
दत्तमत अनुदान—				
मूल	2,732.62			
		2,837.96	2,571.15	266.81	9.40
पूरक	105.34			
प्रभारित विनियोजन—				
मूल	*11,848.56*			
पूरक	*285.42*	*12,133.98*	*11,681.82*	*452.16*	*3.73*
जोड़		14,971.94	14,252.97	718.97	4.80

718.97 करोड़ रुपये की यह बचत दत्तमत अनुदान और प्रभारित विनियोजनों की कुल रकम का 5 प्रतिशत है जब कि पूर्ववर्ती वर्ष में 6 प्रतिशत की बचत थी। यह बचत 159 अनुदानों/विनियोजनों में 720.67 करोड़ रुपये की बचत और 14 अनुदानों/विनियोजनों में 1.70 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का निवल परिणाम है।

1969-70 में हुई बचतों का विश्लेषण पैराग्राफ 25 में किया गया है।

23. **पूरक अनुदान/विनियोजन**—वर्ष के दौरान 68 अनुदानों के अधीन (8 अनुदानों के अधीन सांकेतिक रकमों सहित) 105.34 करोड़ रुपये की पूरक धनव्यवस्था प्राप्त की गई। प्रभारित व्यय के लिए भी 285.42 करोड़ रुपये के पूरक विनियोजन प्राप्त किये गए थे।

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गये पूरक अनुदानों/विनियोजनों की रकम निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	दत्तमत	प्रभारित
	(करोड़ रुपयों में)	
1966-67	817.52	*1,502.45*
	(101 मामलों में)	(28 मामलों में)
1967-68	270.06	*54.71*
	(72 मामलों में)	(22 मामलों में)
1968-69	260.72	*91.31*
	(76 मामलों में)	(24 मामलों में)

*11 मामलों में 17.03 करोड़ रुपये की पूरक धनव्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल अनुदान के बराबर भी नहीं हो सका । इन मामलों में 2.14 करोड़ रुपये की पूरक धनव्यवस्था मार्च, 1970 में प्राप्त की गई थी ।

*22 मामलों में पूरक धनव्यवस्था अधिक सिद्ध हुई, 336.62 करोड़ रुपये की कुल पूरक धनव्यवस्था की तुलना में वास्तव में उपयोग की गई रकम 317.49 करोड़ रुपये थी ।

*5 मामलों में पूरक धनव्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हुई, इन मामलों में जब कि अतिरिक्त धनव्यवस्था 5.14 करोड़ रुपये की थी, वास्तविक व्यय कुल अनुदानों से 0.71 करोड़ रुपये अधिक हुआ ।

24. **अनुदानों/विनियोजनों से अधिक व्यय–**

(क) अनुदानों से अधिक व्यय––10 अनुदानों में कुल मिलाकर 1.68 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 115 के अधीन जिसका नियमानुकूलन अपेक्षित है ।

क्रम सं०	अनुदान का विवरण	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
		रुपये	रुपये	रुपये
	वित्त मंत्रालय			
(1)	23–पेंशनें और अन्य सेवा–			
	निवृत्ति लाभ	8,31,76,000	8,35,67,954	+3,91,954

अधिक व्यय मुख्यतया 'निवर्तन और सेवा-निवृत्ति भत्तों' (वास्तविक व्यय 4.20 करोड़ रुपये, धनव्यवस्था 4 करोड़ रुपये) और 'परिवार पेंशनों' (वास्तविक व्यय 53.54 लाख रुपये, धनव्यवस्था 48.69 लाख रुपये) के अधीन हुआ और वह पेंशनों के अधिक भुगतान के कारण था ।

(2) 109–**पेंशनों का परिवर्तित मूल्य–**

	6,35,22,000	6,57,28,518	+22,06,518

अधिक व्यय मुख्यतया 'सुरक्षा सेवा पेंशनों' (व्यय 615.26 लाख रुपये, धन व्यवस्था 591.01 लाख रुपये) के अंतर्गत हुआ और यह सुरक्षा कर्मचारियों से पेंशनों के परिवर्तित मूल्य के भुगतान के लिए अधिक आवेदनों (14 लाख रुपये) की प्राप्ति और कुछ ऐसे दावों के लिए मार्च, 1970 में असंभावित भुगतान करने, जिनकी 1970–71 में भुगतान होने (10.25 लाख रुपये) की संभावना थी, के कारण हुआ ।

---

*इन मामलों का विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है ।

विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय

(3)	34–विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय–	1,50,29,000	1,51,03,592	+74,592

अधिक व्यय विदेश व्यापार विभाग के अधीन हुआ और इसका कारण मुख्यतया (1) विदेश जाने वाले शिष्ट मंडल और (2) कर्मचारियों का यात्रा व्यय था।

स्वास्थ्य व परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय

(4)	40–लोक निर्माण	43,39,44,000	43,59,01,848	+19,57,848

अधिक व्यय मुख्य रूप से (i) 'क. 2 (1)–भवन' (व्यय 615.79 लाख रुपये, धन व्यवस्था 562.59 लाख रुपये; (ii) 'क. 3 (2)–कार्यकारी स्थापना' (व्यय 499.70 लाख रुपये, धन व्यवस्था 470.97 लाख रुपये) और (iii) 'क. 7 (i)–उचंत-स्टाक' (व्यय 1045.59 लाख रुपये, धन व्यवस्था 991.04 लाख रुपये) के अधीन हुआ।

उपयुक्त (iii) के अधीन अधिक व्यय मुख्यतया वर्धित भवन-निर्माण कार्यक्रमों के कारण भवन निर्माण सामग्री के अधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण हुआ।

उपर्युक्त (i) और (ii) के अधीन अधिक व्यय के कारण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1970)।

गृह मंत्रालय

(5)	53–अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9,90,37,000	10,5,70,4443	+25,33,443

अधिक व्यय मुख्य रूप से (i) 'ङ 1(5)(2)–अन्य उचंत लेखा' (व्यय 102.19 लाख रुपये, धन व्यवस्था 80 लाख रुपये) और (ii) 'च. 1(2)–विविध तटीय स्थापना' (व्यय 57.46 लाख रुपये, धन व्यवस्था 38.16 लाख रुपये) के अधीन हुआ।

अधिक व्यय के कारणों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1970)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(6)	62–सूचना और प्रसारण मंत्रालय	25,99,000	26,50,325	+51,325

अधिक व्यय मुख्य रूप से 'स्थापना प्रभारों' और 'कार्यालय फुटकर व्यय' में वृद्धि के कारण हुआ।

पैट्रोलियम व रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(7)	77–पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालयों का अन्य राजस्व व्यय	16,51,51,000	16,56,55,058	+5,04,058

अधिक व्यय मुख्य रूप से 'भट्ठी तेल के प्रेषणों पर भाड़ा रियायत के कारण रेलवे को भुगतान (व्यय 117.48 लाख रुपये, धन व्यवस्था 30 लाख रुपये) के अधीन हुआ और इसका कारण बजट स्थिति पर अनुमानित व्यय से अधिक व्यय का होना था ।

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

(8) 78–जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय	1,41,52,000	1,44,03,005	+2,51,005

अधिक व्यय मुख्य रूप से (i) 'परिवहन स्कन्ध' (व्यय 41.08 लाख रुपये, धन व्यवस्था 40.43 लाख रुपये) और (ii) 'सड़क स्कन्ध' (व्यय 101.33 लाख रुपये, धन व्यवस्था 99.44 लाख रुपये) के अधीन हुआ ।

उपर्युक्त (i) के अधीन अधिक व्यय मुख्य रूप से एक लाख रुपये के मूल्य पर स्टाफ कार की खरीद और पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित कुछ टेलीफोन बिलों के समायोजन के कारण हुआ ।

उपर्यूक्त (ii) के अधीन अधिक व्यय मुख्य रूप से विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रारम्भिक कार्य के कारण अधिक दौरों, स्टाफ कार पर अधिक व्यय, डाक व टेलीफोन प्रभार आदि पर धन व्यवस्था की तुलना में अधिक व्यय के कारण हुआ ।

(9) 79–सड़कें	20,01,76,000	20,89,41,170	+87,65,170

अधिक व्यय मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय राजपथों का अनुरक्षण' (व्यय 1217.60 लाख रुपये, धन व्यवस्था 1126 लाख रुपये) के अधीन हुआ और इसका कारण राष्ट्रीय राजपथों के अनुरक्षण पर अधिक व्यय था ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय

(10) 83–इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय	25,30,000	26,48,624	+1,18,624

अधिक व्यय 'सचिवालय' (व्यय 24.49 लाख रुपये, धनव्यवस्था 23.30 लाख रुपये) के अधीन हुआ ।

अधिक व्यय के कारणों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1970) ।

(ख) प्रभारित विनियोजनों में अधिक व्यय––चार विनियोजनों में कुल मिलाकर 1,98,071 रुपये का अधिक व्यय हुआ । संविधान के अनुच्छेद 115 के अधीन इनका नियमानुकूलन अपेक्षित है । विवरण इस प्रकार है :

वित्त मंत्रालय

(1) 17–निगम कर सहित आय पर कर, आदि	*1,52,000*	*1,27,875*	*+2,875*

अधिक व्यय "आय कर की वसूली" के अधीन हुआ ।

सिंचाई व विद्युत मंत्रालय

(2) 123–बहूद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	–	5,339	+5,339

व्यय 24 मार्च, 1970 को न्यायालय की डिगरियों के संबंध में किया गया जिनके लिए धन व्यवस्था नहीं थी ।

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

(3) 79–सड़कें	5,10,000	5,46,285	+36,285

अधिक व्यय 'क 2(4)–सहायक अनुदान, अंशदान, आदि' के अधीन हुआ । अधिक व्यय के कारणों की प्रतीक्षा है (दिसंबर, 1970) ।

पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय

(4) 131–विमानन पर पंजीगत परिव्यय	2,50,000	4,03,572	+1,53,572

अधिक व्यय 'विशेष सेवा और विविध व्यय' (विनियोजन 2.50 लाख रुपये, व्यय 4.04 लाख रुपये) के अधीन हुआ और इसका कारण बजट बनाते समय अनुमानित राशि की तुलना में न्यायालय पंचाटों पर अधिक व्यय था ।

25. दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों में बचत –

718.97 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत नीचे दिए गए अधिक व्यय और बचत का निवल परिणाम थी :–

	बचत	अधिक व्यय	निवल बचत
		(करोड़ रुपयों में)	
दत्तमत अनुदान	268.49 (117 अनुदानों में)	1.68 (10 अनुदानों में)	266.81
प्रभारित विनियोजन	452.18 (42 विनियोजनों में)	0.02(क) (4 विनियोजनों में)	452.16

परिशिष्ट VI से ऐसा स्पष्ट होगा कि 20 अनुदानों म बचत निधियों की 20 प्रतिशत से अधिक हुई, इन मामलों में से 12 मामलों में बचत 30 प्रतिशत से अधिक हुई ।

(क) 1,98,071 रुपए मात्र ।

NATIONAL ARCHIVES
120039
21-11-7

(ii) दत्तमत अनुदानों के अधीन 268.49 करोड़ रुपये की कुल बचत में से आठ अनुदानों में जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, 180.45 करोड़ रुपये की बचत हुई।

(1) 104–शिक्षा तथा युवक सेवा

मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय (5.91 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से "उच्चतर शिक्षा के लिए अमरीकी सहायता कर्ज के अधीन सामग्री और उपस्कर" में हुई और यह बचत (i) तकनीकी कारणों से भारतीय पूर्ति मिशन वाशिंगटन के माध्यम से उपस्कर की पूर्ति के लिए आर्डर देने की अन्तिम तिथि को बढ़ाने और (ii) वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा नामे राशियों को हिसाब में न दिखाने के कारण थी।

(2) 110–वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय (15.23 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से (i) 'बैंक कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1969 की धारा 6 के अधीन मुआवजा' (1425 लाख रुपये), (ii) 'अल्कालायड फैक्टरी, (34.75 लाख रुपये) और (iii) 'राज्य कृषि साख निगम को शेयर पूंजी अंशदान' (65 लाख रुपये) के अधीन हुई।

उपर्युक्त (i) के अधीन हुई बचत अधिनियम के भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने के कारण हुई और उपर्युक्त (ii) और (iii) के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से 'अल्कालायड फैक्टरी' और 'राज्य कृषि साख निगम' को वर्ष के अन्त से पूर्व स्थापित न कर सकने के कारण थी।

(3) 112–केंद्रीय सरकार द्वारा कर्जे व पेशगियां (55.40 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से 'घ.5(1)–सरकारी कम्पनियों व निगमों आदि को कर्जे' के अधीन हुई और यह मुख्य रूप से (i) भारत के औद्योगिक विकास बैंक (12 करोड़ रुपये) और औद्योगिक वित्त निगम (5 करोड़ रुपये) द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के कारण कर्जों का आहरण न करने, (ii) आन्तरिक साधनों में वृद्धि और पूंजीगत व्यय में कमी के कारण भारतीय तेल निगम (9.45 करोड़ रुपये) द्वारा कर्ज का आहरण न करने, (iii) अन्तरिक साधनों में वृद्धि और निगम की कुछ परियोजनाओं पर कम व्यय के परिणामस्वरूप भारतीय उर्वरक निगम (20.73 करोड़ रुपये) द्वारा कर्जों के कम आहरण, (iv) पूंजीगत व्यय में कमी और आन्तरिक साधनों में वृद्धि के कारण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (5.90 करोड़ रुपये) और हैवी इंजीनियरिंग निगम (3.41 करोड़ रुपये) द्वारा कर्जे के कम आहरण, (v) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (2.50 करोड़ रुपये) द्वारा कुछ उत्पादों के लिए संविदाओं के परिनिश्चय में विलंब और (vi) पूंजीगत परिव्यय के अधीन अधिक धनव्यवस्था के कारण इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (3.75 करोड़ रुपये) को कर्ज का भुगतान न करने के कारण थी।

(4) 113–खाद्यान्नों और उर्वरकों की खरीद (44.62 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से (i) 'क.2 उर्वरकों की खरीद' (72.92 करोड़ रुपये) और (ii) 'क.4 सहायता प्राप्त खाद्य योजना' (73.40 लाख रुपये) के अधीन हुई।

उपर्युक्त (i) के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से उर्वरकों के आयात में योजनाबद्ध कमी जहाज पर माल की अव्यवस्थित लदाई और जहाजों के उपलब्ध न होने के कारण थी और (ii) के अधीन हुई बचत अनुमानित की तुलना में बालाहार के कम उत्पादन (65.13 लाख रुपये) और भारतीय खाद्य निगम से बिलों (8.27 लाख रुपये) के प्राप्त न होने के कारण थी।

(5) 126–पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय (15.91 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से (i) "क.2(15) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड" (842.45 लाख रुपये) (ii) "क.2(14) भारत अल्यूमीनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड" (363.91 लाख रुपये) और (iii) "क.2(13) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम" (402 लाख रुपये) के अधीन हुई।

उपर्युक्त (i) के अधीन हुई बचत खेतड़ी परियोजनाओं और कोलिहन परियोजना के लिए उपस्कर की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुई।

उपर्युक्त (ii) के अधीन हुई बचत सलाहकारों के चयन और उनके साथ अन्तिम करार करने में बिलम्ब के कारण "कोयना अल्यूमीनियम" पर और टेंडरों के परिनिश्चय/स्वीकृति में विलंब के फलस्वरूप "कोबरा अल्यूमीनियम परियोजना" पर कम व्यय के कारण हुई।

उपर्युक्त (iii) के अधीन बचत मुख्य रूप से (i) बेलाडिला डिपोजिट वर्क्स (100 लाख रुपये), (ii) किरिबुरू विस्तार योजना (269 लाख रुपये) और (iii) डोनीमलाई आयरन ओर परियोजना (17 लाख रुपये) के अनुमानों की स्वीकृति में विलंब के कारण हुई।

(6) 127–सड़कों पर पूंजीगत परिव्यय (15.04 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से (i) "राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण" (546.84 लाख रुपये) और (ii) "सीमा सड़कों का निर्माण" (976.70 लाख रुपये) के अधीन हुई।

उपर्युक्त (i) के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से राज्यों की ओर से नए निर्माण कार्यों पर निधियों की आवश्यकता में बजट के पश्चात की गई कमी के कारण हुई।

(ii) के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से निर्माण के योजनाबद्ध कार्यक्रम में कमी, पुलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में ठेकेदारों द्वारा विलंब और आवश्यक उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति में विलंब के कारण थी।

(7) 130–इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय (20.12 करोड़ रुपये)

बचत "बोकारो स्टील लिमिटेड" के अधीन हुई और मुख्य रूप से बोकारो स्टील लिमिटेड को वर्ष के दौरान रूसी और देसी उपस्कर के प्रेषण के अनुमानित स्तर की पूर्ति न होने के कारण हुई।

(8) 133–परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजीगत परिव्यय (8.22 करोड़ रुपये)

बचत मुख्य रूप से (i) क.2(2) (1)–यूरेनियम ऑक्साइड संयंत्र (40.36 लाख रुपये), क.2(2) (3)–जिरकोनियम संयंत्र (129.72 लाख रुपये) और क. 2(2) (2) सिरेमिक

फ्यूल फैबरीकेशन संयंत्र (23.21 लाख रुपये), (ii) क.2(2) (11) उच्चंत (171 लाख रुपये) और (iii) क.2(3)(1)–भारी पानी संयंत्र–संयंत्र संख्या 1 (194.32 लाख रुपये) के अधीन हुई ।

उपर्युक्त (i) में तीन ग्रुप शीर्ष के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से संयंत्रों के संस्थापन के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी करने में देरी के कारण थी ।

उपर्युक्त (ii) के अधीन हुई बचत मुख्य रूप से भारतीय यूरेनियम कार्पोरेशन लिमिटेड से यूरेनियम सांद्र की खरीद की लागत को न्यूक्लीय ईंधन संयंत्र के प्रचालन पर सीधे राजस्व व्यय में नामे डालने के बजटोपरान्त निर्णय के कारण थी ।

उपर्युक्त (iii) के अधीन हुई बचत मुख्य रुप से सलाहकारों की देर से नियुक्ति, जिसके परिणामस्वरूप उपस्कर तथा मशीनों के लिए आर्डर देने में विलंब हुआ था, के कारण परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण थी ।

(iii) दत्तमत अनुदान के अधीन शेष बचत (88.04 करोड़ रुपये) अधिकांशतः निम्न-लिखित अनुदानों में हुई :–

		नियंत्रण मंत्रालय
26–राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान	(4.10 करोड़ रुपये)	वित्त
106–मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजीगत परिव्यय	(4.23 करोड़ रुपये)	,,
111–विकास के लिए राज्य सरकारों को दिये गये अनुदानों पर पूंजीगत परिव्यय	(4.65 करोड़ रुपये)	,,
123–बहूद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(4.98 करोड़ रुपये)	सिंचाई तथा विद्युत
131–विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	(5.88 करोड़ रुपये)	पर्यटन तथा सिविल विमानन

II––व्यय पर नियंत्रण

26. इस सन्दर्भ में व्यय पर नियंत्रण स्वीकृत अनुदानों में से किए गए नियतन के स्थान पर खर्च किए गए व्यय के सतत और संवर्ती पुनरीक्षण के माध्यम से किया जाता है । यदि नियंत्रण प्रभावशाली है तो वास्तविक व्यय अंतिम संशोधित अनुदानों, अर्थात् पूरक अनुदानों, पुनर्विनियोजनों और प्रत्यर्पणों द्वारा यथासंशोधित मूल अनुदानों के लगभग बराबर होगा ।

एक अनुदान के अंतर्गत इकाइयों के बीच निधियों का पुनर्विनियोजन

व्यय के बढ़ने के साथ-साथ सावधानीपूर्ण निगरानी करने से नियंत्रण अधिकारी विनियोजनों की विभिन्न इकाइयों के अधीन बचत का पता लगाने में समर्थ हो सकेंगे और उसे उन इकाइयों में पुनर्विनियोजित कर सकेंगे जिनमें अधिक व्यय की संभावना प्रतीत होती हो । जिन मामलों में इकाइयों के अधीन पुनर्विनियोजन करने में चूक होने के कारण अधिक व्यय हुआ, उनको विनियोजन लेखों में सम्बन्धित ग्रुप शीर्ष के अधीन आलोचना में दिखलाया गया है ।

तीसरा अध्याय

व्यय सिविल विभाग

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

27. **भारतीय भाषाओं में मानक ग्रंथो की रचना और प्रकाशन**––1959 में सरकार ने हिन्दी में उपर्युक्त ग्रंथों की तैयारी और उसी भाषा में मानक ग्रंथों के अनुवाद की योजना आरम्भ की जिससे कि मानक विश्वविद्यालय-ग्रंथों की पर्याप्त पूर्ति की जा सके। 1960 से इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रन्थों की रचना या उसके अनुवाद के कार्य को भी शामिल कर लिया गया।

इस योजना को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में खोली गई अनुवाद एजेंसियों/ग्रंथ रचना सेलों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

(ii) **वित्तीय सहायता**––चुने हुए ग्रंथों के अनुवाद, रचना और प्रकाशन पर होने वाला समस्त व्यय सरकार द्वारा किया गया किन्तु एजेंसियों/सेलों द्वारा चुने हुए शीर्षक का सुझाव दिए जाने की स्थिति में केवल 50 प्रतिशत व्यय ही सरकार द्वारा किया गया। 1961–62 से 1968–69 के दौरान 47 एजेंसियों/ग्रंथ रचना सेलों को 45.36 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। निम्नलिखित सारणी 1968–69 के अन्त तक हुई प्रगति को दिखाती है:––

भाषा	प्रदान की गई पुस्तकों की संख्या			प्रकाशित पुस्तकों की संख्या			प्रेसों में पुस्तकों की संख्या	वापस ले ली गई पुस्तकों की संख्या
	मूल	अनुवाद	जोड़	मूल	अनुवाद	जोड़		
हिन्दी	52	398	450	3	111	114	65	19
क्षेत्रीय भाषा	35	120	155	9	20	29	22	16

36.48 लाख रुपए की लागत में प्रकाशित 143 शीर्षकों में से 31 अक्तूबर 1970 तक 16 विश्वविद्यालयों में केवल 31 शीर्षक ही विहित किए गए। तीन विश्वविद्यालयों ने सूचित किया कि योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए ग्रंथों में क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में न अपनाए जाने के कारण विहित नहीं किया जा सका।

(iii) **कार्यों को पूरा करने में देरी**––अनुवाद सेलों द्वारा अनुवाद किए जाने का अधिकार इस शरक के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था कि ग्रंथों के स्वामियों को रायल्टी की अदायगी की जाएगी। आयोग को ग्रंथों के स्वामियों द्वारा अनुमत्य पांच वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर उसका अनुवाद और प्रकाशन करना था। जांच-परीक्षण से ज्ञात हुआ कि 30 नवम्बर 1969 को 29 अनुवाद

एजेंसियों द्वारा 154 ग्रन्थों की रचना के कार्य में पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी लगभग 12 मास से लेकर 49 मास से भी अधिक समय की देरी हुई जैसा कि नीचे दिखाया गया है :–

पांच वर्ष के बाद हुई देरी की अवधि	अधूरी पुस्तकों की संख्या
12 मास से कम	27
13 से लेकर 24 मास तक	63
25 से 36 मास तक	61
37 से 48 मास तक	1
49 मास और अधिक	2
	154

अक्तूबर 1970 में आयोग ने बताया कि कुछ मामलों में नियत की गई तारीखों में अनुवाद का प्रकाशन नहीं किया जा सका और इन मामलों में (सिवाय एक मामले को छोड़कर जिसके लिए 1050 रुपये की रायल्टी की अदायगी की गई) स्वामियों ने प्रकाशन की अन्तिम तारीख 1 जनवरी 1971 तक बढ़ा दी थी और उस तारीख तक ग्रंथों का प्रकाशन किए जाने में प्रयत्न भी किए गए।

दो अनुवाद एजेंसियों (भोपाल और बनारस में) को 6.01 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए जैसा कि नीचे दिखाया गया है :–

एजेंसी का स्थान	वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
बनारस	1961–62	0.05
	1963–64	0.49
	1964–65	0.69
	1966–67	3.50
	1967–68	0.38
भोपाल	1964–65	0.40
	1968–69	0.50
		6.01

इन एजेंसियों को दिए गए 75 ग्रन्थों (बनारस 69 और भोपाल 6) में से इन एजेंसियों ने 27 ग्रन्थों का (बनारस 26 और भोपाल 1) मुद्रण कर दिया है तथा 19 ग्रंथों (बनारस 18 और भोपाल 1) से संबंधित कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है (अक्तूबर 1970)।

(iv) **प्रकाशित की गई पुस्तकों की बिक्री की धीमी प्रगति**––जुलाई 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अनुवाद सेल ने कार्य करना शुरू किया। जुलाई 1963 से मार्च 1969 के दौरान इसे 7.46 लाख रुपये दिए गए। इस सेल द्वारा जून 1969 तक अनुवाद किए गए 16 ग्रंथों में से 14 ग्रंथों का प्रकाशन हो गया था और 2 ग्रंथ प्रेस में थे (अक्तूबर 1970)। प्रति पृष्ठ अनुवाद कराने की लागत 23.50 रुपए निकली।

1967 तक मुद्रित 9 ग्रंथों की प्रतियों की बिक्री की प्रगति कम थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है (31 अक्तूबर 1969 की स्थिति के अनुसार) :–

प्रकाशन का नाम	प्रकाशन वर्ष	मुद्रित प्रतियां	मानार्थ प्रतियां	बेची गई प्रतियां	शेष प्रतियां	अनबिकी प्रतियों की लागत जिसमें रायल्टी और ऊपरी प्रभार शामिल नहीं हैं	अनबिकी प्रतियों की प्रतिशतता
डायनैमिक्स भाग I	1964	3,000	251	202	2,547	9,280	85%
डायनैमिक्स भाग II	1965	3,000	250	197	2,553	11,220	85%
इंटेगरल कैलकुलस	1966	3,000	244	300	2,456	9,030	82%
डिफरेंशियल कैलकुलस	1966	3,000	190	300	2,510	10,750	84%
स्टडीज ऑन दी स्ट्रक्चर एण्ड डिवेलपमेंट आफ वर्टिब्रेट्स खंड I	1966	2,850	189	263	2,398	20,190	84%
स्टडीज ऑन दि स्ट्रक्चर एण्ड डिवेलपमेंट आफ वर्टिब्रेट्स खंड II	1967	2,987	178	216	2,593	14,880	87%
दि वर्टिब्रेट्स खंड I	1967	3,000	177	216	2,607	21,110	87%
ग्रीक पालिटिकल थ्योरी	1967	2,990	175	19	2,796	15,115	93%
फाऊंडेशंज आफ इंडियाज फॉरन पॉलिसी	1967	2,969	179	10	2,780	9,845	93%
		26,796	1,833	1,723	23,240	1,21,420	

कम बिक्री का मुख्य कारण ग्रंथों का स्नातकोत्तर स्तर का होना तथा विश्वविद्यालय द्वारा उस स्तर पर हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में न अपनाया जाना बताया गया ।

(v) **अपर्याप्त कार्य-निष्पादन**–(क) रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ एशियेंट साइंटिफिक स्टडीज, नई दिल्ली, जिसे अनुवाद एजेंसी के रूप में अनुमोदित किया गया था, को 1967-68 में 5 ग्रंथों के अनुवाद के लिए 32,604 रुपए प्रदान किए गए । संस्था के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि इसने शैक्षिक या अशैक्षिक किसी भी प्रकार के स्टाफ की नियुक्ति नहीं की थी तथा सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि 'केवल विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही' इसकी स्थापना की गई थी और सरकार को भविष्य में इस संस्था के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए । इसको सौंपे गए दो शीर्षक रद्द कर दिए गए, शेष तीन शीर्षकों का प्रकाशन नहीं हुआ है । विभाग को 23,985 रुपए के व्यय के परीक्षित लेखों की प्रतीक्षा है (अक्तूबर 1970) ।

(ख) 1965 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने 300 ग्रंथों (1958 में एक समिति द्वारा अनुवाद के लिए चुने गए) की समीक्षा की और 13 ग्रंथों को अनुवाद के लिए अनुपयुक्त पाया । इसमें से दो शीर्षकों के अनुवाद संबंधी करार को, वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखे बिना ही, रद्द कर दिया गया जबकि एक शीर्षक के अनुवाद पर किए गए 4,570 रुपए के निष्फल व्यय को फरवरी 1969 में बट्टे खाते डाल दिया गया । अन्य 10 शीर्षकों के लिए रायल्टी की अदायगी पर 0.27 लाख रुपए व्यय हुए ।

(vi) **उपयोग-प्रमाणपत्र**–1961-62 से 1968-69 के दौरान 47 संस्थाओं को दिए गए 45.36 लाख रुपए के कुल अनुदान में से 17.80 लाख रुपए के उपयोग-प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है (नवम्बर 1969) जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

अवधि	प्रतीक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1961-62 से 1965-66 तक	27	2.31
1966-67	17	2.63
1967-68	18	6.22
1968-69	11	6.64
	73	17.80

अक्तूबर 1970 में यह बताया गया कि 3.62 लाख रुपए की और राशि का उपयोग-प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है ।

28. **अनुदानों की अधिक अदायगी**–मार्च, 1969 में सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालिजों से संलग्न अस्पतालों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भवनों के निर्माण के लिए (60 लाख रु०) और उपस्करों की खरीद के लिए (40 लाख रुपए) 1968-69 के दौरान आयोग को 100 लाख रुपए के अनुदान की अदायगी की जबकि अगस्त 1967 में मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने इसके लिए कुल 302 लाख रुपए की आवश्यकताओं (202 लाख रुपए भवनों के लिए और 100 लाख रुपए उपस्कर के लिए) का निर्धारण किया था। किन्तु आयोग ने 1968-69 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को केवल 70 लाख रुपए (अलीगढ़ 50 लाख रुपए और बनारस 20 लाख रुपए) की किस्तों में अदायगी की जिसमें से 31 मार्च 1969 को दो विश्वविद्यालयों के पास 24.51 लाख रुपए की राशि बिना व्यय किए हुए पड़ी हुई थी–अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पास 12 लाख रुपए और बनारस के पास 12.51 लाख रुपए बचे हुए थे।

यद्यपि 1968-69 में सरकार द्वारा दिए गए अनुदान में से आयोग के पास 30 लाख रुपए की राशि बची हुई थी तथापि उसने 1969-70 के दौरान सरकार से 100 लाख रुपए का और अनुदान (इसी प्रयोजन के लिए) प्राप्त किया जिसमें से उस वर्ष में दोनों विश्वविद्यालयों को केवल 34.70 लाख रुपए की राशि की ही अदायगी की गई। अतः 95.30 लाख रुपए के अनुदान की असामयिक अदायगी हुई और वह प्राप्त की गई। 1969-70 के दौरान विश्वविद्यालयों ने 44.53 लाख रुपए व्यय किए तथा 31 मार्च 1970 को उनके पास 14.68 लाख रुपए (अलीगढ़ 7.10 लाख रुपए और बनारस 7.58 लाख रुपए) के अनखर्चे शेष पड़े थे।

(दिल्ली प्रशासन)

29. **स्टाफ क्वार्टर**–दिल्ली प्रशासन द्वारा 1966 तक ग्राम्य क्षेत्रों में 5 स्कूलों में लगभग 2.56 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इकत्तीस स्टाफ क्वार्टर पिछले 4-5 वर्ष (दिसम्बर 1970) से बिना कब्जा किए पड़े हुए हैं। इनमें से बीस क्वार्टर पानी और बिजली के कनेक्शन न दिए जाने के कारण तथा उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत सस्ते प्राइवेट मकान मिल जाने के कारण खाली पड़े रहे। ग्यारह क्वार्टर (पहली योजना अवधि के दौरान 0.76 लाख रुपए की लागत से बनाए गए) सितम्बर 1965 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए और तत्पश्चात खराब स्थिति में होने के कारण वे क्वार्टर खाली पड़े रहे। ऐसा अनुमान है कि इन क्वार्टरों को फिर से कब्जा किए जाने योग्य बनाने के लिए उनकी विशेष रूप से मरम्मत किए जाने पर 31,050 रुपए की आवश्यकता होगी। अभी तक इन क्वार्टरों की मरम्मत नहीं की गई है (दिसम्बर 1970)।

बताया जाता है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी अन्य स्कूल के लिए निर्मित छः स्टाफ क्वार्टरों (लागत 0.50 लाख रुपए) का इस्तेमाल अब स्कूल के कार्यों के लिए किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

30. **सिविल रक्षा (चिकित्सा) पर व्यय–अस्पताली बिस्तरों की पूर्ति**–सिविल रक्षा संबंधी कार्यों के लिए 1965 में 6.96 लाख रुपए के मूल्य के अस्पताली बिस्तरों के 1600 सेटों की पूर्ति पांच राज्यों को की गई थी (दिल्ली, पंजाब और असम के लिए प्रत्येक को 200 तथा राजस्थान और

पश्चिमी बंगाल के लिए प्रत्येक को 500) । राजस्थान सरकार के पास पहले से ही 819 बिस्तर थे जब कि उसकी निर्धारित आवश्यकता 774 बिस्तरों की थी। 45 बिस्तर अधिक होते हुए भी स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय ने 1965 में 500 बिस्तरों की और पूर्ति कर दी। परिणामतः 1.40 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ जिसके 50 प्रतिशत अर्थात् 0.70 लाख रुपए की पूर्ति केन्द्र द्वारा की गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना इन बिस्तरों का उपयोग न किया जाए। परन्तु गत पांच वर्षों में निदेशालय ने यह पता तक नहीं किया कि आपातकाल में प्रयोग में लाए जाने के लिए इन बिस्तरों का अनुरक्षण किया गया है या नहीं तथा उन्हें उचित दशा में रखा जाता रहा है या नहीं (मई 1970)।

गृह मंत्रालय

31. **पूर्व-निर्मित इस्पात बैरकों का क्रय** :–अक्तूबर, 1968 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक ने एक फर्म को, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कार्मिकों को स्थायी बैरकें बनने तक, अस्थायी तौर पर एक केन्द्र पर आवासित करने के लिए, पूर्व-निर्मित इस्पात बैरकों (मूल्य 5.81 लाख रुपए) की पूर्ति के लिए आर्डर दे दिया। तुरंत आवश्यकता को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा इस खरीद के लिए महानिदेशक, निपटान और पूर्ति की पूर्वानुमति लेना भी आवश्यक नहीं समझा गया (अक्तूबर, 1968)। दिसम्बर 1968 में आवास, निर्माण तथा पूर्ति मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निदेश दिया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा सामग्री ठीक दशा में प्राप्त किए जाने के प्रमाण पत्र पर भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए। तदनुसार अगस्त और दिसम्बर 1969 में भुगतान (5.81 लाख रुपए) कर दिया गया। नवम्बर, 1969 में अधीक्षक इन्जीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, ने कहा कि बैरकों की संरचनात्मक स्थिरता में सुधार की अपेक्षा थी तथा न्यूनतम आवास की परिस्थितियां सुनिश्चित करने के साथ ही साथ बांस की चटाइयों को बदल देना (लागत 0.70 लाख रुपए) भी आवश्यक था, अतएव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए यह सम्भव न होगा कि वह इन संरचनाओं को अपने खातों में ले जाए अथवा वह इनका हिसाब रख सके। ऐसी दशा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को ही इन बैरकों के अनुरक्षण की सीधी व्यवस्था करनी चाहिए। ये सुधार अब तक (जुलाई, 1970) नहीं किए गए और चूंकि पूर्तिकार को समूची दर पर भुगतान किया जा चुका है, सुधार कार्य पर जो भी व्यय किया जाएगा वह सरकार पर पड़ेगा।

औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

32. **आयोडीकरण संयंत्र**:–नमक विभाग को पूर्वी राज्यों के गंडलक प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक बनाने और उसके वितरण के लिए हावड़ा के सरकारी नमक गोलहों में लगाए जाने के लिए 6 आयोडीकरण संयंत्र प्राप्त हुए। उन में से 50,951 रु० की लागत से अब तक चार संयंत्र लगाए जा चुके हैं ; एक प्रायोगिक संयंत्र दिसम्बर 1964 में और अन्य तीन मार्च, 1968 में। बाकी दो संयंत्र अभी तक पेटियों में बंद पड़े हैं। प्रायोगिक संयंत्र और अन्य तीन में से एक संयंत्र क्रमशः जून, 1965 और अगस्त 1968 में चालू किए गए। अन्य दो संयंत्र भी बारी-बारी से चलाए

जाते थे। 1969-70 को समाप्त हुए पांच वर्षों में उनके चालन और अनुरक्षण पर निम्नलिखित व्यय बताया गया–

वर्ष	रु०
1965-66	34,000
1966-67	40,707
1967-68	49,982
1968-69	1,89,073 (पोटेशियम आयोडट की लागत 1,37,579 रु० मिला कर)
1969-70	41,950

इस क्षेत्र की आयोडीन युक्त नमक की वार्षिक अनुमानित मांग 1,54,522 टन थी और 6 संयंत्रों की कुल वार्षिक क्षमता 1,32,000 टन थी। इसके मुकाबले वर्ष 1968 में आयोडीन युक्त नमक की पूर्ति 4,071 टन से अधिक न हुई जो दिसम्बर 1964 में लगाए गए अकेले प्रायोगिक संयंत्र की (12,000 टन) वार्षिक क्षमता से बहुत कम थी। वितरण की पर्याप्त व्यवस्था के बिना मार्च 1968 में अतिरिक्त 3 संयंत्रों को लगाने का व्यय निष्फल रहा।

विभाग ने क्षमता के कम उपयोग का यह कारण बताया है कि राज्य सरकारें गंडलक प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक के प्रवेश पर रोक लगाने और केवल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग का प्रबंध करने में असफल रहीं। मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) कि तीन अतिरिक्त संयंत्रों को लगाते समय पहले से यह नहीं देखा जा सका कि राज्य सरकारें गंडलक नियंत्रण परियोजना लागू करने की स्थिति में नहीं होंगी। मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर अन्य किसी राज्य सरकार ने निषेध आदेश जारी नहीं किए हैं। जैसे-जैसे राज्य सरकारें प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक के आयात पर प्रतिबंध लागू करती जाएंगी, यह योजना संतोषजनक ढंग से पूरी होती जाएगी।

सिंचाई और बिजली मंत्रालय

(दिल्ली प्रशासन)

33. **एक जल निकास योजना के व्यय का आबंटन**–1959 में दिल्ली में बाढ़ के नियंत्रण को तीन चरणों में पूरा करने के लिए नजफगढ़ जल निकास योजना को आरम्भ किया गया। पहले चरण में कीचड़ निकाल कर, ऊबड़-खाबड़ स्थानों को समतल करके तुरंत सहायता देना, दूसरे चरण में नाले को चौड़ा और गहरा खोद कर पर्याप्त मध्यावधिक सहायता देना तथा तीसरे चरण में वर्षा के 3-4 दिन के बाद ही पानी का निकास करके पूरी सहायता देने की व्यवस्था की गई थी।

1959 में 4.53 लाख रु० की लागत से पहले चरण को पूरा करने के बाद जून, 1962 तक 79.20 लाख रु० की अनुमानित लागत से दूसरे चरण को पूरा करने का काम शुरू किया गया। दूसरे चरण में काम जारी रखा गया क्योंकि 1964 में दिल्ली को भारी बाढ़ों का सामना करना पड़ा जिससे इस केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में 185 लाख रु० की जायदाद की हानि हुई।

जुलाई, 1963 में योजना की दूसरे चरण में नाले के जल निकास की क्षमता 900 क्यूजेक से 3,000 क्यूजेक तक बढ़ा दी गई। परिणामस्वरूप, व्यय के मूल अनुमान को 79.20 लाख रु० से 236.00 लाख रु० तक संशोधित कर दिया गया। अनुमानित व्यय में वृद्धि इन कारणों से हुई– (i) सामग्री, श्रम और अधिक समय के कारण लागत में वृद्धि, (ii) भूमि के अर्जन की लागत में वृद्धि, (iii) 1964 में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण आपात निर्माण कार्यों की आवश्यकता, (iv) नाले की पूरी लम्बाई में जल निकास की क्षमता में वृद्धि और (v) अतिरिक्त निर्माण कार्य जिन्हें दिल्ली जलपूर्ति के जल को दूषित होने से रोकने के लिए आवश्यक समझा गया।

दूसरे चरण को 1968-69 में 243.30 लाख रु० की लागत से पूरा किया गया।

योजना से फायदा उठाने वालों में से दिल्ली नगर निगम ने भारत सरकार से तदनरूपी सहायक अनुदान के बिना लागत के अपने भाग को देने में असमर्थता प्रकट की। अगस्त, 1962 में वित्त मंत्रालय निगम के हिस्से के 24 लाख रु० स्वयं देने को सहमत हो गया (यह राशि दूसरे चरण में विस्तार के कारण 94.97 लाख रु० तक बढ़ गई)।

हरियाणा राज्य को भी इस योजना से फायदा हुआ था। दिल्ली में 8,800 एकड़ भूमि के मुकाबले हरियाणे में 3,200 एकड़ भूमि को सहायता मिलने के आधार पर (यह अनुपात 73:27 बनता है) 1961 में हरियाणा का हिस्सा 10.96 लाख रु० नियत कर दिया गया। सितम्बर, 1962 में सिंचाई और बिजली मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माणकार्य विभाग के मुख्य इंजीनियर को (जो उस समय इस कार्य को करवा रहा था) यह सूचना दी कि योजना की लागत में किसी भी होने वाली वृद्धि के निरपेक्ष हरियाणा राज्य का हिस्सा 11 लाख रु० से अधिक नहीं बढ़ेगा। फरवरी, 1968 में बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर उस समय लगे दिल्ली प्रशासन के मुख्य इंजीनियर ने प्रशासन को बताया कि लागत के आबंटन का उपर्युक्त आधार सही नहीं है, और उसकी बजाए नजफगढ़ झील में बाढ़ का पानी जितने क्षेत्र से आता है उसके आधार पर होना चाहिए। इस बात के पक्ष में मुख्य इंजीनियर ने यह बताया कि दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में मंगेशपुर नाले की जल निकासी में यही सिद्धान्त लागू किया गया था। नजफगढ़ झील कुल अपवाह क्षेत्र के 279 वर्ग मील में से 151 वर्ग मील हरियाणा में है और 128 वर्ग मील दिल्ली में। दिल्ली और हरियाणा में लागत के आबंटन का मूल अनुपात 73:27 की बजाए 46:54 बनता है। इस सिद्धान्त के आधार पर दूसरे चरण में कार्यक्षेत्र के विस्तार के बाद हरियाणा राज्य का हिस्सा 131.38 लाख रु० बनता है। 73:27 के मूल अनुपात के अनुसार भी हरियाणा का हिस्सा 65.69 लाख रु० होगा।

हरियाणा सरकार ने मूल अनुमान के 11 लाख रु० से अधिक किसी प्रकार के दायित्व को लेने से इन्कार कर दिया। मूलतः आबंटित 11 लाख रु० की राशि इस सरकार ने अभी तक (नवंबर 1970) अदा नहीं की है।

तीसरे चरण का कार्य 1965-66 में आरम्भ कर दिया गया। उसका अनुमानित परिव्यय 232.07 लाख रु० है। उसकी लागत के आबंटन का अभी तक (जुलाई, 1970) फैसला नहीं किया गया है। मार्च, 1970 तक इस पर 167.16 लाख रु० का व्यय हो चुका है जिसे मंत्रालय ने वहन किया है।

सरकार ने नवंबर, 1970 में यह बताया है कि लागत के विभाजन का प्रश्न केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के विचाराधीन है। दिल्ली और उसके निकटस्थ क्षेत्रों के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अगली बैठक में इस प्रश्न पर भी चर्चा की जाएगी। आबंटन के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद शीघ्र ही बकाया रकमें वसूल की जाएंगी।

34. **नजफगढ़ लिफ्ट सिंचाई**—मई, 1962 में भारत सरकार ने नजफगढ़ के लिए (6.55 लाख रु० की अनुमानित लागत पर) लिफ्ट सिंचाई की एक योजना की स्वीकृति दे दी ताकि नजफगढ़ झील में आर० एल० 688 तक संगृहीत पानी आस-पास के गांवों में सिंचाई की सुविधाएं देने के काम आ सके। इस योजना को 1965 में आरंभ किया गया। इस बीच अगस्त, 1964 में भारत सरकार ने दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई। अप्रैल, 1965 में इस समिति ने दूसरी बातों के अतिरिक्त यह सिफारिश दी कि नजफगढ़ झील में पानी का स्तर आर० एल० 686 तक नीचे लाया जाए। भारत सरकार ने जुलाई, 1965 में इस सिफारिश को मान लिया। तथापि लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य पूर्ववत् चलता रहा। मई, 1968 में केन्द्रीय जल और बिजली आयोग ने यह देखा कि आर० एल० 686 और आर० एल० 688 के बीच 4,600 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र डूबा हुआ है। उसके मुकाबले, योजना से लगभग 3,800 एकड़ की सिंचाई हो सकती थी और वह भी लिफ्ट सिंचाई से ही जिस पर पंप आदि लगाने में अधिक व्यय करना पड़ता। इस योजना को अगस्त, 1969 में छोड़ दिया गया क्योंकि तकनीकी कठिनाइयों के अतिरिक्त गांव वाले भी योजना को पूरा करने के विरुद्ध थे। इस प्रकार इस योजना पर जनवरी, 1970 तक किया गया 2.73 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

मंत्रालय ने नवंबर, 1970 में यह बताया है कि (87,376 रु० की लागत से) इस उद्देश्य से अधि-गृहीत भूमि को चालू बाजार भाव पर बेचने का फैसला किया गया है और योजना के अन्तर्गत (50,681 रु० की लागत) से खरीदे गए पंपों को प्रशासन के अधीन चलने वाली अन्य योजनाओं को अंतरित कर दिया जाएगा।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

35. **पट्टेदारों के किराये नियत करने और अतिरिक्त किराये की वसूली में देरी**—पुनर्वास विभाग ने 1948 में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को फिर से बसाने के लिए पटेल नगर, नई दिल्ली में 348 एकड़ भूमि अर्जित की। क्षेत्र के विकास के बाद विस्थापितों को निम्नलिखित शर्तों पर प्लाट, मकान और दुकानें पट्टे पर दी गईं :

(क) "————————से आरंभ हुए पट्टे के पहले पांच वर्षों के लिए पट्टा दाता द्वारा नियुक्त अधिकारी, पेशगी देय जमीन का वार्षिक किराया (वर्ष के अंश के लिए उस किराये का एक आनुपातिक भाग देय होगा) इस प्रकार निश्चित करेगा। वह अधिकारी जमीन की सरकारी लागत निर्धारित करेगा। इस लागत में भूमि के विकास और उसे अर्जित करने में खर्च हुई राशियों और अन्य प्रासंगिक खर्च शामिल होंगे। जमीन का किराया उक्त लागत पर उस ब्याज के बराबर होगा, । जिसे पट्टे की तारीख को उधार की सरकारी दर पर परिकलित किया जाएगा।

जब तक जमीन का किराया निर्धारित नहीं हो जाता, पट्टेदार प्रति वर्ष———— रुपये जमीन का नियत किराया अदा करता रहेगा। उक्त रीति से जमीन का किराया निर्धारित हो जाने पर उसके द्वारा अदा की गई राशि किराए की अदायगी से समायोजित कर दी जाएगी, अथवा यथास्थिति, यदि उसने अधिक किराया अदा किया हो तो उसे उतनी राशि लौटा दी जाएगी।

(ख) अगले 15 वर्षों में उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट जमीन के किराए के अलावा उक्त जमीन की आधी सरकारी लागत जिसे उपर्युक्त (क) के अनुसार निर्धारित किया गया हो।"

आबंटन की आरंभिक अवस्था में जब भूमि के अर्जन की वास्तविक लागत और विकास प्रभार उपलब्ध नहीं थे, जमीन की लागत अनंतिम रूप में 11 रुपये प्रति वर्ग गज नियत की गई थी और जमीन का निम्नलिखित किराया नियत किया गया था —

(i) पहले पांच वर्षों में जमीन का किराया	200 वर्ग गज के प्लाट का 69/5/रु० वार्षिक ।
(ii) अगले 15 वर्षों में जमीन का किराया और भूमि के अर्जन और विकास की लागत का 1/30 ।	200 वर्ग गज के प्लाट का 146/5/रु० वार्षिक

तथापि भूमि के अर्जन की वास्तविक लागत और उसके विकास पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए 1968 में विकसित भूमि की वास्तविक लागत 28 रुपये प्रति वर्ग गज बनी । परिणाम-स्वरूप मूल पट्टेदारों से प्रीमियम और जमीन के वसूली योग्य किराये में वृद्धि आवश्यक हो गई ।

फरवरी, 1968 में विधि मंत्रालय ने, जिसे पट्टेदारों से अतिरिक्त प्रभार की वसूली की संभावना पर विचार करने के लिए कहा गया था, बताया कि

"क्योंकि पिछली शर्तों के अनुसार प्रीमियम और किराया अनंतिम था और उसका उचित निर्धारण भूमि के अर्जन और विकास की लागत के निर्धारण के बाद होना था, इसलिए पट्टेदारों को प्रीमियम और किराए की अन्तिम निर्धारित रकम देनी पड़ेगी ।"

मंत्रालय ने यह भी कहा कि चूंकि पुराने पट्टों के बारे में देय रकम को दोबारा नियत करने की सरकार की मांग मजबूत है इसलिए उन पट्टेदारों से प्राप्य प्रीमियम और किराये को दोबारा निश्चित करना उचित है ।

विधि मंत्रालय के परामर्श पर मई, 1968 में मंत्रालय ने नई दिल्ली के क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त को यह अनुदेश जारी किए कि क्योंकि विकसित प्लाटों की वास्तविक लागत 28 रुपये प्रति वर्ग गज है इसलिए दोबारा मूल्यांकन करने के बाद पट्टे पर दिए गए प्लाटों, मकानों और दुकानों के प्रीमियम और किरायों में संशोधन किया जाए और पट्टेदारों से कहा जाए कि वे पहले अदा की गई रकम से अधिक जो रकम उनको अब अदा करनी हो उसे अदा कर दें । ऐसा बताया गया है कि क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त ने प्रीमियम का परिशोधन कर दिया है और अन्तर की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, पट्टेदारों ने अन्तर की अदायगी नहीं की और वे इस विषय पर बातचीत करना चाहते थे । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

मंत्रालय ने (दिसम्बर, 1970) यह बताया कि उपर्युक्त व्यौरे उन पट्टेदारों से प्रीमियम और जमीन के किराए की वसूली से संबंधित थे जिन्हें भूमि के अर्जन और विकास की वास्तविक लागत के आधार पर प्लाट दिए गए थे । जिन पट्टेदारों ने प्रति 100 वर्ग गज पर 1 रुपया वार्षिक जमीन-किराया देने की शर्त पर प्लाट लिए थे उन पट्टेदारों के प्रीमियम को दोबारा निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन है । विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार जिन पट्टेदारों को पट्टा विलेख जारी किए गए थे उन्हें अन्तर की अदायगी के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पट्टे की शर्तों में ऐसी अदायगी

के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि 1600 व्यक्तियों को परिशोधित आधार पर विक्रय विलेख जारी होने अभी बाकी हैं और दिल्ली के क्षेत्रीय बंदोबस्त आयुक्त को कहा गया है कि वह पट्टेदारों से अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली करे और पट्टेदारों से अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने के बाद ही उन्हें विक्रय विलेख जारी किए जाएं।

अन्य पुनर्वास कालोनियों में भूमि के अर्जन की ऊंची लागत के परिणामस्वरूप किरायों में उसी प्रकार का परिशोधन किया जाए या नहीं और यदि परिशोधन आवश्यक है तो ऐसी कालोनियाँ कौन-कौन सी हैं और अनुमानित रकम कितनी है, यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर, 1970)।

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन विभाग)

36. **कांडला पत्तन में निकर्षण पोत का कार्य**--1966 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) के पैरा 73 में 89.91 लाख रुपये की लागत के 'एस० डी० कांडला' निकर्षण पोत की सुपुर्दगी में हुई देरी के कारण (निर्माताओं द्वारा) निर्धारित क्षतिमूल्य की वसूली न होने का उल्लेख किया गया था। यह निकर्षण पोत जुलाई, 1962 में पत्तन में प्राप्त हुआ।

निकर्षण पोत के निर्माताओं से हुए करारनामे में दूसरी बातों के अतिरिक्त इन बातों की भी व्यवस्था थी--

(i) कांडला में इस बात का प्रदर्शन करने के लिए परीक्षण किए जाएंगे कि स्थानीय स्थितियों में निकर्षण पोत का कार्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा--

(क) महीन रेत और कठोर मिट्टी में कटाई और निकर्षण	500–600 घन मीटर प्रति घंटा
(ख) मोटी रेत में	800–1000 घन मीटर प्रति घंटा
(ग) नरम कीचड़ में	2500–3000 घन मीटर प्रति घंटा

(ii) संतोषजनक परीक्षणों के बाद कांडला में निकर्षण पोत की स्वीकृति के दिन से बारह मास के दौरान निकर्षण पोत के किसी भी भाग में यदि खराबी हो जाए तो निर्माता उन खराबियों को दूर करेंगे। यदि उचित समय के अन्दर खराबियों को दूर न किया गया और परामर्शी इंजीनियरों ने यदि ऐसा मत व्यक्त किया कि खराबियों को संतोषजनक ढंग से दूर नहीं किया जा सकता, या उन्होंने निकर्षक को निर्दिष्ट कार्य के अनुपयुक्त या अक्षम बताया तो सरकार ठेके के विषय में ऐसा निश्चय कर सकती है जिससे ठेकेदार को अदा किया गया सारा धन उसके द्वारा सरकार को वापस करना पड़े।

जुलाई, 1962 और सितम्बर, 1962 के बीच किए गए तल-मार्जन परीक्षणों से इन दोषों का पता चला--दाईं ओर के इंजनों के कम दाब वाले सिलेंडर में खट-खट की आवाज, सिलेंडरों द्वारा असमान भार लेने के कारण इंजन में असंतुलन और ईंधन की अधिक खपत। पिस्टन दण्ड मुड़ा हुआ था और इसे बदलने के बाद भी इंजन के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ। (लायड्स के वरिष्ठ सर्वेक्षक

की सलाह पर) जून, 1963 में (निर्माताओं के खर्च पर) अति-तापक लगाए गए, फिर भी खट-खट की आवाज जारी रही और सूचक आरेखों ने संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाए। परामर्शी इंजीनियरों ने जुलाई, 1963 में यह कहा कि जो दिक्कतें पेश आई हैं, उन्हें देखते हुए ठेकेदारों को कम से कम, गारंटी की अवधि निकर्षण-पोत की स्वीकृति की ता ीख से 7 वर्ष तक बढ़ा देनी चाहिए। विनिर्माता 7 वर्ष की गारंटी देने को तैयार न था। सरकार ने सितम्बर, 1963 में कांडला में निकर्षण पोत को स्वीकार कर लिया। एक बैंक गारंटी सहित प्रणोदन और पंप इंजनों के लिए (6.93 लाख रुपए की जो ठेके के मूल्य का 10 प्रतिशत थी) गारंटी अवधि चार वर्ष के लिए बढ़ा दी गई और विनिर्माता इसके लिए राजी हो गया। बढ़ाई गई गारंटी अवधि के दौरान बंबई में ठेकेदार और परामर्शी इंजीनियरों के प्रतिनिधियों के सामने छः महीने बाद, बारह महीने बाद, दो वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद इंजनों को खोला जाना था। विनिर्माताओं से अगस्त, 1963 में एक पूरक करार किया गया जिसमें व्यवस्था थी कि पाए गए दोष यदि दोषयुक्त डिजायन अथवा दोषपूर्ण कारीगरी आदि के कारण होंगे तो चार वर्ष की गारंटी अवधि पुनः निर्धारित की जाएगी। हर बार मुख्य पंप और सहायक इंजनों को खोल कर परीक्षण के बाद देखे गए दोष विनिर्माता को सूचित किए गए। विनिर्माताओं ने कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया, पर बढ़ाई गई गारंटी अवधि समाप्त होने से पूर्व वे समस्या को स्थायी रूप से हल न कर सके। बढ़ाई गई गारंटी-अवधि दिसम्बर, 1967 में समाप्त हो गई। चार वर्ष की गारंटी अवधि पुनः निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि परामर्शी इंजीनियरों ने अपने बकाया बिलों की इस आधार पर अदायगी न होने के कारण (वित्त मंत्रालय की सलाह पर) कि उन्होंने अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं किया था, चौथी और अन्तिम बार इंजन खोलने की रिपोर्ट नहीं दी थी।

निकर्षण पोत का कार्य केवल 250 घन मीटर प्रति घंटा था जो विशिष्टियों में दिए गए कार्य से बहुत कम था। निकर्षण पोत तीन सामान्य पालियों की बजाय अक्तबर, 1963 से जून, 1967 तक दिन में केवल एक पाली में ही काम कर सका। और जुलाई, 1967 से दिसम्बर, 1969 तक दिन में दो पालियों में काम कर सका अप्रैल, 1968 से जून 1968 तक तीन महीने की अवधि ही इसकी अपवाद है जब पोत ने एक दिन में 3 पालियों में काम किया (जनवरी, 1970 से अप्रैल, 1970 तक निकर्षण पोत बम्बई, में सूखी बन्दरगाह में रहा)। इससे एक सप्ताह में 25 घंटे की औसत निकलती है।

मई, 1968 में पत्तन इंजीनियर ने सहायक मशीनों-जैसे, वाष्प डाइनेमों इंजन, स्नेहक तेल पंप, फोर्सड ड्राट फैन इंजन, स्टेयरिंग गयर इंजन, वर्तीय पंप इंजन, द्रवचालित इंजन, डूप्लेक्स पंपों के पानी वाले सिरों, कोलोग्राफ स्नेहन तंत्र, टैकोमीटरों आदि में विभिन्न दोषों की सूची बनाई और बताया कि चूंकि मुख्य और पंप इंजनों न वांछित कार्य नहीं किया है, उन्हें सहायक इंजनों के कार्य न करने के कारण बार-बार रोकना पड़ा। उसन सुझाव दिया कि इसलिए इन सभी इंजनों की गारंटी-अवधि, जब सब दोष दूर कर दिए जाएं उसके बाद, और बारह महीने की बिना दिक्कत सर्विस तक बढ़ा दी जाए।

कांडला जलमार्ग में कीचड़ जमा हो जाने की समस्या का अध्ययन करने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने नवम्बर, 1968 में बताया कि नवम्बर, 1967 से नवम्बर, 1968 के दौरान जहां 370 लाख घनफुट कीचड़ जमा हुई, वहां निकर्षण पोत केवल 180 लाख घनफुट कीचड़ ही बाहर निकाल सका। इस तरह 190 लाख घनफुट कीचड़ बाकी पड़ी रही जिसे जलमार्ग

को चालू रखने के लिए निकालना आवश्यक है। सितम्बर, 1963 से सितम्बर, 1968 के दौरान पांच वर्षों में 160 लाख घनफुट कीचड़ इकट्ठी हो गई और पत्तन को निकर्षण पोत की मरम्मत और इसके पुर्जे बदलने पर 23.58 लाख रुपए (इसमें इंजन खोलने और पोत की विशेष सर्विस पर 19.04 लाख रुपए का व्यय शामिल है) (अगस्त, 1970 तक) खर्च करने पड़े। यह व्यय ठेकेदार से वसूली योग्य 1.87 लाख रुपये के व्यय के अतिरिक्त है। 1968 में कालादारा रेत बांध के टूटने के कारण कीचड़ की मात्रा बढ़ गई। उसे निकालने की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्तन-न्यास ने अक्तूबर, 1968 से मई, 1969 तक भारतीय जहाजरानी निगम से एक निकर्षण पोत किराए पर लिया। भारतीय जहाजरानी निगम की निकर्षण पोत से किराया प्रभार की 52.23 लाख रुपए की मांग में से पत्तन-न्यास ने 15.43 लाख रुपए की अदायगी कर दी है (मार्च, 1970) शेष राशि की मांग के निपटारे के लिए पत्र-व्यवहार हो रहा है (दिसम्बर, 1970)।

37. **मंगलौर पत्तन परियोजना : लांचों का आसादन**—सरकार ने अप्रैल, 1964 में सर्वेक्षण के लिए और एक सर्वेक्षण लांच के आसादन के लिए 3.96 लाख रुपए की मंजूरी दी। विशिष्टियां तैयार करने और पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के जरिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद दिसम्बर, 1965 में एक फर्म को लांच का आर्डर दे दिया गया। लांच (मूल्य 4.71 लाख रुपए) की पूर्ति 10 महीने में की जानी थी। बाद में सुपुर्दगी की अवधि जुलाई, 1967 तक बढ़ा दी गई। यद्यपि परियोजना के प्राधिकारियों ने बम्बई में वर्कशाप से लांच की सुपुर्दगी मई, 1967 में ले ली थी, मानसून के कारण इसे अक्तूबर, 1967 तक मंगलौर नहीं लाया जा सका। इसी बीच सर्वेक्षण का अधिकांश कार्य लांचों को किराए पर लेकर पूरा कर लिया गया था; अप्रैल 1965 से दिसम्बर 1967 तक की अवधि का किराया प्रभार 2.07 लाख रुपए था।

मंत्रालय ने फरवरी, 1969 में बताया कि सर्वेक्षण लांच की निर्माण से पहले की अवस्था और निर्माण की अवस्था के दौरान, तथा समुद्रतल का जल सर्वेक्षण करने के लिए और प्रवेश जलमार्ग तथा घुमाव बेसिन के मुख्य तल-मार्जन का माप लेने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। लांच के कार्य की समीक्षा से यह पता चला कि जहां लांच का एक वर्ष में 1600 घंटों तक उपयोग किया जा सकता था, वहां अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1970 की अवधि के दौरान उसका उपयोग केवल 791 घंटों तक किया जा सका। यदि इस अवधि के लिए कोई गैर-सरकारी लांच किराए पर लिया जाता तो देय किराया केवल 0.53 लाख रुपए होता।

लगभग 2.70 लाख रुपए की लागत पर मई, 1968 में एक निरीक्षण लांच का आसादन किया गया था (वास्तविक लागत अभी तक निश्चित नहीं हुई है)। नवम्बर, 1968 में इसने दस दिनों में कुल मिलाकर 28 घंटे काम किया है, पर इसके अलावा यह जब से खरीदा गया है तब से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है।

इन दो लांचों के चालक-दल पर अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1970 तक 0.89 लाख रुपए का व्यय किया गया।

योजना आयोग

38. **समाज-अर्थशास्त्रीय अनुसंधान**—सरकार ने जुलाई, 1953 में योजना आयोग के तत्वावधान में राष्ट्रीय विकास की सामाजिक आर्थिक, और प्रशासनिक समस्याओं के अनुसंधान और जांच-पड़ताल के लिए एक योजना शुरू की। अलग-अलग योजनाएं विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त शोध संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित की जानी थीं और जांच पड़ताल तथा अनुमोदित रिपोर्टों

के प्रकाशन का व्यय पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई थी । ऐसी 303 अनुसंधान योजनाओं के लिए 1953–54 से 1969–70 तक अधिकांशतः अनुदानों के रूप में 165.70 लाख रुपए खर्चे गए, (125.92 लाख रुपए अप्रैल 1967 से पहले खर्च किए गए थे) ।

योजना के कार्य की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :—

(i) **जांच पड़ताल की धीमी प्रगति**—303 अनुसंधान योजनाओं में से 3 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और 123 योजनाएं पूरी हो गईं और 1956 से 1970 के बीच उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई । 30 सितम्बर, 1970 को शेष 177 योजनाओं की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है :—

	संख्या	व्यय (लाख रु० में)
(क) (i) योजनाएं पूरी हो गईं पर रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाएंगी	36	10.80
(ii) प्रायोगिक अध्ययन जो प्रकाशित नहीं होने हैं	10	0.70
(ख) जिन योजनाओं की रिपोर्टें छप रही हैं	22	8.40
(ग) जिन योजनाओं की रिपोर्टें प्रकाशन के लिए अनुमोदित हो चुकी हैं	14	4.80
(घ) जिन योजनाओं की रिपोर्टें पुनरीक्षण/परीक्षाधीन हैं	49	18.20
(ङ) जिन योजनाओं की रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं	43	18.50
(च) जिन योजनाओं की रिपोर्टें सरकारी सहायता के बिना प्रकाशन के लिए अनुमोदित हो चुकी हैं	3	1.00
जोड़	177	62.40

अनुसंधान परियोजनाएं सामान्यतः 12 से 24 महीनों की अवधि के लिए थीं और इसी अवधि के बीच आंकड़े संग्रह करने, संकलन, विश्लेषण और रिपोर्ट का मसौदा बनाने का काम पूरा होने की आशा थी । अब तक प्राप्त न हुई रिपोर्टों में से [ऊपर मद (ङ)] 36 रिपोर्टों में 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब हो चुका है , विलम्ब की अवधि दो से आठ वर्ष है ।

योजना आयोग ने बताया है (नवम्बर, 1970) कि 1960 से प्रवर्तित अध्ययनों के कुल मामलों में से 100 मामलों की समीक्षा से पता चला कि "ऐसी योजनाओं के अनुपात में, जिनकी रिपोर्ट 3 वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो गई थीं, पिछले 8 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर शून्य से 100 प्रतिशत सुधार हुआ है । तीसरी योजना के बाद विशेष रूप से सुधार हुआ है ।"

(ii) **जांच-पड़तालों के परिणामों का उपयोग**––योजना आयोग द्वारा जांच-पड़ताल क परिणामों के उपयोग के मामले की परीक्षा के लिए गठित एक उप समिति ने अगस्त 1966 में यह बताया कि जहां कुछ क्षेत्रों में (फार्म-प्रबंध, सिंचाई परियोजनाएं, श्रम और रोजगार तथा औद्योगिक संबंध) सर्वेक्षण के परिणाम संतोषजनक रहे हैं, चौथी योजना के प्रतिपादन के लिए अन्य क्षेत्रों में अध्ययनों के परिणामों का उपयोग संतोषप्रद नहीं रहा है। उप समिति ने यह भी कहा, "जहां परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी हुई है, जांच की रूपरेखा ध्यान से तैयार नहीं की गई, निष्कर्ष और जांच-परिणाम, नीति और कार्य के अनुकूल नहीं थे और उपयोग करने वाली एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए उपयोग इतना संतोषजनक नहीं रहा।" जांच-पड़ताल के परिणामों के उपयोग का ऐसा कोई अध्ययन बाद में नहीं किया गया।

योजना आयोग ने बताया है (दिसम्बर 1970) कि उपयोग की प्रक्रिया बिल्कुल प्रारम्भ से ही शुरू होती है जब परियोजना निदेशक और योजना आयोग के बीच विचारों का आदान-प्रदान ऐसी परिकल्पना पर होता है जिसका परीक्षण अनुसंधान-परियोजना के दौरान होना हो। परियोजना की अवधि के दौरान परियोजना निदेशक और योजना आयोग के बीच लगातार पुर्नानिवेशन और विचारों के आदान-प्रदान से जांच अवस्था के दौरान ही और अन्तिम रूप में रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त होने से बहुत पहले ही अनुसंधान परियोजना द्वारा दिए गए आंकड़ों का योजना-प्रक्रिया में ही उपयोग हो जाता है।

विविध अनियमितताएं

39. विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध विविध अनियमितताओं, हानियों आदि के मामले इस रिपोर्ट के परिशिष्ट I में दिए गए हैं।

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

40. **नए बने हुए क्वार्टर**––सन्तरागाची में भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारी वर्ग के लिए 616 क्वार्टरों (256 टाइप I, 288 टाइप II, 64 टाइप III, और 8 टाइप IV क्वार्टर) के निर्माण के लिए दिसम्बर 1964 और जून 1965 के दौरान तीन ठेकेदारों को ठेके दिए गए। यद्यपि ये क्वार्टर मई 1968 में पूरे हो गए थे, इनमें से 290 क्वार्टर 31 मार्च 1970 को खाली पड़े थे। इससे प्रत्याशित प्राप्तकर्ताओं को मकान किराया भत्ते के रूप में अदा किए गए परिहार्य वार्षिक आवर्ती व्यय के अतिरिक्त 4.20 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार मुद्रणालय के अहाते में बनाए गए 14 अन्य क्वार्टरों में से 6 क्वार्टर जब से पूरे हुए हैं तब से अभी तक (मार्च 1970) खाली पड़े हैं। इन क्वार्टरों का आबंटन न किए जाने के कारण राजस्व की संभावित हानि निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि इन क्वार्टरों का मानक किराया अभी निश्चित किया जाना है।

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) कि क्वार्टर इस लिए खाली पड़े हैं क्योंकि संचार, बाजार तथा स्कूल आदि के लिए स्थल से असुविधा के कारण कर्मचारी इन क्वार्टरों को लेने को राजी नहीं हैं।

41. **जल-मीटरों का आसादन**––केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ओखला में आर्थिक सहायता दत्त औद्योगिक आवास योजना के "800 घरों का निर्माण अवस्था I और 384 घरों का निर्माण अवस्था II" निर्माण-कार्य के लिए 68.00रु०प्रति मीटर की ठेका-दर की बजाय 228.19 रु० की टेंडर दर पर अक्तूबर–दिसम्बर 1968 के दौरान 20 मि० मी० ($\frac{3}{4}$") आकार के 1184 घरेलू जल-मीटरों का आसादन किया। इससे 1.90 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दर ठेकों की शर्तों के अनुसार पूर्ति भारतीय मानक संस्था की विशिष्टियों के अनुरूप होनी चाहिए पर ठेकेदारों के साथ किए गए करारनामों में ऐसी किसी विशिष्टि का उल्लेख नहीं किया गया।

ब्यास परियोजना

42. **खराब पहियों का स्वीकार किया जाना**–खान-गाड़ियों के लिए द्रुतशीतित ढलवां लोहे के 494 पहियों की खरीद के लिए एक फर्म को दिसम्बर 1966 में आर्डर दिया गया। फर्म द्वारा बिना मशीनी कृत पहियों की पूर्ति की जानी थी। उनका मशीनी काम ब्यास परियोजना के वर्कशाप में किया जाना था। भेजने से पहले पहियों का पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय की निरीक्षण निदेशक द्वारा निरीक्षण किया गया जिसने उन्हें पास कर दिया। फर्म के साथ किए गए करार के अनुसार 90 प्रतिशत अदायगी रेलवे रसीदों की प्राप्ति पर की गई। परियोजना में प्राप्ति के बाद

पहियों के मशीनीकरण में उनमें वातछिद्र और ढलाई की अन्य खराबियां पायीं गई । फर्म ने खराब पहियों को इस आधार पर बदलने से इन्कार कर दिया कि भेजे जाने से पहले पहियों का निरीक्षण-निदेशक द्वारा निरीक्षण किया गया था और उन्हें पास और स्वीकार कर लिया गया था । निरीक्षण निदेशक का जिसने दृष्टिक जांच के बाद केवल आयाम संबंधी शुद्धियों की पड़ताल की थी, तर्क यह था कि चूंकि खरीद-आर्डर में पहियों के मशीनीकरण के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसे निरीक्षण के दौरान वात-छिद्रों का पता न लगा सकने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उक्त छिद्रों का पता पहियों के मशीनीकरण के बाद ही लग सकता था और पहियों के मशीनीकरण का काम इस मामले में प्रेषिती द्वारा किया जाना था । दूसरी ओर सिंचाई और बिजली मंत्रालय का यह मत है चूंकि यह मालूम था कि इस प्रकार के काम में वात छिद्र हो सकते हैं, यह पता करना निरीक्षण निदेशक का काम था कि वातछिद्रों का पता कैसे लगाया जाय । वास्तव में वातछिद्रों का पता एक्स-रे द्वारा लगाया जा सकता था (एक्सरे जांच एक विशिष्ट परीक्षण है) ।

90 प्रतिशत अदायगी, माल भाड़ा, घाट भाड़ा, मशीनीकरण और अन्य विविध प्रभारों पर किया गया कुल व्यय 92,764 रुपए था । पूर्तिकर्ता का कोई भी बिल विभाग या महानिदेशक, पूर्ति और निपटान के पास बकाया नहीं है । फर्म ने श्रमिक संबंधी परेशानियों के कारण अपना कारोबार बंद कर दिया है ।

सरकार ने यह सूचित किया है (नवम्बर 1970) कि फर्म से वसूली के मामले के विवाचन की कार्यवाही आरंभ की गई है और अस्वीकृत पहियों के रद्दी लोहे का मूल्य 0. 26 लाख रुपए है ।

भाखड़ा प्रबंध बोर्ड

43. **संचारण लाइनों के निर्माण में विलम्ब***––एक फर्म को सात संचारण लाइनों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न आकारों के 2,285 इस्पाती स्तंभों की पूर्ति के लिए 233 लाख रुपए के मूल्य का एक आर्डर दिया गया (जनवरी 1963) । संविदा के अनुसार, कारखाने में संयोजन करने और प्रत्येक प्रकार के एक एक स्तम्भ के निरीक्षण के बाद 750 दीर्घटन प्रति मास की दर से पूर्ण स्तंभों की, प्रतिखेप 200 स्तंभों के हिसाब से, पूर्ति की जानी थीं । अग्रताप्राप्त तीन लाइनों के लिए स्तंभों का निर्माण मार्च 1964 तक और शेष लाइनों के लिए अक्तूबर 1965 तक पूरा होने की आशा थी ।

अप्रैल 1963 में फर्म ने यह सूचित किया कि वह इस्पात की उपलभ्यता के अनुसार स्तंभों की उनके विभिन्न हिस्सों की विभिन्न मात्राओं के रूप में पूर्ति कर सकती है, प्रत्येक प्रेषण में पूर्ण स्तंभों की पूर्ति नहीं जैसा कि संविदा में निर्दिष्ट किया गया था । प्रेषिती इस बात के पक्ष में नहीं थे और अप्रैल, 1963 में ही फर्म को 200 स्तंभ प्रति खेप के हिसाब से पूर्ण स्तंभ सामग्री की पूर्ति करने को कहा गया (जैसा कि संविदा में निर्दिष्ट था) । लेकिन आवश्यकता के क्रम की ओर ध्यान न देते हुए फर्म द्वारा 9 अगस्त, 1963 से हिस्सों में पूर्ति की गई और पूरी पूर्तियां 1969 के मध्य तक की गईं ।

अर्थ दण्ड के बारे में, जो आर्डर के मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से 11. 65 लाख रुपए होता है, अभी तक (नवम्बर 1970) कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

*यह पैरा मंत्रालय को सितम्बर, 1970 में भेजा गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1971) ।

खरीद आर्डर के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी भी आयात लाइसेंस की व्यवस्था नहीं की जानी थी और फर्म को स्वयं ही इस्पात की अपेक्षित मात्रा की व्यवस्था करनी थी लेकिन फर्म द्वारा इस्पात के कुछ दुर्लभ खण्डों को प्राप्त न कर सकने के कारण उसे अक्तूबर 1966 में आवश्यकता से अधिक आकार के आयातित इस्पात खण्डों का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई जिसमें 480 टन इस्पात और इस्तेमाल हुआ और इसके कारण बोर्ड को मूल संविदा की राशि से 6.41 लाख रुपए अधिक की अदायगी करनी पड़ी। इस राशि को फर्म से वसूल करने के बारे में अभी तक (फरवरी 1971) निर्णय नहीं किया गया है।

संचारण-लाइनों के निर्माण में विलम्ब होने के कारण जून 1963 में प्राप्त विद्युत-रोधी सामग्री (मूल्य 13 लाख रुपए) एक वर्ष से पांच वर्ष तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

44. **विद्युत-संवाहक की खरीद***—220 किलोवाट की विभिन्न संचारण लाइनों के निर्माण के लिए 2,000 मील एल्युमिनियम क्रोड इस्पात प्रबलित संवाहकों की पूर्ति के लिए (9,909 रुपए प्रति मील की दर से 4 प्रतिशत घटौती पर, लुधियाना तक रेलपर्यन्त निष्प्रभार) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के मुख्य इंजीनियर द्वारा एक फर्म को दिसम्बर 1962 में आर्डर दिया गया। पूर्तियां सितम्बर 1963 से आरंभ होनी थीं और जुलाई 1964 में पूरी हो जानी थी। स्वयं फर्म को ही अपने कोटा प्रमाणपत्र से आवश्यक कच्चे माल के आयात का प्रबंध करना था। खरीद आर्डर में की गई व्यवस्था के अनुसार, सीमा-शुल्क में वृद्धि और विनिमय दर में परिवर्तन को छोड़कर, मूल्य में किसी भी अन्य कारण से वृद्धि नहीं की जा सकती थी।

कोई भी पूर्ति किए जाने से पहले फर्म ने मार्च 1963 में यह बताया कि चीनी आक्रमण और उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा आयात लाइसेंसों के बन्द किए जाने के कारण फर्म को मजबूर होकर देशी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आयातित धातु से अधिक मंहगा है और इसी कारण फर्म ने कीमत में वृद्धि की मांग की। इसलिए, जनवरी 1965 में यह फैसला हुआ कि फर्म, उसे पहले से दिए गए 680 मीटरी टन आयातित एल्युमिनियम से विनिर्मित 472 मील संवाहक की पूर्ति पुरानी दर पर करेगी और देशी एल्युमिनियम से विनिर्मित शेष लम्बाई अर्थात 764+764 की पूर्ति 11,158.98 रु० प्रति मील, और 11,274.37 रु० प्रति मील की दर में 4 प्रतिशत घटौती देकर की जाएगी।

अगस्त 1965 में फर्म ने संवाहक के विनिर्माण में (खरीद आर्डर में निर्दिष्ट आयातित तार के बजाय) देशी उच्च तारों के उपयोग के कारण मूल्य में और अधिक वृद्धि की मांग की, और 1966 में प्रति मीटरी टन 600 रुपए की तदर्थ वृद्धि के बारे में सहमति हो गई। लेकिन, इसी बीच, अर्थात् जून 1966 में, फर्म ने विभाग को यह सूचित किया कि विभाग द्वारा इस आर्डर से संबंधित विभिन्न अनिर्णीत मामलों को (जैसे मूल्य में वृद्धि) अन्तिम रूप देने में अप्रत्याशित विलम्ब के कारण फर्म को दिया गया देशी कच्चा माल समाप्त हो गया है, इसलिए उसने यह सुझाव दिया कि उसे आयातित सामग्री के उपयोग की अनुमति दे दी जाय जिसे सरकार द्वारा घोषित नई आयात नीति के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है किन्तु रुपए के अवमूल्यन के कारण वह और अधिक मंहगा होगा और इस कारण मूल्य में उचित समायोजन (अर्थात वृद्धि) आवश्यक होगा। तदनुसार, नवम्बर 1967 में खरीद आर्डर में एक संशोधन जारी किया गया जिसके अनुसार, आयातित एल्युमिनियम से, जिसकी

---

*यह पैरा मंत्रालय को अगस्त 1970 में भेजा गया था, उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा है (फरवरी 1971)।

व्यवस्था खरीदकर्ता द्वारा 1964 में की गई थी, विनिर्मित 170 मील संवाहक, देशी एल्युमिनियम से विनिर्मित 170 मील संवाहक और आयातित एल्युमिनियम से विनिर्मित 1,660 मील संवाहक की क्रमश: 10,272.11 रु०, 12,329.37 रु० और 14,372.33 रु० प्रति मील की बढ़ी दरों पर पूर्ति की अनुमति दे दी गई (लेकिन अगस्त 1969 में 618 मील संवाहक का आंशिक आर्डर रद्द कर दिया गया) ।

मामले को अन्तिम रूप देने में विलम्ब और दरों के परिशोधन के कारण बोर्ड का, जनवरी 1965 में तय की गई दरों की तुलना में, 45.64 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ ।

बोर्ड ने जून 1969 में यह बताया कि संचारण लाइनों के निर्माण के कार्यक्रम में परिवर्तन के कारण संवाहक की जल्द आवश्यकता नहीं थी और 1965 में ही खरीद लेने से इसकी अभिरक्षा के व्यय क अतिरिक्त पूंजी पर 83 लाख रूपए के ब्याज की हानि होती ।

संचारण लाइनों के निर्माण कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता मुख्यतया पैरा 43 में उल्लिखित संचारण स्तंभों क. लगाने में विलम्ब के कारण हुई और इसके परिणामस्वरूप 220 किलोवोल्ट की 2,000 मील लम्बी सात लाइनों में विद्युत संचारण में दो से छह वर्ष तक का विलम्ब हुआ । इस विलम्ब के कारण स्थापना पर परिहार्य व्यय और राजस्व की हानि ज्ञात नहीं है ।

बोर्ड ने, संवाहक की पूर्ति में विलम्ब के कारण फर्म से निर्णीत हर्जाना, जो 0.75 लाख रुपए निकलता है लेने का अक्तूबर 1969 में फैसला किया है ।

45. **बकाया वसूलियां**–भाखड़ा प्रबंध बोर्ड एक करार के अधीन, जो औपचारिक रूप से लिखा नहीं गया है, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थापन को बिजली सप्लाई करता है ।

बोर्ड ने 10 दिसम्बर, 1968 से बिजली की दर सूची का परिशोधन कर दिया; लेकिन संस्थान केवल परिशोधन से पूर्व की उन कम दरों पर अदायगी करता रहा है जिन पर फरवरी 1965 में सहमति हुई थी यद्यपि उसे परिशोधित दरें अधिसूचित की गई थीं और बिल परिशोधित दर सूची के आधार पर प्रस्तुत किये गए थे । फरवरी 1970 तक इसकी बाबत उक्त संस्थान से 212.75 लाख रुपए की वसूली बाकी थी ।

करार के मसौदे के अनुसार, जब उपभोक्ता का विद्युत गुणक खपत के कुछ निश्चित घण्टों के बीच 80 डिग्री से कम हो जाए तो उसे तय की गई अधिक ऊंची दरों पर अदायगी करनी पड़ेगी । दिसम्बर 1966 तक इस संस्थान से इस संबंध में 28.90 लाख रुपए की वसूली बाकी थी । इसके अतिरिक्त संस्थान से दी गई बिजली के लिए 19.92 लाख रुपए और अदायगी में विलम्ब के लिए (मार्च 1964 और उसके बाद) लगाए जाने वाल 4.75 लाख रुपए के अधिभार की वसूली बकाया थी । इन बकाया राशियों में से 25.19 लाख रु० का जून 1966 में समायोजन किया गया ।

फरवरी 1970 तक वसूली योग्य कुल बकाया राशि 2,41.13 लाख रुपए थी ।

संस्थान ने फरवरी 1970 में बताया है कि दर सूची के परिशोधन का मामला सिंचाई और बिजली मंत्रालय को भेजा गया है ; उसके अन्तिम परिणाम की अभी प्रतीक्षा है (फरवरी 1971) ।

जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय

46. **गोला पत्थरों की खरीद**:—पार्श्व निर्माणकार्य प्रभाग सं० II, मुजफ्फरपुर में निर्माणकार्य स्थल पर 197.25 रुपए प्रति सौ घनफुट की दर से गोला पत्थरों की पूर्ति के लिए 1965–66 के दौरान विभिन्न एजेंसियों के साथ करार किए गए। लेकिन पूर्तिकर्ता ने निर्माण कार्य स्थल से एक मील पीछे एक स्थान पर 6,47,618 घनफुट गोला पत्थरों का ढेर लगा दिया जिसके लिए दर में 4 रुपए प्रति सौ घनफुट की कमी कर दी गई । पूर्तिकर्ताओं को अन्तिम अदायगियां सितम्बर 1966 से नवम्बर 1966 के दौरान की गई। विभाग ने उसी अवधि के दौरान इन पत्थरों को अन्य एजेंसियों द्वारा निर्माणकार्य स्थल पर डलवाया और पूर्तिकर्ताओं से वसूल किए गए 25,905 रुपये की तुलना में 1,07,045 रुपए का व्यय किया । इसके परिणामस्वरूप 81,140 रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

जुलाई 1970 में यह पैरा मंत्रालय को भेजा गया । उसकी टिप्पणी की प्रतीक्षा है (फरवरी 1971) ।

47. **मिट्टी खोदने के लिए अस्थायी रूप से भूमि का अर्जन**:—दरभंगा मुजफ्फरपुर अनुभाग में एक पार्श्ववर्ती सड़क (10½ मील) के निर्माण के लिए तैयार किए गए अनुमान (स्वीकृत, मई 1965) में 119 लाख घन फुट मिट्टी का काम सम्मिलित था । इसमें से 21 लाख घन फुट मिट्टी का काम 1965 में कर दिया गया था । शेष 96 लाख घन फुट मिट्टी कार्य के लिए आवश्यक भूमि का अनुमान 160 एकड़ लगाया गया । किन्तु प्रभाग नें जनवरी– सितम्बर, 1966 में 435 एकड़ भूमि अस्थायी रूप से अर्जित की तथा मुआवजे में 2.69 लाख रुपए दिए । आवश्यकता से अधिक भूमि अर्जित करने के कारण ज्ञात नहीं है ।

खोदी गई मिट्टी 94 लाख घन फुट थी जिसके लिए 155 एकड़ भूमि ही पर्याप्त होती । अतएव 280 एकड़ भूमि के मुआवजे के रूप में 1.73 लाख रुपये का भुगतान निष्फल सिद्ध हुआ ।

मंत्रालय को जुलाई 1970 में पैरा भेजा गया था, उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी, 1971) ।

48. **उच्च तन्यता वाले इस्पात तारों का क्रय** :—क्विलन एल्लपी राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर पुल के निर्माण, जिसका निष्पादन केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्य लोक-निर्माण विभाग द्वारा किया गया, के लिए भारत सरकार द्वारा 1964 में 39.28 लाख रुपए की तकनीकी अनुमति दी गई थी । अधि-संरचना के डिजाइन के संबंध में भारत सरकार की तकनीकी टिप्पणियां राज्य-लोक-निर्माण विभाग द्वारा अगस्त 1968 में प्राप्त हो चुकी थी और तदोपरांत 90 मीटरी टन उच्च तन्यता-तारों की पूर्ति के लिए राज्य के प्रमुख इंजीनियर द्वारा सितम्बर, 1968 में निविदा आमंत्रित किए गए थे । विधि-मान्य दो निविदाओं में से फर्म 'क' जो एक एल्युमिनियम केबल विनिर्माण करने वाली कंपनी है, का न्यूनतम प्रस्ताव (फैक्ट्री कुन्द्रा में 2,193 रुपये प्रति मीटर टन) स्वीकार कर लिया गया था और फरवरी 1969 में पूर्ति आर्डर जारी कर दिया गया ।

फर्म को इस तार के विनिर्माण का कोई पूर्व अनुभव नहीं था । ठेके में यह व्यवस्था की गई थी कि जैसे ही तार वितरण के लिए तैयार हो जाए वैसे ही 80 प्रतिशत अदायगी कर दी जाय । पूर्ति जून 1969 तक पूरी की जानी थी । लेकिन फर्म उस समय तक कुछ भी तार की पूर्ति नहीं कर सका । अगस्त 1969 में फर्म ने 14 मीटरी टन तार की पूर्ति करने का प्रस्ताव किया जिसमें से जांच के

लिए नमूने लिए गए । नमूनों की जांच के परिणामों के प्राप्त होने से पहले 80 प्रतिशत अदायगी (0.27 लाख रुपए) अक्तूबर 1969 में कर दी गई थी । जांच करने पर तार घटिया पाया गया और इसे विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

चूंकि फर्म 'क' तार की पूर्ति समय पर नहीं कर सका, इसलिए विभाग ने दूसरे टेंडरदाता 'ख' से पूछताछ की जो कि 2,535 रुपए प्रति मीटर टन की उल्लिखित मूल दर पर तैयार माल में से इस्पात के तार की आवश्यक मात्रा की क्विलन से रेल पर्यन्त निःशुल्क पूर्ति करने के लिए सहमत हो गया । उस फर्म से जून 1969 तक पच्चीस मीटरी टन तार की खरीद की गई । इस आशा पर कि फर्म 'क' भी माल की पूर्ति करेगा, उस समय केवल 25 मीटरी टन तार की खरीद की गई । इसके बाद 'क' द्वारा की जाने वाली पूर्ति के कार्य की धीमी प्रगति को देखकर मूल दर पर (2,535 रुपए प्रति मीटरी टन, क्विलन से रेल पर्यन्त निःशुल्क) 66 मीटरी टन तार की पूर्ति के लिए फर्म 'ख' को नवम्बर 1969 में एक और आर्डर दिया गया, लेकिन उस फर्म ने आर्डर को इस्पात के मूल्यों में आम वृद्धि के आधार पर स्वीकार नहीं किया । तैयार स्टाकिस्टों से तार की खरीद करने के लिए राज्य उप मुख्य इंजीनियर (विलम्ब होने से बचने के लिए) बंबई गया और विभाग ने बिना टेंडर मांगे एक अन्य फर्म 'ग' (बंबई का) से बातचीत करके 2,930 रुपए प्रति मीटर टन की दर से बंबई तक रेल पर्यन्त निःशुल्क 66 मीटरी टन तार की पूर्ति के लिए जनवरी 1970 में एक आर्डर दिया । उस फर्म द्वारा कोई नियमित ठेका निष्पादित नहीं किया गया है । पूर्ति आर्डर एक पत्र द्वारा दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि (उस फर्म द्वारा) 23.25 मीटरी टन तार फरवरी 1970 के दूसरे सप्ताह में भेजा जायेगा और शेष मात्रा लगभग बराबर मात्रा की दो खेपों में मार्च और अप्रैल 1970 में भेजी जायेगी । इस फर्म द्वारा तार की पूर्ति का कार्य नवम्बर 1970 तक पूरा होने वाला था ।

मूल ठेके से बाहर 90 मीटरी टन तार को खरीदने में (जिसके लिए शुरू में फर्म 'क' को आर्डर दिये गये थे) अतिरिक्त व्यय 82,605 रु० (मूल्य प्लस अतिरिक्त भाड़े और लारी द्वारा परिवहन किए जाने के अतिरिक्त प्रभारों का अन्तर) हुआ । इस्पात के तार की पूर्ति में विलम्ब होने के कारण पुल निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया और पुल बनवाने का काम करने वाले ठेकेदार ने विलम्ब के लिए 1.29 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की (नवम्बर 1969 और मार्च 1970) । विभाग ने ठेकेदार के दावे को सितम्बर 1970 में अस्वीकार कर दिया ; यह निर्णय ठेकेदार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है (अक्तूबर 1970), जिसने विभाग को यह सूचित किया है कि वह मामले को विवाचन के लिए प्रस्तुत कर रहा है । आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है (नवम्बर 1970)। फर्म 'क' ने 0.27 लाख रुपए की पेशगी अदायगी नवम्बर 1970 में लौटा दी । दुबारा खरीद की 82,605 रु० की अतिरिक्त लागत की फर्म 'क' से वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है (दिसम्बर 1970) ।

राज्य सरकार ने यह सूचित किया है (दिसम्बर 1970) कि अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए फर्म 'क' के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करने के प्रश्न पर विधि विभाग के साथ परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है ।

49. **सड़क पपड़ी का टूटना**:—(राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर) "विसिस्ट ब्रिज तक सीधी पहुंच-सड़क का निर्माण" का कार्य मूलतया परम्परागत पद्धति (अर्थात रोड़ी पत्थर आदि का इस्तेमाल करते हुए) से निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव था । मिट्टी का काम पूरा होने के बाद, उप-निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, ने स्थल को देखा और मई 1966 में यह सुझाव दिया कि, चूंकि सड़क का निर्माण

मिट्टी पर किया जाना है जिसके अक्सर भारी यातायात में धंसने की संभावना रहती है इसलिए पपड़ी के भाग के लिए "मिट्टी स्थिरीकरण" पद्धति (अर्थात, चूना मिश्रित मिट्टी का प्रयोग करते हुए) को अजमाया जाए । केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के अधीन दिसम्बर 1966 में इस नई पद्धति का प्रयोगात्मक आधार पर लगभग आधे मील की लम्बाई के लिए प्रयोग किया गया और यह निर्माण कार्य लगभग दो महीनों में पूरा हो गया । फरवरी 1967 में राज्य मुख्य इंजीनियर ने यह आदेश दिया कि 5 मील और 2 फर्लांग की संपूर्ण लंबाई का निर्माण नई पद्धति के अनुसार किया जाए और यह निर्माणकार्य 20 अप्रैल 1967 तक पूरा कर दिया जाए । इस तारीख को विसिस्ट पार पुल को यातायात के लिए खोला जाना था । अतिरिक्त कर्मचारियों को लगा कर यह निर्माणकार्य रात-दिन (केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पर्यवेक्षण के अधीन) कराया गया और 27 मई 1967 को यह सड़क यातायात के लिए खोल दी गई, किन्तु जुलाई और अगस्त 1967 में वर्षा ऋतु के दौरान भारी यातायात से मिट्टी के बैठ जाने के परिणामस्वरूप पपडी टूट जाने से इसे 11 सितम्बर 1967 को बंद करना पड़ा । खराब हुए हिस्सों की पपड़ी को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग को 2.27 लाख रुपए की लागत से भारी मरम्मतें करवानी पड़ी । सड़क पपड़ी के टूटने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे :–

(i) संघटित ग्रेनाइट की 3 इंच ऊपरी सतह की व्यवस्था न करने और सड़क को बिटूमेनी सतह से भी सुदृढ़ न करने पर उसे वर्षाऋतु से एकदम पहले यातायात के लिए खोल देना ;

(ii) 3 इंच मोटाई की सबसे ऊपर की परत, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, को छोड़ते हुए भी संघटित ग्रेनाइट की कुल मोटाई का अभिकल्पित मोटाई से लगभग 5 इंच कम होना ;

(iii) उप सतह के लिए रेत का प्रयोग करना जबकि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने मुरम का सुझाव दिया था (वास्तव में पहले-पहल प्रयोग स्वरूप आधे मील की लम्बाई में चूना उपचारित मुरम का प्रयोग किया गया था और इस हिस्से में पपड़ी खराब नहीं हुई थी) ; और

(iv) सबसे ऊपर की परत का वर्षा से खराब होना ।

50. परिहार्य व्यय––राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 7 के 50 से 95 तक के मीलों में काली सतहदार जलबद्ध पक्की सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार ने जून 1966 में 16.08 लाख रुपए के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया । निर्माणकार्य में ये दो कार्य शामिल थे :– (i) जलबद्ध पक्की सड़क का नवीयन और (ii) काली सतह बनाना और सील कोट जलबद्ध सड़क का नवीयन 1967 में किया गया । राज्य लोक निर्माणकार्य विभाग ने अप्रैल 1968 तक काली सतह का कार्य हाथ में नहीं लिया था । काली सतह के बिना ही सड़क को जून 1968 में सीधे यातायात के लिए खोल दिया गया और इसके परिणामस्वरूप जलबद्ध पक्की सड़क की सतह बड़ी जल्दी खराब हो गई । जब 1968 में काली सतह बनाने का काम शुरू किया गया तो यह देखा गया कि जलबद्ध पक्की सतह बुरी तरह से खराब हो चुकी है और काली सतह बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है । तब यह अनुमान लगाया गया था कि सतह नवीयन (50 से 82 मील तक) पर 2.87 लाख रुपए का खर्च आएगा । किन्तु वह कार्य 2.62 लाख रुपए की वास्तविक लागत पर पूरा हो गया । इस प्रकार काली सतह के

कार्य-निष्पादन में विलम्ब होने से 2.62 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ। भारत सरकार ने यह मत व्यक्त किया (सितम्बर 1968) कि यदि कार्यकारी अधिकारियों ने नवीकृत पक्की सतह को उचित उभार और रूप में रखा होता और अनुमोदित होने के तुरंत बाद ही काली सतह बिछा दी होती तो सतह नवीयन पर हुए व्यय से बचा जा सकता था। भारत सरकार ने उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए राज्य सरकार को मामले की जांच करने के लिए भी कहा। 2.87 लाख रुपए का संशोधित अनुमान अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

जुलाई 1970 में मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1970)।

पांचवां अध्याय

सामान की खरीद

पूर्ति मंत्रालय

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय

51. **तम्बू-खम्भों की खरीद**:—10 नवम्बर 1967 को महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, ने फर्म 'क' और 'ख' को केन्द्रीय आर्डनेंस डिपो, कानपुर, के लिए तम्बू खंभों की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित दो ठेके दिए :

फर्म	सामान	आर्डर की मात्रा	दर प्रति यूनि	मात्रा	
				पूर्ति की गई	रद्द की गई
			रु०		
'क'	तम्बू खंभे रिज नं० 6	84,000	3.49	5,036	78,964
	तम्बू खंभे स्टैंडिंग नं० 13	82,000	3.47	43,651	38,349
'ख'	तम्बू खंभे रिज नं० 6	1,26,000	3.49	7,605	1,18,395
	तंबू खंभे स्टैंडिंग नं० 13	1,23,000	3.47	65,490	57,510

दोनों ठेकों में, फर्म 'क' और 'ख' द्वारा अपने टेंडरों में दी गई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार वितरण की तारीख तय की गई थी :—

"ठेका वितरण अवधि के समाप्त होने के बाद विलम्बित पूर्तियों पर प्रति मास 2 प्रतिशत पूर्वानुमानित निर्णीत हर्जाने या उसके किसी भाग को देने की शर्त पर आर्डर के प्राप्त होने के एक महीने बाद से शुरू होकर 7 महीनों के अंदर-अंदर सामान को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।" फर्म 'क' और 'ख' ने क्रमशः 11 नवम्बर 1967 और 13 नवम्बर 1967 को ठेके लिए।

फर्म 'क' और 'ख' द्वारा निरीक्षण के लिए सामान की पहली किस्त पहली जनवरी 1968 को दी गई थी जबकि उसका निरीक्षण वास्तव में निम्नलिखित तारीखों को किया गया :—

फर्म	सामान	निरीक्षण के लिए दी गई मात्रा	वास्तविक निरीक्षण की तारीख
'क'	तम्बू खंभे रिज नं० 6	400	12 मार्च 1968
	तम्बू खंभे स्टैंडिंग नं० 13	2,000	
'ख'	तम्बू खंभे रिज नं० 6	600	11 मार्च 1968
	तम्बू खंभे स्टैंडिंग नं० 13	3,000	

फर्म 'क' ने 27 जून 1968 के अपने पत्र में सामान्य सामग्री के रक्षा—निरीक्षणालयों द्वारा सामान के निरीक्षण और प्राप्य राशि की अदायगी में विलम्ब किये जाने के बारे में महानिदेशक पूर्ति और निपटान से शिकायत की और वितरण अवधि नवम्बर 1968 से जुलाई 1969 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा 30 जुलाई 1968 तक कोई

कार्रवाई नहीं की गई । विधि मंत्रालय की सलाह (8 अगस्त 1968) के अनुरूप फर्म 'क' के प्रतिनिधि के साथ 10 अक्तूबर 1968 को विचार विमर्श किया गया । 11 अक्तूबर 1968 के पत्र में फर्म 'क', 27 जून 1968 के अपने पत्र के अनुसार पूर्ति करने को सहमत हो गई और वितरण अवधि को पुनः निर्धारित करने के सम्बन्ध में शीघ्र पत्र जारी करने का अनुरोध किया ताकि बांसों की पूर्ति का मौसम व्यर्थ न निकल जाए । विधिक सलाह प्राप्त करने के बाद (28 अक्तूबर, 1968) महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, ने 19 नवम्बर 1968 को संशोधन पत्र जारी किया जिसमें वितरण अवधि का पुनः निर्धारण इस प्रकार किया गया :—

"विलम्बित पूर्तियों के लिए प्रति मास 2 प्रतिशत पूर्वानुमानित निर्णीत हर्जाना या उसके किसी भाग को देने की शर्त पर 31 जुलाई 1969 तक या उससे पहले (पुनः निर्धारित)" ।

फर्म 'क' ने अपने 9 दिसम्बर 1968 के पत्र में संशोधन पत्र को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि बांस प्राप्त करने का मौसम तब समाप्त हो चुका था और उसने यह अनुरोध किया कि किसी पक्ष पर बिना किसी वित्तीय प्रभाव के ठेके को निर्धारित अवधि से पहले समाप्त कर दिया जाए । विधिक सलाह प्राप्त करने के बाद (23 मई 1969) महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, ने 20 जून 1969 को, पूर्ति न की गई शेष मात्रा को, किसी पक्ष पर कोई वित्तीय प्रभाव डाले बिना रद्द कर दिया ।

27 जून 1968 के अपने पत्र में फर्म 'ख' ने भी निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा सामान की पहली किस्त के निरीक्षण में विलम्ब किये जाने के कारण महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, से वितरण की तारीख जुलाई 1969 तक पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया । बाद में फर्म 'ख' ने 19/20 दिसम्बर 1968 के अपने पत्र में महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, को यह सूचित किया कि चूंकि उसे 27 जून 1968 के पहले पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः ठेके को समाप्त समझें । विधिक सलाह (7 मार्च 1969) प्राप्त करने के बाद, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, ने फर्म 'ख' को दिए गए ठेके के अनुसार पूर्ति न की गई शेष मात्रा को, किसी पक्ष पर बिना कोई वित्तीय प्रभाव डाले, 8 अप्रैल 1969 को रद्द कर दिया ।

तम्बू-खंभों की रद्द की गई मात्राओं को, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, ने दिसम्बर 1969 में कई फर्मों को ठेके देकर पुनः खरीदा । इनमें 'क' और 'ख' फर्में भी शामिल थीं । इसके परिणाम-स्वरूप 6.62 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ । फर्म 'क' और 'ख' से दोबारा खरीदी गई मात्राओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

सामान	फर्म	दोबारा खरीदी गई मात्रा	दर प्रति यूनिट	मूल ठेके के मुकाबले अति-रिक्त व्यय (रु० प्रति यूनिट)	कुल अतिरिक्त व्यय रु०
			रु०		
तम्बू खंभे रिज नं० 6	'क'	54,598	6.21	2.72	1,48,506.56
	'ख'	97,364	6.21	2.72	2,64,830.08
तम्बू खंभे स्टैंडिग नं० 13	'क'	48,696	5.75	2.28	1,11,026.88
	'ख'	28,951	5.75	2.28	66,008.28
			जोड़		5,90,371.80

52. **धारूक पट्टों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय:**— रेलवे की धारूक पट्टों की मांग को पूरा करने के लिए, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, ने 3 मई 1968 को एक विज्ञापित टेंडर पूछताछ जारी की। प्रत्युत्तर में, 40 प्रस्ताव (जिनमें एक विलम्ब से प्राप्त हुआ प्रस्ताव भी शामिल है), जो 18 अगस्त 1968 तक विधिमान्य थे, प्राप्त हुए (18 जून 1968)। उनमें फर्म 'क' का प्रस्ताव एक मद के लिए 5.39 रुपए प्रति यूनिट शिवपुर रेल पर्यन्त निःशुल्क निम्नतम स्वीकार्य माना गया ; गंतव्य स्थान के मूल्यों की संगणना इस प्रकार की गई है :—

गंतव्य स्थान	गंतव्य स्थान मूल्य (प्रति यूनिट रुपयों में)
निम्पूरा	6.2735
व्यास नगर	5.8035

बाद में फर्म (28 अगस्त 1968) स्वीकृति के लिए अपने प्रस्ताव की अवधि 30 सितम्बर 1968 तक करने को सहमत हो गई, किन्तु फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय केवल 8 अक्तूबर 1968 को किया गया। तार-पूछताछ (14 अक्तूबर 1968) के उत्तर में फर्म ने खेद पूर्वक यह कहा (18 अक्तूबर 1968) कि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वह कोई भी आर्डर नहीं ले सकती। अन्ततः माल अगले उच्चतर टेंडरदाता, फर्म 'ख' और 'ग' (जैसा कि नीचे दिया गया है) से खरीदा गया (नवम्बर 1968)। ये फर्में अपने प्रस्तावों की मान्यता अवधि को 30 नवम्बर 1968 तक बढ़ाने को सहमत हो गई थीं :—

फर्म	गंतव्य स्थान	गंतव्य स्थान मूल्य (प्रति यूनिट रुपयों में)	समाविष्ट मात्रा संख्या
'ख'	निम्पूरा	6.3937	21,845
'ग'	निम्पूरा	6.5712	2,88,155
'ग'	व्यास नगर	6.9912	1,50,000

मान्यता अवधि के अंदर फर्म 'क' को ठेका न देने के परिणामस्वरूप 2.67 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

फर्म 'ख' और 'ग' को ठेके देने के सुझाव को अनुमोदित करते समय मंत्रालय ने यह मंतव्य प्रकट किया (22 नवम्बर 1968) कि "यदि मामले पर तत्परता से कार्रवाई की गई होती और (फर्म 'क' के) प्रस्ताव को व्यपगत न होने दिया गया होता तो.....रुपए के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।"

53. **ट्रांसफार्मरों की खरीद** :—2 अगस्त 1968 को, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान ने गिरि जल विद्युत परियोजना के लिए चार ट्रांसफार्मर खरीदने के बारे में विज्ञापित टेंडर पूछताछ जारी की। टेंडर, 25 अक्तूबर 1968 को खोले गए। आठ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें एक

विलम्बित टैंडर भी शामिल था। उनमें से निम्नतम दो की मूल्यांकित लागत (इसमें ट्रांसफार्मर हानियों की पूंजीकृत लागत भी शामिल है) इस प्रकार है :--

(रकम लाख रुपयों में)

फर्म	मद–I	मद–II	जोड़
'क' –सरकारी क्षेत्र उपक्रम	18.87	7.56	26.43
'ख' –गैर सरकारी फर्म	20.11	7.23	27.34

स्वीकृति के लिए टेंडर 25 अप्रैल 1969 तक खुले थे। जिस मांगकर्ता के पास प्रस्तावों को विचारार्थ भेजा गया था (अक्तूबर/नवम्बर 1968) उसने कुछ तकनीकी विषयों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, फर्म 'क' को आर्डर देने की सिफारिश की (जनवरी 1969) हालांकि मद–II का मूल्य फर्म 'ख' द्वारा दिए गए मूल्य से अधिक था (अन्य बातों के साथ साथ कार्य के 'बेहतर समन्वय' के कारण)।

किन्तु मांगकर्ता/टेंडरदाता फर्मों के साथ लम्बे पत्राचार और टेंडरदाता फर्मों के साथ कुछ अदायगी शर्तों को तय करने और निरीक्षण जांचों के संबंध में बातचीत करने के कारण खरीद संबंधी निर्णय मान्यता अवधि के अन्दर नहीं लिया जा सका। बाद में फर्म 'क' और 'ख' ने क्रमशः सितम्बर 1969 और मई 1969 में अपने मूल्यों को परिशोधित किया और उनकी परिशोधित टेंडर में दी गई लागत का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया :–

(रकम लाख रुपयों में)

फर्म	मद–I	मद–II	जोड़
'क'	21.52	8.56	30.08
'ख'	20.48	8.17	28.65

अंततः, चूंकि फर्म 'ख' की टेंडर में दी गई लागत फर्म 'क' की लागत की तुलना में निम्नतर थी, इसलिए 26 सितम्बर 1969 को उसे आर्डर दे दिया गया। खरीद का निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 2.22 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (जून 1970) कि इन तकनीकी ब्यौरों को तय करने के काम में बहुत अधिक समय लगा और (तांबे के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के बहुत अधिक बढ़ने से) बाजार भावों के उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यों को बढ़ने से रोका नहीं जा सका। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि इस मामले में सामान को समाविष्ट करने में देरी मुख्य रूप से उपर्युक्त मद (i) के ट्रांसफार्मरों के निम्न तनाव पक्ष के आवेग-जांच के महत्वपूर्ण प्रश्न को तय करने में विलम्ब के कारण हुई, क्योंकि इस आकार के ट्रांसफार्मरों की आवेग-जांच विशेषतया जब उनका परिचालन ऐसे क्षेत्रों में किया जाना हो जहां वायुमंडल में वैद्युत प्रोत्कर्ष अक्सर होता है, महत्वपूर्ण और संगत होती है।

मांगकर्ता और फर्मों के साथ परामर्श कर के तकनीकी ब्यौरों को तय करने में विभाग को लगभग आठ महीने लगे। विभाग ने यदि मांगकर्ता और फर्मों के साथ एक बैठक में इन विषयों पर विचार विमर्श किया होता, तो हर हालत में खरीद-प्रस्तावों को जल्दी अंतिम रूप देकर अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

54. **मीडियम कार्बन फेरो क्रोम की खरीद** :—मीडियम कार्बन फेरो क्रोम लेने के लिए महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, द्वारा 11 फरवरी 1969 को जारी की गई सीमित टेंडर पूछताछ के प्रत्युत्तर में, दो प्रस्ताव प्राप्त हुए और वे 5 मार्च 1969 को खोले गए। आयातित सामान की पूर्ति के लिए निम्नतम प्रस्ताव फर्म 'क' से प्राप्त हुआ जिसका मूल्य 67 प्रतिशत क्रोमियम अंश के आधार पर बंबई/कलकत्ता रेल पर्यन्त निःशुल्क 3,004.95 रुपए प्रति मीटरी टन आता था। इसमें 627.37 रुपए का सीमा शुल्क भी शामिल था। इसकी तुलना में देसी सामान की पूर्ति करने के लिए दूसरा प्रस्ताव फर्म 'ख' का था जिसका मूल्य गारीबीडी रेल पर्यन्त निःशुल्क 6,000 रुपए प्रति मीटरी टन था। 14 मार्च 1969 को महानिदेशक, पूर्ति और निपटान ने टेंडरों को, मांगकर्ता के पास उसकी सिफारिश और यदि आयातित माल के निम्नतर प्रस्ताव को स्वीकार करना हो तो विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की पुष्टि के लिए भेज दिया।

8 जुलाई, 1969 को, मांगकर्ता प्राधिकारियों ने विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के बारे में महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, को सूचित किया। जब कि फर्म 'ख' का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए 4 अगस्त, 1969 तक खुला था, फर्म 'क' को प्रस्ताव 4 जुलाई 1969 तक ही विधिमान्य था। बाद में, 18 जुलाई, 1969 के अपने पत्र में फर्म 'क' ने यह सूचित किया कि "हम अपने प्रस्ताव की मान्यता अवधि 4 अगस्त, 1969 तक बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी स्वीकृति हम तक पहुंच सके।" 4 अगस्त, 1969 को फर्म 'क' को जारी की गई और 6 अगस्त, 1969 को उसे प्राप्त हुई टेंडर पेशगी स्वीकृति को फर्म ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि विदेश स्थित उसके मालिकों ने आर्डर को दो दिन देर से पहुंचने के कारण स्वीकार नहीं किया। विधिक सलाह को ध्यान में रखते हुए कि "यदि फर्म के पास 4 अगस्त, 1969 तक स्वीकृति नहीं पहुंचती है तो ठेका निष्पादित नहीं समझा जाएगा।" महानिदेशक, पूर्ति और निपटान ने वित्तीय प्रभाव डाले बिना, फर्म 'क' को दिया गया ठेका रद्द कर दिया।

महानिदेशक, पूर्ति और निपटान द्वारा नवम्बर 1969 में जारी की गई विज्ञापित टेंडर पूछताछ के आधार पर 7 मार्च, 1970 को फर्म 'ख' से देसी सामान गारीबीडी रेल पर्यन्त निःशुल्क 5,800 रु० प्रति मीटरी टन के हिसाब से खरीदा गया। यह दर फर्म 'क' के आयातित सामान के प्रस्ताव से 93 प्रतिशत अधिक थी (इसमें $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत सीमा शुल्क, $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत निकासी प्रभार और 2 प्रतिशत कमीशन शामिल है), जिसके परिणामस्वरूप 1.50 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त व्यय हुआ।

55. **आवरक जल रोधक की प्रमुख नल की खरीद**:—3,185 की संख्या में मेन पालिनों (आवरक जल रोधक प्रमुख नल) को मुहैया करने संबंधी रक्षा सेवाओं की अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए, 12 मार्च, 1969 को महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, द्वारा एक विज्ञापित टेंडर—पूछताछ जारी की गई। प्राप्त दस प्रस्तावों में से महानिदेशक, पूर्ति और निपटान द्वारा स्वीकार्य समझे गए तीन निम्नतम टेंडरों को, मांगकर्ता की पुष्टि के लिए भेजा गया (30 मई, 1969) क्योंकि मांगकर्ता ने इन कीमतों को अत्यधिक समझा और प्राथमिकता के आधार पर टेंडर फिर से मंगाने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए 26 जून 1969 को 24 फर्मों को महानिदेशक, पूर्ति और निपटान द्वारा एक अल्पावधि सीमित टेंडर पूछताछ जारी की गई।

सीमित टेंडर पूछताछ के उत्तर में 13 प्रस्ताव (11 सितंबर 1969 तक वैध) प्राप्त हुए और उन्हें 11 जुलाई, 1969 को खोला गया। इसमें से 'क' और 'ख' फर्मों के प्रस्तावों को क्रमशः 416.81 रुपए और 418.95 रुपए प्रति यूनिट निम्नतम स्वीकार्य समझा गया। पहली अगस्त

1969 को फर्म 'क' ने महानिदेशक को सूचित किया कि इसकी दर प्रतियूनिट 476.81 रुपए होगी, 416.81 रुपए नहीं, जो कि गणना में त्रुटि के कारण उद्धृत की गई थी।

अन्य फर्म 'ख' का प्रस्ताव मांगकर्ता के 336 रुपए के अनुमान से अधिक होने पर, प्रस्तावों को 20 अगस्त, 1969 को (टेंडरों को खोलने के पांच सप्ताह बाद) मांगकर्ता को "कम से कम तीन अथवा चार तकनीकी रूप से स्वीकार्य टेंडरदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों, पैकिंग और सुपुर्दगी के संबंध में मांगकर्ता को जानकारी देने के लिए विचारार्थ भेजा गया ताकि यदि दीर्घावधि सुपुर्दगी और पैकिंग रहित निम्नतम प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो वह दूसरे उच्चत्तर स्वीकार्य प्रस्ताव के अनुसार निधियों की व्यवस्था कर सके"।

मांगकर्ता ने 29 सितम्बर, 1969 को बढ़ी हुई लागत पर सामान प्राप्त करने की अपनी सहमति भेज दी। टेंडर की मान्यता की अवधि के बाद फर्म 'ख' ने 22 सितम्बर 1969 को अपना उद्धृत मूल्य बढ़ाकर 448.16 रुपए कर दिया। निदेशालय द्वारा (30 सितम्बर 1969) मांगी गई अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की पुष्टि मांगकर्ता द्वारा 6 नवम्बर, 1969 को भेज दी गई। परिणामस्वरूप (27 नवम्बर, 1969) फर्म 'ख' के साथ बातचीत की गई जो 447 रुपए प्रति यूनिट पर सप्लाई करने को तैयार हो गई। इसके अनुसार, दिसम्बर 1969 में फर्म को 447 रुपए प्रति यूनिट पर 3,185 नगों की खरीद का आर्डर दिया गया।

खरीद संगठन को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, मांगकर्ता से बिना पूछे निम्नतम प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था क्योंकि निम्नतम टेंडर की मूल और संशोधित दोनों दरें तथा अतिरिक्त लागत भी निर्धारित सीमाओं के भीतर थी।

महानिदेशक, पूर्ति और निपटान द्वारा शक्तियों का उपयोग न किए जाने से रक्षा सेवाओं की अत्यावश्यक मांग के खरीद निर्णय में देरी लगने के परिणामस्वरुप सरकार का 0.89 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1970) कि मामले में हुई देरी की, महानिदेशालय, पूर्ति और निपटान, में उत्तरदायित्व निश्चित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से जांच पड़ताल की जा रही है।

56. **ताम्र-निकल सिलों की खरीद**:—अगस्त, 1969 में महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, द्वारा ताम्र निकल सिलों की खरीद के लिए जारी की गई एक सीमित टेंडर-पूछताछ पर, दो टेंडर (10 सितम्बर, 1969/29 अगस्त, 1969 तक स्वीकृति के लिए वैध) प्राप्त हुए और उन्हें 22 अगस्त, 1969 को खोला गया। फर्म 'क' ने सामान को 27 रु० प्रति किलोग्राम कलकत्ता में रेल पर्यन्त निःशुल्क 'शुद्ध निकल सिल्ली के 2420 किलोग्राम की लागत बीमा भाड़ा कलकत्ता तक 995 पौंड प्रति मीटरी टन की दर पर आयात के लिए आयात लाईसैंस' के अधीन पूर्ति करने का प्रस्ताव किया। फर्म 'ख' ने सामान को 64.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बंबई में परेषिती को निःशुल्क खुली सुपुर्दगी पर पूर्ति करने का प्रस्ताव किया। 3 सितम्बर 1969 को टैंडरों को भंडार निदेशक नौसेना मुख्यालय, को या तो यदि फर्म 'क' का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना था, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिए या, यदि फर्म 'ख' का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना था तो अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था के लिए भेजा गया।

बाद में , फर्म 'क' अपने प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए 22 नवम्बर, 1969 तक खुला रखने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गई (13 नवम्बर 1969) की 995 पौंड प्रति मीटरी टन की कीमत से ऊपर निकल के मूल्य में होने वाली किसी वृद्धि का भुगतान खरीददार द्वारा किया जाएगा। फर्म 'ख' 22 नवम्बर 1969 तक स्वीकृति के लिए अपने मूल प्रस्ताव को खुला रखने के लिए तैयार हो गई (12 नवम्बर 1969)। इसी बीच, मांग अधिकारी ने भी अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की पुष्टि की (7 नवम्बर 1969)। तथापि, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, द्वारा मांग को पूरा करने की कार्रवाई 3 दिसम्बर 1969 तक नहीं की गई थी। 28 नवम्बर 1969 को फर्म 'ख' ने अपनी दर 64.60 रु० प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 71.30 रु० प्रति किलोग्रामा कर दी जिसका कारण यह था कि उसने अपने पिछले कच्चे माल का उपयोग कर लिया था और कच्ची सामग्री खरीदने के लिए अपने नए वायदे के आधार पर उसकी दर 71.30 रुपए प्रति किलोग्राम होगी।

फर्म 'ख' को 5,700 किलोग्राम ताम्र निकल सिलों की, 71.30 रु० प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई दर पर पूर्ति करने के लिए अंतिम रूप से (17 दिसम्बर 1969) ठेका दिया गया। खरीद-निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप सरकार को 0.38 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

यह पाया गया कि महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, द्वारा सीमित टेंडर-पूछताछ अंतिम सफल टेंडरदाता को नहीं भेजी गई थी। इससे पहले सितम्बर 1967 में सामान 31 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा गया था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1970) कि इस मामले में चूकों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

57. **कागज और पेपर बोर्ड की खरीद**:—(i) कागज और पेपर बोर्ड की कीमतों पर से मई 1968 में नियंत्रण उठा लिया गया था। कागज के विविध प्रकारों की खरीद के लिए महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, अपने देश की कागज मिलों के साथ रेट-ठेके कर रहा था। रेट-ठेके सामान्यतः एक वर्ष के लिए जुलाई से अगली जून तक के लिए होते हैं। इनमें यह व्यवस्था होती है कि समस्त पूर्ति आर्डरों का, जो रेट ठेके की अवधि की अंतिम तारीख को या उससे पहले मिलों द्वारा प्राप्त होंगे, पालन किया जाएगा।

रेट-ठेके लगभग 85,000–1,00,000 मीटरी टन कागज (विविध प्रकार) के हैं जो कागज उद्योग (कागज तथा पेपर बोर्डों की समस्त प्रकार के) के कुल वर्तमान उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत है। स्वयं केन्द्र सरकार की आवश्यकताओं के अतिरिक्त बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित कागज की खरीद भी महानिदेशक, पूर्ति और निपटान के रेट-ठेकों के माध्यम से की जाती है। औसतन मिलों की सामान्यतः आर्डर दी जाने वाली मात्रा का लगभग 56 प्रतिशत राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का सूचक होता है। रेट-ठेके प्रत्येक कागज मिल को कागज के विविध प्रकारों का विभाजन दिखाते हैं और प्रत्येक उत्पादक के लिए यह भी दिखाते हैं कि किस राज्य सरकार आदि के लिए कितना कागज चाहिए। रेट-ठेकों के अन्तर्गत सरकार, किसी भी प्रत्यक्ष मांग अधिकारी के संबंध में, जब और ज्योंही आवश्यक समझा जाए, किसी भी मिल को किए जाने वाले विभाजनों को कम करने, बढ़ाने, संशोधन करने अथवा रूपभेद करने का अधिकार रखती है।

प्रत्येक रेट-ठेके में सप्लाई आर्डरों और क्रमिक सुपुर्दगी के संबंध में एक अनुसूची समाविष्ठ होती है। सामान्यतः ये अनुसूचियां निम्नप्रकार की होती हैं :—

(क) **पूर्ति आर्डर देना** :
दिसम्बर तक 50 प्रतिशत तक
अगली मार्च तक 80 प्रतिशत तक
अगली मई तक शेष 20 प्रतिशत

(ख) **क्रमिक सुपुर्दगियां** :
दिसम्बर तक 40 प्रतिशत तक
अगली मार्च तक 70 प्रतिशत तक
अगली जून तक 100 प्रतिशत तक

जुलाई 1968 से जून 1969 और जुलाई 1969 से जून 1970 की अवधि के दो रेट-ठेकों के लिए, कागज मिलों ने वास्तव में जून, 1969 और जून, 1970 तक आर्डर दी गई कुल मात्रा की क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत पूर्ति की। रेट-ठेकों पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व सरकार और कागज उद्योग के बीच विचार विमर्श होता है। जुलाई 1970 से जून, 1971 की अवधि के लिए रेट-ठेकों पर विचार विमर्श के दौरान, उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि पूर्ति आर्डर देने सम्बन्धी कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया और इसलिए मिलें उत्पादन की योजना तैयार नहीं कर सकीं तथा क्रमिक सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार कागज की सप्लाई जून तक नहीं कर सकीं। जुलाई 1970 से जून 1971 की अवधि के रेट-ठेका में पूर्ति आर्डर देने की अनुसूची के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गई है :—

> "पूर्ति आर्डर देने का उपर्युक्त क्रमिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों को रेट-ठेके के प्रचलन के दौरान कागज विभाजन संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा कागज मिलों को रेट-ठेका अवधि के भीतर पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एक मात्र निदेश है। तथापि, कागज मिलें पूर्ति आर्डरों के अनुपालन न होने के लिए आर्डर देने के क्रमिक कार्यक्रम की दुहाई उस समय तक नहीं देंगी जब तक कि पूर्ति आर्डर रेट-ठेके के प्रचलन की अवधि के भीतर और अधिक से अधिक 15 जून, 1971 तक दिए जाते।"

रेट-ठेकों में यह शर्त भी होती है कि मिलों द्वारा कागज की पूर्ति में पिछले रेट-ठेकों के संबंध में अभी तक रह जाने वाले शेष कार्य को मिलों द्वारा उस वर्ष के दिसम्बर की समाप्ति तक (जिस वर्ष में रेट-ठेका किया गया है) पूर्ववर्ती तदनुरूप रेट-ठेके की दरों और शर्तों पर निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। वास्तव में, 1965-66 से 1968-69 तक के चार रेट-ठेकों के लिए मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री भारत सरकार द्वारा दिए गए 23,812 मीटरी टन के आर्डर अक्तूबर, 1969 के अंत तक सप्लाई नहीं किए गए हैं। जून 1968, जून 1969 और जून 1970 के अंत में तीन वर्षों के लिए रेट-ठेकों से संबंधित उस अधिकारी को की जानेवाली पूर्तियों का शेषकार्य क्रमशः 12,405 मीटरी टन, 18,883 मीटरी टन और 22,341 मीटरी टन था। पूर्ति की गई मात्रा इन वर्षों में आर्डर की गई मात्रा के क्रमशः 68 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 39 प्रतिशत थी। जून 1969 के अंत में, 1968-69 के रेट ठेके से संबंधित 18,888 मीटरी टन के शेष कार्य में से 30 जून 1970 तक 14,260 मीटरी टन की पूर्तियां की गई थीं।

जुलाई, 1968 से जून 1969 की अवधि के रेट-ठेके में सरकार ने कागज की विविध किस्मों के लिए पहले लागू मूल्यों की नियंत्रित स्तर के तुलना में 4 से 12 प्रतिशत की मूल्य की वृद्धि की स्वीकृति दी थी । जुलाई 1969 से जून 1970 की अवधि के रेट-ठेके के लिए, सरकार द्वारा मूल्य में 3 से 5 प्रतिशत की और वृद्धि स्वीकार की गई जबकि जुलाई 1970 से जून 1971 की अवधि के रेट-ठेके के लिए मूल्य में 6 से 10 प्रतिशत तक की और वृद्धि स्वीकार की गई । कागज की विशेषत्तर किस्मों के लिए बाद के वर्ष के रेट-ठेका मूल्य, जुलाई 1967 से जून 1968 की अवधि के रेट-ठेका मूल्यों की अपेक्षा 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अधिक थे । तथापि, रेट-ठेका दरें, खुले बाजार दरों की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में (15 से 20 प्रतिशत) कम थीं ।

सरकार कागज मिलों से कागज की वह पर्याप्त मात्रा जिस की उसे आवश्यकता है (और जिसके लिए रेट-ठेके किए जा रहे हैं) प्राप्त करने अथवा समय पर प्राप्त करने में असमर्थ रही है । इसके परिणामस्वरूप उदाहरण के तौर पर, भारत सरकार के लेखनसामग्री कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के विविध कार्यालयों को की गई कागज की पूर्ति वर्षों से अत्यन्त असंतोषजनक रही है । केन्द्रीय सरकार के विविध कार्यालय इस कारण अपने दिन प्रति दिन के कार्य के लिए बाजारों से रेट-ठेका मूल्यों की अपेक्षा पर्याप्त ऊंचे मूल्यों पर स्थानीय रूप से कागज खरीदते रहे हैं । यह अनुमान लगाना संभव नहीं कि इस संबंध में एक वर्ष में कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(ii) विशिष्टियां : मिलों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कागज के लिए रेट-ठेके में निम्न-लिखित विशिष्टियों की व्यवस्था होती है :

(1) सामान्य :–

कागज गुणावस्था की दृष्टि से एकरूप होना चाहिए ।

(2) मजबूती :–

(क) प्रति वर्ग मीटर ग्राम,

(ख) एक मीटर में निम्नतम टूटन क्षमता,

(ग) एक खंडित/मशीन दिशा/आड़ी दिशा में निम्नतम दोहरी वलन,

(घ) अधिकतम भस्म प्रतिशतता ।

उपर्युक्त निर्धारित विशिष्टियां कई प्रकार से अपूर्ण हैं, उदाहरणार्थ विशिष्टियों को पूर्ण बनाने के लिए (1) प्रस्फोट कारक, (2) चमक, (3) एक मिनट काबजांच, (4) अवशोषकता (5) चिकनाहट प्रतिशत आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए । इसके अलावा निर्धारित सीमित विशिष्टियां (उन ठेकों के माध्यम से खरीदे जाने पर) कुछ किस्मों को समाविष्ट भी नहीं करतीं, इसलिए वहां निर्धारित विशिष्टि नहीं है । कई वर्षों से सरकार द्वारा उद्योग के साथ परामर्श करते हुए, कागज के लिए निम्नतम और व्यापक विशिष्टियां निर्धारित करने तथा उन्हें रेट-ठेकों में सम्मिलित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । अभी तक इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है । एक मुश-किल यह है कि उद्योग ने पहले यह संकेत दिया था कि उन विशिष्टियों में से कुछ विशिष्टियां, कागज के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जा रही कच्ची सामग्रियों की विस्तृत शृंखला को देखते हुए अव्यावहारिक है । व्यापक विशिष्टियों के अभाव में सरकार के लिए पूर्तिकर्त्ताओं को किन्हीं

खास विशिष्टि किस्मों के लिए प्रतिबंधित करना संभव नहीं है। इस प्रकार कागज के रेट-ठेकों में काफी अनिश्चितता है। प्रत्यक्ष मांगकर्त्ता अधिकारियों से कागज की विभिन्न किस्मों के घटिया होने के संबंध में आम शिकायत थी।

58. **इमारती लकड़ी की खरीद**:—15 अक्तूबर, 1968 को महानिदेशक पूर्ति और निपटान द्वारा पांच राज्य सरकारों के वनों के मुख्य वनपालों को, रक्षा सेवाओं की एक अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए, जारी की गई एक टेंडर पूछताछ पर फ़र/चीड़ लकड़ी वर्ग II की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

टैंडरदाता (राज्य)	प्रस्तावित मात्रा (क्यूबिक मीटरों में)	दर (प्रति क्यूबिक मीटर रुपयों में)
जम्मू और काश्मीर	16,000	264.86*
हिमाचल प्रदेश	3,600	258**
उत्तर प्रदेश	1,000	265**

बाद में (जनवरी 1969) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि वह पूर्ति केवल तभी कर सकती है जब मिश्रित किस्म यथा वर्ग I और II दोनों को स्वीकार किया जाए न कि अकेले वर्ग II को। जम्मू और काश्मीर सरकार की दर जिसने 31 मार्च, 1970 तक पूर्तियां पूरी करने का प्रस्ताव किया था, अप्रैल, 1966 में की गई पिछली खरीद कीमत की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक थीं। इसलिए उद्धृत मूल्य में कमी कराने के लिए 27 फरवरी 1969 को जम्मू और काश्मीर सरकार के साथ बातचीत की गई। राज्य सरकार इस प्रकार की किसी कमी के लिए सहमत नहीं हुई लेकिन फ़र/चीड़ किस्मों की पूर्ति 20,000 क्यूबिक मीटर तक बढ़ाने को तैयार हो गई। उसने सप्लाई करने के स्थल पर परेषिती के साथ संयुक्त निरीक्षण पर भी जोर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने केवल फ़र/चीड़ किस्मों में 20,000 क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव किया था, तथापि 7 अप्रैल, 1969 को उसे 24,000 क्यूबिक मीटर फ़र/चीड़ इमारती लकड़ी (उसके द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त 4,000 क्यूबिक मीटर कैल जोड़ करके) का आर्डर सुपुर्दगी अनुबंध पर अप्रैल, सितम्बर, 1969 के दौरान प्रतिमाह 2,500 क्यूबिक मीटर की दर पर और अक्तूबर 1969—मार्च 1970 के दौरान प्रतिमाह 1500 क्यूबिक मीटर की दर पर दिया गया।

राज्य सरकार के अनुरोध पर (23 अप्रैल, 1969), 15,000 क्यूबिक मीटर (सितम्बर 1969 तक पूर्ति के लिए देय) की लागत के 90 प्रतिशत 35.76 लाख रुपए की एक पेशगी 20 मई 1969 को राज्य सरकार को दी गई। तथापि, इसी बीच में मुख्य वनपाल ने महानिदेशक, पूर्ति और निपटान को, (26 अप्रैल 1969) यह बताया कि :

(i) राज्य सरकार ने ठेके में अनुबंधित 24,000 क्यूबिक मीटरों के मुकाबिले केवल 20,000 क्यूबिक मीटरों का प्रस्ताव किया था ; और

---

*इसके अतिरिक्त प्रति शहतीर 0.75 रुपए का लेपन प्रभार।

**इसके अतिरिक्त प्रति शहतीर 0.75 रुपए का लेपन प्रभार और पूर्ति की गई लकड़ी के मूल्य पर 3.25 रुपए प्रतिशत विभागीय/ऊपरी प्रभार।

(ii) ठेके में लकड़ी के संयुक्त निरीक्षण के संबंध में कोई खंड मौजूद नहीं है। इसलिए उसने ठेके में आवश्यक संशोधन का अनुरोध किया।

जब आर्डर पर मात्रा को 24,000 क्यूबिक मीटर से 20,000 क्यबिक मीटर तक 16 सितम्बर, 1969 को कम कर दिया गया, तो मांगकर्ता केवल पठानकोट में संयुक्त निरीक्षण के लिए (अक्तूबर, 1969) तैयार हो गया।

राज्य सरकार सितम्बर 1969 तक देय 15,000 क्यूबिक मीटर के मुकाबिले केवल 1,500 क्यूबिक मीटर की पूर्ति कर सकी। अंततः, नवम्बर 1969 में राज्य सरकार ने सूचना दी कि क्योंकि उसने नवम्बर 1968 में पूर्ति के लिए दर भाव दिए थे और खरीद-आर्डर वास्तव में अप्रैल, 1969 में प्राप्त हुआ था जबकि जंगलात पट्टेदारों नें लकड़ी रेलवे को पहले ही सप्लाई कर दी थी या अन्य आर्डरों पर महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, को दे दी थी इसलिए शेष माल की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि दरें नहीं बढ़ाई जातीं। दिसम्बर, 1969 में उन्होंने दर को 309 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर तक बढ़ा दिया और सुपुर्दगी तारीख को मई 1971 के अंत तक बढ़ाने के लिए कहा।

यह अनुरोध इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि मांगकर्त्ता को पूर्तियों की अत्यावश्यकता है।

यदि भाव प्राप्त होने के तुरंत बाद राज्य सरकार को आर्डर दे दिया गया होता, तो 7.94 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

छठा–अध्याय

सहायक अनुदान

59. 1969–70 के दौरान, सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सांविधिक निकायों, पंजीकृत तथा गैर सरकारी संस्थाओं, आदि को सहायक अनुदानों के रूप में 710.12 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

(क) राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान :	
(i) संविधान के अनुच्छेद 275(I)के अधीन	1,62,99.00
(ii) संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान	58,69.07
(iii) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए सहायक अनुदान	3,40,43.05
(ख) सांविधिक निकायों को सहायक अनुदान	85,61.87
(ग) गैर सरकारी संस्थाओं अथवा निकायों और व्यक्तियों को सहायक अनुदान (अनुदानों के ब्यौरे रिपोर्ट के परिशिष्ट VII में मंत्रालय-वार दिए गए हैं)	62,39.21

उपर्युक्त मद (ग) के सामने दिए गए आंकड़ों में, बजट में की गई विशिष्ट धन व्यवस्था पर निम्नलिखित संस्थाओं को प्रत्येक मामले में दिए गए 50 लाख रुपये से अधिक के सहायक अनुदान सम्मिलित हैं :

नाम	राशि (लाख रुपयों में)	कैफियत
1. टाटा का आधारभूत अनुसंधान संस्थान	1,85.54	संस्थान के लेखों की परीक्षा उन व्यावसायिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुझाव पर, उनके सामान्य कार्यों के अधीन पड़ने वाले कार्यों के अलावा कुछ अतिरिक्त जांचे करने के निदेश दिए गए हैं।
2. टाटा मेमोरियल हस्पताल और भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बंबई	71.00	संस्थान के लेखों की परीक्षा उन व्यावसायिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुझाव पर, उनके सामान्य कार्यों के अधीन पड़ने वाले कार्यों के अलावा कुछ अतिरिक्त जांच करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(क) सांविधिक निकायों को सहायक अनुदान––सांविधिक निकायों के लेखों को उनके लेखों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (उन मामलों में जहां संसद के संबद्ध अधिनियम के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा की व्यवस्था या तो एक मात्र लेखापरीक्षक के रूप में या व्यावसायिक लेखापरीक्षकों के अतिरिक्त करनी होती है) के साथ संसद को अलग से प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं अथवा निकायों और व्यक्तियों को सहायक अनुदान––मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों के अभिलेखों और अनुदान पाने वाली संस्थाओं द्वारा रखे गए लेखों की जांच-लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातें मालूम हुई :––

(i) **उपयोग प्रमाण पत्र**––प्रत्येक अनुदान के लिए, अनुदान के उपयोग का प्रमाणपत्र, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा महालेखापाल को यह विशेषाल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अनुदान का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है, जिनके लिए उसकी मंजूरी दी गई थी तथा जहां अनुदान सशर्त दिया गया था, वहां शर्तों को पूरा कर लिया गया है । उपयोग प्रमाण-पत्रों को जारी करने में हुई देरियों का उल्लेख नीचे किया गया है :

मंत्रालय/विभाग का नाम	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित है	सितंबर 1970 के अंत तक बकाया उप-योग प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
मंत्रिमंडल सचिवालय . . .	1967–69	4	82
शिक्षा और युवा सेवा . . .	1957–58 और 1959–69	1,124	1,177
विदेश मंत्रालय	1960–61, 1962–64 और 1966–69	20	110
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता			
(i) कृषि विभाग	1964–65 और 1966–69	39	12
(ii) खाद्य विभाग . . .	1966–68	3	1
(iii) सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग	1964–66 और 1967–68	10	186

1	2	3	4
विदेश व्यापार	1961-62 और 1964–68	63	64
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास :			
(i) स्वास्थ्य विभाग . . .	1956–69	661	535
(ii) परिवार नियोजन विभाग . .	1957–69	884	158
(iii) निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग	1963-64 और 1965–69	27	15
गृह मंत्रालय	1966–69	12	5
औद्योगिक विकास और कंपनी मामले :			
औद्योगिक विकास विभाग . .	1961–62 1963–64 और 1966–68	18	
सूचना और प्रसारण . . .	1961-62 और 1965–68	7	6
श्रम, रोजगार और पुनर्वास :			
(i) श्रम और रोज़गार विभाग . .	1967–69	7	30
(ii) पुनर्वास विभाग . . .	1955-56 1957-58 और 1960–62	9	5
समाज कल्याण	1962–69	48	16
जहाजरानी और परिवहन . . .	1968-69	1	5
जोड़ . . .		2,937	2,425

(ii) कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें निम्न प्रकार की एक या एक से अधिक अनियमितताएं देखी गई, उनका परवर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है :

(क) आधिक्य में अथवा आवश्यकताओं से पूर्व अनुदानों का भुगतान ।

(ख) अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं का असंतोषजनक ढंग से कार्यान्वयन।

(ग) अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं द्वारा अनुदानों से संबंधित शर्तों का पूरा न किया जाना ।

शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय

60. **राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के प्रकाशन:**—लेखापरीक्षारिपोर्ट (सिविल) 1964 के पैराग्राफ 89 (ख) में, जून 1957 से दिसम्बर, 1962 के दौरान प्रकाशनों की ट्रस्ट द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक छपाई का उल्लेख किया गया था। नीचे दी गई सारणी में 1961-62 से 1968-69 के दौरान ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और संचालित अंग्रेजी पुस्तकों के अलावा प्रकाशनों की मुद्रित बेची गई और मुफ्त वितरित (मार्च, 1970 तक) प्रतियों की संख्या दिखाई गई है।

वर्ष	भाषा	प्रकाशित हुई पुस्तकों की संख्या	छपाई आदि की लागत	मुद्रित प्रतियां	बेची गई प्रतियां	मुफ्त वितरित प्रतियां	स्टाक में प्रतियां	स्टाक में पड़ी प्रतियों की प्रतिशतता
			(लाख रुपयों में)					
1961-62 से 1965-66	क्षेत्रीय भाषाएं . . .	15	0.30	28,755	6,144	1,646	20,965	72.9
1966-67	क्षेत्रीय भाषाएं . . .	9	0.35	25,992	9,144	803	16,045	61.7
	हिन्दी . . .	10	0.38	34,976	7,557	1,103	26,316	75.2
1967-68	क्षेत्रीय भाषाएं . . .	35	1.01	65,379	10,413	2,839	52,127	79.7
	हिन्दी . . .	21	0.87	64,067	12,472	1,655	49,940	77.9
1968-69	क्षेत्रीय भाषाएं . .	31	1.01	57,529	5,016	1,696	50,917	88.4
	हिन्दी . . .	16	0.71	37,861	6,905	637	30,319	80.1

ट्रस्ट ने बताया (मार्च 1970) कि "वह ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन का काम हाथ में लेता है जिन्हें एक सामान्य पाठक द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जिन्हें एक गैर सरकारी प्रकाशक निहित जोखिम के कारण नहीं छापेगा" और कि "इसी कारण ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर जहां तक उनके विक्रय का संबंध है वहां तक प्रारंभ में हानि होती है।" मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1970) कि "ट्रस्ट ने देश के कुछ प्रमुख वितरकों के साथ बातचीत करके ठेका किया है जिन्होंने पांच वर्षों के लिए विविध भारतीय भाषाओं में प्रकाशित ट्रस्ट की पुस्तकों के समग्र संस्करण बेचने का काम हाथ में ले लिया है।"

दिल्ली प्रशासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

61. **अनुदानों की समयपूर्व अदायगी**:—दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित कालेजों के लिए भवनों के निर्माण पर व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान लेकर, प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। मार्च 1967 से मार्च 1969 के दौरान प्रशासन ने पृष्ठ 72 व 73 पर बताए गए पांच कालेजों को (अब पंजीकृत समितियां) समुचित प्राधिकारियों द्वारा पट्टों का अथवा नक्शों और अनुमानों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा किए बगैर भूमि की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए अपने हिस्से के 24.75 लाख रुपए अनुदानों के रूप में दिए।

क्रम संख्या	संस्था	कब दिया	दिया गया अनुदान	31-3-70 को अप्रयुक्त रहा अनुदान (लाख रुपयों में)	अनुदान का प्रयोजन	कैफियत
1.	हस्तिनापुर कालेज, मोतीबाग	मार्च 1967	0.50	4.30	भूमि की खरीद	भूमि के लिए पट्टे को अभी तक (नवम्बर, 1970) अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।
		मार्च 1968	4.00			
					भवन निर्माण	कालेज को आवंटित प्लाट का एक हिस्सा, एक पड़ौसी कालेज द्वारा बलात हथिया लिया गया है (नवम्बर 1970) ।
2.	माडर्न कालेज फार वीमेन, डिफेंस कालोनी	मार्च 1968	5.00	5.00	भवन निर्माण	राशि आवधिक जमा में रखी गई । नक्शे अक्तूबर 1970 में अनुमोदित हुए और कालेज को गैर सरकारी एजेंसी के माध्यम से कार्य करने का प्राधिकार मिला ।
3.	शिवाजी कालेज, कर्मपुरा	मार्च 1969	5.00	5.00	भवन निर्माण	नक्शे और अनुमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (सितम्बर 1970) में अनुमोदित किए गए ।
4.	स्वामी श्रद्धानंद कालेज, अलीपुर	मार्च 1969	3.25	3.25	भूमि की खरीद	दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग को भूमि के मूल्य के लिए 2.90 लाख रुपए पेशगी दिए गए । किन्तु कालेज को अक्तूबर, 1969 में एक ग्राम पंचायत से भूमि दान में प्राप्त हो गयी ।

5. वीमेन कालेज, तीमारपुर	मार्च 1968	7.00	6.72	भवन निर्माण	दिसम्बर, 1969 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डिंग के नक्शे अनुमोदित किए गए। निर्माण कार्य नवम्बर 1970 में शुरू हुआ।
	जोड़	24.75	24.27		

एक मामले को छोड़कर अभी निर्माण कार्य, शुरू नहीं हुआ है (नवम्बर, 1970) 24.27 लाख रुपए का अप्रयुक्त शेष कालेजों के पास पड़ा है। प्रशासन ने नवम्बर, 1970 में बताया कि निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कालेजों को गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से काम करवाने की अनुमति दे दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी हस्तिनापुर कालेज को मार्च, 1967 में 0.50 लाख रुपए, और माडर्न कालेज फार वीमेन को मार्च 1970 में 2.50 लाख रुपए अपने समान अंशदान के रूप में दिए थे। आयोग ने नवम्बर 1970 में बताया कि हस्तिनापुर कालेज से अप्रयुक्त शेष को लौटाने के लिए कहा गया है। माडर्न कालेज फार वीमेन को भी राशि को अर्जित ब्याज सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास जमा करने अथवा आयोग को वापस करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

62. **(क) पठन-तैयारी किट**:––प्रकाशन यूनिट ने जुलाई, 1968 में (पहली बार) परिषद् के पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विभाग, 1977 के अनुरोध पर 1.29 लाख रुपए की लागत से पटन तैयारी किटों, जिसके अन्तर्गत चार्ट, शब्द कार्ड, फ्लैनलग्राफ, वाक्य आदि आते हैं (पूर्व प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के आरंभकों के उपयोग के लिए) का प्रकाशन किया। इनमें से 66 किटों को, संयोजन किये जाने के बाद, 65 रुपए प्रति किट की दर से बेचा दिया गया और 1306 किट (जिनका मूल्य 0.85 लाख रुपए था) सितम्बर, 1969 तक निःशुल्क वितरित किए गए। शेष 605 किटों (मूल्य 0.39 लाख रुपए) को संयोजित नहीं किया गया है (सितम्बर 1969)। परिषद ने और पठन तैयारी किट तैयार नहीं किए हैं।

(ख) समूल्य प्रकाशनों को निःशुल्क जारी करना:–– 1963 और मार्च 1966 के बीच परिषद् द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किए गए (बहत्तर शीर्षकों में से) तेरह समूल्य शीर्षकों की मुद्रित प्रतियों की संख्या 900 से 10,000 प्रतियां प्रति शीर्षक के बीच थीं और उनका विक्रय मूल्य 0.50 पैसे से लेकर 25 रुपए फी प्रति तक था। कुल मिलाकर 55,619 प्रतियां मुद्रित की गई जिनमें से केवल 17,713 प्रतियां बेची गई या मानार्थ प्रतियों के रूप में निःशुल्क जारी की गई। (मार्च 1968 तक)। देश में शिक्षा के लिए इस साहित्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इन प्रकाशनों की सामयिकता का लोप हो जाने की आशंका से अप्रैल, 1968 में परिषद ने शिक्षा संस्थाओं को 33,300 प्रतियां निःशुल्क जारी करने का निर्णय किया। निःशुल्क जारी की गई इन 33,300 प्रतियों का मूल्य 1.56 लाख रुपए (एजेंट के कमीशन को काट कर विक्रय मूल्य) था।

(ग) **बकाया दावे**:––1966–67 में परिषद् ने अपने यहां की प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के वितरण और बिक्री का कार्य दिल्ली प्रशासन को सौंपा और उसे कुल निकासी पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष कमीशन और 15 प्रतिशत व्यापार कमीशन की अदायगी करने का निर्णय किया। परिषद् ने पुस्तक विक्रेताओं, शिक्षा संस्थाओं, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति को भी क्रेडिट पर इन प्रकाशनों की पूर्ति की। 31 अगस्त, 1970 को इन एजेंटों से 5.59 लाख रुपये की वसूली की जानी थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

	(लाख रुपयों में)	
दिल्ली प्रशासन	3.10	(इसमें अनबिके स्टाक की लागत शामिल नहीं है जिसके ब्यौरे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं)।
नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति	1.51	
एजेंट/पुस्तक विक्रेता	0.62	
संस्थाएं/स्कूल	0.36	
जोड़	5.59	

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

63. **होमियोपैथी का विकास**:—अनुदान की शर्तों का पूरा न किया जाना-महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर मंत्रालय ने 1960–61 से 1969-70 के दौरान बंबई में एक समिति को कालिज भवन उपस्कर, फिटिंग्ज के निर्माण, स्टाफ के वेतन आदि के लिए 5.33 लाख रुपए के अनावर्ती अनुदान और 6.23 लाख रुपये के आवर्ती अनुदान की अदायगी की ।

1960-61 से संस्वीकृत किए गए अनुदान की एक शर्त यह थी कि समिति को चाहिए कि वह वर्तमान पाठ्यक्रम को बढ़ा कर इसे डिग्री पाठ्यक्रम बना दे । डिग्री पाठ्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किया गया है (अप्रैल 1970) ।

मंत्रालय ने दिसम्बर, 1970 में बताया कि "होमियोपैथिक सलाहकार समिति ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए समान पाठ्यक्रम विवरण परिचालित किया है जिसे अभी होमियोपैथिक मेडिकल कालिजों में अपनाया जाएगा । पाठ्य विवरण अपनाए जाने से पहले इस संबंध में निश्चय कर लेना चाहिए कि क्लिनिकल शिक्षण के लिए शिक्षण संस्था के साथ 200 पलंग वाला अस्पताल भी संलग्न हो । होमियोपैथिक शिक्षा समिति, बम्बई एक ऐसे अस्पताल का निर्माण करने का प्रयास कर रही है जिसमें पलंगों की अपेक्षित संख्या की व्यवस्था हो । यद्यपि संस्था अभी तक डिग्री पाठ्यक्रम को चालू नहीं कर सकी है तथापि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस संस्था को मात्र इस कारण से वित्तीय सहायता बंद कर दी जाय । अब समिति द्वारा अस्पताल के निर्माण के लिए कर्जा लिए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है" ।

64. **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद**:—परिषद्, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, सात स्थायी अनुसंधान संस्थाओं और आठ (अर्द्धस्थायी) अनुसंधान यूनिटों के माध्यम से अपना कार्य संचालन करती है । परिषद् स्वयं अपने द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अलावा मुख्यत: विश्वविद्यालय संकायों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सीमित अवधि की तदर्थ अनुसंधान योजनाओं को भी वित्तपोषित करती है । निम्नलिखित सारणी परिषद् द्वारा प्राप्त अनुदान तथा उसके द्वारा अनुसंधान संस्थाओं, अनुसंधान योजनाओं और तदर्थ योजनाओं पर किए गए व्यय की सूचक हैं :

	1967-68	1968-69	1969-70
	(लाख रुपयों में)		
सरकार से प्राप्त अनुदान . . .	116.83	143.67	162.23
अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान . . .	1.37	2.45	3.06
स्थायी अनुसंधान संस्थानों पर किया गया व्यय	41.25	42.33	48.10
अनुसंधान यूनिटों पर किया गया व्यय . .	3.57	4.18	9.40
तदर्थ अनुसंधान योजनाओं पर व्यय . .	48.98	56.91	65.68

तदर्थ अनुसंधान योजनाओं पर अनुसंधान यूनिटों पर व्यय की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातें लेखापरीक्षा विभाग के देखने में आईं :

(I) **तदर्थ अनुसंधान योजनाएं :**

(क) **योजनाओं के पूरा किए जाने में देरी**--1961 से प्रारम्भ की गई योजनाओं की समीक्षा से पता लगा कि 223 योजनाएं मूलतः आयोजित अवधि के बाद भी चालू रहीं और यह अवधि दो वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक थी। इनमें से 13 मामलों में बढ़ाई गई अवधि 3 से 5 वर्ष तक की थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

बढ़ाई गई अवधि	योजनाओं की संख्या	आयोजित अवधि के दौरान व्यय	बढ़ाई गई अवधि के दौरान व्यय
		(लाख रुपयों में)	
3 वर्ष	6	1.91	3.40
4 वर्ष	3	1.47	2.77
5 वर्ष और अधिक	4	1.50	5.79
जोड़	13	4.88	11.96

मंत्रालय ने बताया कि (दिसम्बर 1970) कि "प्रत्येक योजना की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है और विशेषज्ञ समिति द्वारा उसके परिणामों के आधार पर ही उसकी अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में निश्चित किया जाता है" और "विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में पूरी तरह से तसल्ली किए जाने के पश्चात्, कि अनुसंधान के प्रयोजन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, अवधि को बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी जाती है।"

सितम्बर 1966 में परिषद द्वारा उसके द्वारा प्रायोजित चिकित्सा अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति तथा परिषद के स्थायी अनुसंधान संस्थानों और (अर्द्ध-स्थायी) अनुसंधान यूनिटों और सेलों आदि के कार्यों और योगदान का निर्धारण करने के लिए नियुक्त की गई पुनरीक्षण समिति ने 1968 में सूचित किया कि परिषद् की उपलब्धियों का अभिलेख बहुत ही शानदार है और उसने देश में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के चिकित्सा अनुसंधान का सूत्रपात एवं विकास किया है और उसने "पोषण, विषाणु रोग, क्षयरोग, हैजा आदि से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों के विकास में सतत योगदान किया है। परिषद् ने रोग जांच औषधि तथा मूल चिकित्सा विज्ञान के बहुत से अनुसंधान यूनिट तथा कुछ सेवा-व-अनुसंधान यूनिटों की स्थापना किए जाने को भी प्रोत्साहित किया है। वह निरन्तर बढ़ती हुई बहुत सी अल्पकालिक अनुसंधान योजनाओं को भी सहायता प्रदान कर रही है।" पुनरीक्षण समिति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि "अनुसंधान संबंधी पूछताछ की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने पर भी", "यह सन्तोष या तुष्टि का विषय नहीं है।" समिति ने इस बात की ओर भी संकेत किया कि "अधिकतर अनुसंधान गम्भीर प्रकार के नहीं हैं", और परिषद द्वारा साथ-साथ निरीक्षण और समीक्षा न किए

जाने के कारण "बड़े पैमाने पर केवल आवृतिमूलक और तथ्य जानकारी अनुसंधान को बढ़ावा मिला है जिसमें से बहुत से अनुसंधान कार्य से राष्ट्र का कोई हित नहीं होगा।" समिति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि कुछ संस्थाओं में "अनुसंधान योजनाओं का अनुचित संकेन्द्रण" हुआ है और ऐसा किए जाने के कारण "केवल अनुसंधान योजनाओं का महत्व न होकर कुछ वाह्य कारणों से ही हुआ है।" समिति ने इसके साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं :—

(i) सामान्यतया योजनाओं को कम से कम दो वर्ष के लिए और अधिक से अधिक तीन वर्ष के लिए संस्वीकृत किया जाना चाहिए और उस अवधि को समाप्त होने पर उन्हें अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।

(ii) किसी एक विभाग में 50,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए सरकारी मूल्यनिरूपक होने चाहिए।

(iii) बड़ी संस्थाओं को स्वयं अपनी अनुसंधान निधियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे छोटी संस्थाएं अपनी योजनाओं के लिए परिषद् से धन प्राप्त कर सकें।

यह बताया गया था (दिसम्बर, 1970) कि सिफारिशों को परिषद् द्वारा लगभग ज्यों का त्यों क्रियान्वित किया जा रहा था।

यह भी बताया गया था कि "बड़ी बड़ी परियोजनाओं की अपनी अपनी समितियां हैं जो लगातार परियोजना के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन कर रही हैं।" मद (iii) के विषय में आगे यह बताया गया कि "परिषद् के शासी निकाय ने निश्चिय किया कि जब तक संस्थानों को पर्याप्त निधि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इंडियन काऊन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च अच्छे वैज्ञानिकों को ऐसे स्थानों पर अपने अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए सहायता दे सकता है।"

(क) **मदनापल्ले अनुसंधान एकक**:—परिषद् ने एकक को 1956 में अपने अधिकार में लिया और तपेदिक सम्बन्धी (कुल मिलाकर) तीन परियोजानाओं को अपने अधीनस्थ लेकर इन पर मार्च 1970 तक 43.33 लाख रुपये खर्च किए। एक विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की (1965) कि परियोजना "बहुत अधिक समय" से चली आ रही है और एकत्र की हुई सामग्री का अब विश्लेषण कर दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश का समर्थन एक कार्यकारी दल द्वारा भी किया गया जिसने सुझाव दिया कि परियोजना के कार्यों पर एक समेकित रिपोर्ट दिसम्बर, 1966 तक तैयार की जानी चाहिए। परिषद् द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने "कार्य की कोटि तथा उसके स्तर की व्यापक सराहना" का उल्लेख करते हुए यह संकेत किया (1968) कि "अध्ययन बहुत दीर्घकाल तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।" इसने अन्वेषणों के लिए "निश्चित समय और स्थान" तय न किए जाने तथा वर्तमान समस्याओं को सुलझाए बिना ही पूरक समस्याओं के आरम्भ कर दिए जाने से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। एकक का निरीक्षण करने पर परिषद् इस निष्कर्ष पर पहुंची (जुलाई, 1969) कि जिन तीन परियोजनाओं पर एकक कार्य कर रहा था उनमें से एक के लिए विशेष क्षेत्र कार्य की आवश्यकता नहीं है तथा शेष दो परियोजनाओं के विषय में, "सामग्री के आलोचनात्मक एवं अधिकृत विश्लेषण के अभाव में उनके द्वारा किए गए कार्य का ठीक ठीक मूल्यांकन करना कठिन था।" 31 मार्च, 1970

को एकक बन्दकर दिया गया । एकक से सितम्बर, 1970 म अंतिम रिपोर्ट का एक भाग प्राप्त हुआ जिस पर अक्तूबर, 1970 के तपेदिक तथा वक्ष रोगों की विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। रिपोर्ट के दूसरे भाग की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1970) ।

(ख) **ट्रैकोमा अनुसंधान केन्द्र, अलीगढ़** :—1960 में जिस एकक की स्थापना ट्रैकोमा कारक इसके पार्थक्य लक्षण तथा उपयुक्त टीके को तैयार करने के सम्बन्ध में बुनियादी सूचनाएं एकत्र करने के लिए की गई थी, को मार्च, 1970 तक 4.91 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था । समीक्षा समिति (1968) ने ध्यान दिलाया कि "यद्यपि इस जांच पर पर्याप्त धन खर्च किया जा चुका था फिर भी, घटकों की विविधिता के कारण, एकक ने अपेक्षित गति प्राप्त नहीं की थी ।" परिषद् के विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की (दिसम्बर, 1968) कि केन्द्र को मार्च, 1971 तक समाप्त कर दिया जाएगा तथा इस दौरान इसे विलनिकल महामारी और चिकित्सा अभ्यासों सहित महामारी विज्ञान के अनुसंधानों पर अपने आप को केन्द्रित करना चाहिए । एक अन्य विशेषज्ञ समिति, जिसमें केन्द्र के कार्यों की 1969 में समीक्षा की, ने बताया कि पिछले विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया तथा चूंकि भविष्य में भी कोई हितकर परिणाम निकलने की संभावना नहीं है, अतएव केन्द्र को अप्रैल, 1970 से बंद कर दिया जाना चाहिए । मंत्रालय ने बताया (दिसंबर, 1970) कि "ट्रैकोमा अनुसंधान केन्द्र को 31 मार्च, 1970 को बन्द कर दिया गया था किन्तु केन्द्र के समापन के लिए तकनीशन, ड्राइवर तथा एक ड्रेसर की सेवाओं की आवश्यकता थी । तकनीशन तथा ड्राइवर की सेवाएं 30 अप्रैल, 1970 तथा ड्रेसर की 31 मई, 1970 को समाप्त कर दी गई थीं ।"

(ग) **अनुसंधान एककों के कार्यचालन का सामान्य विवेचन** :— परिषद् द्वारा स्थापित विभिन्न अनुसंधान एककों के कार्य-चालन के मूल्यांकन के बाद, समीक्षा समिति ने मार्च, 1968 में बताया कि जब कि उनमें बहुत से एककों ने "उपयोगी ज्ञान-वर्द्धन में योग दिया है," तथापि "एककों का आकार बढ़ता गया है—और कभी-कभी तो वह वास्तविक आवश्यकताओं के अनुपात से कहीं अधिक हो गया है" तथा उनके कार्यक्रम, "जो कि मूलतः बहुत स्पष्ट थे," बाद में "छितरते गए" और "उनका फैलाव संकेन्द्रीय वृत्तों में होता रहा ।" समिति ने बताया कि एककों के आकार "सीमित" किए जाने चाहिए तथा "आदर्श निर्धारित" कर देने चाहिए तथा सहायता अधिक से अधिक तीन वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की सीमित अवधि के लिए इस शर्त पर दी जानी चाहिए कि उपयुक्त सलाहकार समितियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता रहे । परिषद् की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया (1969 में) । दिसम्बर, 1970 में यह बताया गया कि एककों के कार्यों का निरीक्षण उपयुक्त सलाहकार समितियों के सदस्यों तथा परिषद् की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया गया है तथा बहुत हद तक यह सिफारिश भी क्रियान्वित कर दी गई है कि एककों को सीमित अवधि के लिए सहायता दी जानी चाहिए ।

गृह मंत्रालय

(दिल्ली नगर निगम)

65. भवन निर्माणकार्यों का निष्पादन.––पांच भवन निर्माण कार्य (एक स्कूल, दो कुष्ठालय, एक नर्सों का छात्रावास, तथा आठ आवास गृह) जिनकी अनुमानित लागत 15.59 लाख रुपए थी तथा जिनके लिए सम्पूर्ण वित्तीय अनुदान सरकार द्वारा दिया गया था––दिल्ली नगर निगम द्वारा जून 1965 में भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम को बेसिस सहित लागत (अर्थात निर्माण लागत तथा उसका 15 प्रतिशत) पर दे दिए गए। इस कार्य को निगम को सौंपने का निर्णय शीघ्रता से निष्पादन करने के लिए तथा बड़ी सड़कों तथा भवनों के कार्यक्रम को निष्पादित किए जाने में उपयुक्त ठेकेदारों के मिलने में जो बड़ी अड़चने बताई गई थी उनसे बचने के लिए किया गया।

निर्माणकार्य 9 से 24 माह के भीतर पूरे कर दिए जाने चाहिए थे परन्तु पांच वर्ष बीत जाने पर भी अभी इन पर काम चल रहा है (सितम्बर, 1970)। जो शर्तें राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम के साथ तय हुई थी (कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है) उनमें कार्य के देर से पूरा किया जाने पर किसी दण्ड का विधान नहीं था।

कार्य की अनुमानित लागत 15.59 लाख रुपये थी किन्तु 22.85 लाख रुपये तो निगम द्वारा 31 मार्च 1970 तक व्यय किए जा चुके हैं। संशोधित अनुमानों के अभाव में निर्माणकार्य के सम्बन्ध में भावी उत्तरदायित्वों का भी निश्चय नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम प्रत्येक मद के लिए नगर निगम द्वारा अनुमानित दरों तथा अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में आबद्ध नहीं था। यद्यपि यह इस बात के लिए तैयार हो गया था कि प्रत्येक निर्माणकार्य के प्रारंभ हो जाने पर तीन महीने के भीतर वह नगर निगम को निकटतम अनुमान प्रस्तुत कर देगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम को 1965–66 में एक निर्माणकार्य के लिए दो लाख रुपये अग्रिम दिए गए। यह तय किया गया था कि प्रतिमास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक चालू अदायगी की राशि के 10 प्रतिशत में इस राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। 1.25 लाख रुपये का समायोजन अभी भी (31 मार्च, 1970) किया जाना बाकी है। 1969–70 में राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम ने कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम द्वारा नगर निगम को हुए व्यय के लेखापरीक्षित विवरण (जो प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे) इन निर्माण कार्यों पर अब तक (सितम्बर, 1970) प्रस्तुत नहीं किए गए।

दिसम्बर 1970 में मंत्रालय द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों में निगम ने बताया कि 'निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा उनके अन्तिम रूप से पूरा होने में विलम्ब का हो जाना निर्माणकार्यों में सामान्य बात है" तथा "क्रियान्वयन एजेंसी का भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण निगम का कोई

बड़ा स्पष्टीकरण नहीं देना है । इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम के साथ करार के निष्पादन तथा उनके लेखों को अंतिम रूप देने में कुछ विलंब हुआ है" तथा "उनके लेखों को अंतिम रूप देने/समायोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।"

66. **अनुदानों का समय पूर्व भुगतान**.—कुछ योजनाओं (जिनमें पुलों, सड़कों, तल-मार्ग, एक स्टेडियम का निर्माण तथा हरिजन बस्तियों, यमुना तट और घने क्षेत्रों का सुधार सम्मिलित था) का निष्पादन करने के लिए, जिनकी अनुमानित लागत 46.25 लाख रुपए थी, के लिए 31 मार्च, 1969 तक के प्रत्याशित व्यय के लिए दिल्ली नगर निगम को 25 मार्च, 1969 को 16.40 लाख रुपए दिए गए । 29.85 लाख रुपए का एक और अनुदान (लेखे में) दो किस्तों में 1969–70 में दे दिया गया । 1968–69 तथा 1969–70 में व्यय क्रमशः 11,377 रुपए तथा 32.65 लाख रुपए था । अतः मार्च, 1969 और 1969–70 में दिए गए अनुदान बहुत अधिक थे ।

67. **दिल्ली की एक सड़क को चौड़ा करना**.—एलिगन रोड़ दिल्ली, को चौड़ा करने (चौड़ाई कार्य नगर निगम द्वारा किया गया) के व्यय के लिए योजनागत कार्यक्रम के रूप में सहायक अनुदान के द्वारा सरकार ने दिल्ली नगर निगम को वित्तपोषित किया । 6 जनवरी, 1965 को इस निर्माणकार्य के लिए निविदा मांगी गई थी किन्तु 3.73 लाख रुपये की अनुमानित लागत 33 प्रतिशत अधिक वाला निम्नतम प्रस्ताव ऊंचा समझ कर अस्वीकृत कर दिया गया था । 20 जनवरी, 1965 को नई निविदाएं आमंत्रित की गईं जिन्हें 6 फरवरी, 1965 को खोला गया । उनमें निम्नतम प्रस्ताव अनुमान (अर्थात् 4.67 लाख रुपये) से 25·06 प्रतिशत अधिक और तीन माह (5 मई, 1965 तक) तक के लिए वैध था । निगम ने 30 अप्रैल, 1965 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया किन्तु कार्य-आदेश 29 मई 1965 को जाकर दिया गया । वैध अवधि के 5 मई, 1965 को समाप्त हो जाने के कारण ठेकेदार कार्य का निष्पादन करने के लिए सहमत नहीं हुआ । पुनः नई निविदाएं 4 जनवरी, 1966 को आमंत्रित की गईं और एक मात्र प्राप्त निविदा (अनुमान से 40.7 प्रतिशत अधिक) को मई, 1966 में स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार, जो कार्य 9 माह अर्थात फरवरी, 1967 तक समाप्त हो जाना चाहिए था, 34 माह में 31 मार्च, 1969 को 5.19 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ ।

6 फरवरी, 1965 को खोली गई निविदा की वैध अवधि के अंतर्गत कार्य-आदेश न दिए जाने के परिणामस्वरूप 0.52 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

मंत्रालय ने बताया (नवंबर, 1970) कि चूंकि निर्माणकार्य निगम द्वारा निष्पादित किए जाने हैं अतएव मंत्रालय द्वारा इस विवरण के विषय में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

68. **दिल्ली अग्नि शमन सेवा**.—मार्च, 1959 में सरकार ने 58 लाख रुपए की लागत से दिल्ली अग्नि शमन सेवा के सुधार एवं विस्तार के लिए स्वीकृति दी जो जनवरी 1963 में बढ़ा कर 72.64 लाख रुपए कर दी गई । सात नए दमकल-स्टेशन (लागत 36.34 लाख रुपए) तथा कुछ अन्य अतिरिक्त भवन आदि (लागत 17.05 लाख रुपए) का निर्माण कराया जाना था, 18.75 लाख रुपए के उपस्कर क्रय किए जाने थे । सरकार द्वारा 1958-59 से लेकर 1968–69

तक के दौरान सरकार द्वारा प्रदत 47.15 लाख रुपए के कुल अनुदान की तुलना में निगम द्वारा 31 मार्च, 1969 तक 48.27 लाख रुपए (उपस्करों के 17.92 लाख रुपए मिलाकर) निम्नलिखित प्रकार व्यय किए गए : —

वर्ष	अनुदानों का भुगतान किया गया	व्यय
	(लाख रुपयों में)	
1958–59 से 1965–66	33.49	41.06
1966–67	7.87	3.05
1967–68	3.05	2.81
1968–69	2.74	1.35
	47.15	48.27

अनुदान के 47.15 लाख रुपए में से 1.25 लाख रुपए सरकार को लौटा दिए गए थे तथा 48.27 लाख रुपए के व्यय में से 1.03 लाख रुपए लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं किए गए थे।

योजना को स्वीकृत करते हुए सरकार ने 1959 में कहा कि निर्माणकार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो एक विशेष लोक निर्माण प्रभाग स्थापित कर लिया जाना चाहिए तथा संहिता संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्माणकार्य का निष्पादन आपतकालीन स्तर पर किया जाना चाहिए। फिर भी सात नए दमकल स्टेशनों में से केवल चार का निर्माणकार्य प्रारम्भ किया गया (मई 1961 और जनवरी, 1968 के मध्य)। इन चार में से दो दमकल स्टेशन पूरे हो चुके हैं (सितंबर, 1964 तथा दिसम्बर, 1966 में) तथा अन्य दो अभी पूरे होने शेष हैं। शेष तीन दमकल स्टेशनों (जिनकी अनुमानित लागत 1963 में 15.18 लाख रुपए थी) का निर्माणकार्य आरम्भ नहीं हुआ है (सितम्बर, 1970)।

सरकार द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 1970 में) कि "योजना को पूरा किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस प्रकार की किसी समय सीमा का निर्धारण संभव भी न था क्योंकि इस योजना के निष्पादन में अग्नि-शमन उपस्करों की उपलब्धि भी सम्मिलित थी जिनकी पूर्ति बहुत संतोषजनक न थी तथा स्थल अभिग्रहण एवं दमकल स्टेशनों का निर्माण करना भी ऐसे काम को जिनके विषय में ठीक ठीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था।"

सिंचाई और बिजली मंत्रालय

(दिल्ली प्रशासन)

69. **डोलों (ड्रैगलाइन्स) के उपयोग की सीमा**.—1966–67 से 1969–70 के दौरान दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण स्कंध ने बाढ़ नियंत्रण प्रयोजनों के लिए नालियों, नदियों आदि के पुनः विभाजन और क्रम स्थापन में मिट्टी के काम के लिए तेरह डोलों का (लागत 58.40 लाख रुपए) प्रचालन किया। उक्त अवधि के दौरान उनके चलाने, अनुरक्षण और पूरी मरम्मत पर 29.40 लाख रुपए खर्च हुए। उपर्युक्त डोलों में से पांच डोल जो कि नये थे, मई से अक्तूबर 1966 के

दौरान प्राप्त किए गए और शेष आठ डोल 1965 में कार्य के हस्तान्तरण के साथ पंजाब सरकार से लिए गए थे (जिसने उन्हें 1962 में खरीदा था)। मशीनों का कार्यकाल, 20,000 घंटों की कुल कार्य-क्षमता सहित 8 वर्ष है। दिसम्बर 1967 से मार्च 1970 तक की उस अवधि को छोड़कर जब कि एक डोल क्रेन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, 13 मशीन उपर्युक्त चार वर्षों की अवधि के दौरान 1,24,000 घंटे (लगभग) काम कर सकती थीं। लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल 61,000 घंटे काम किया, वास्तविक काम के घंटों में लगातार कमी होती गई है (1966–67 में 21,063 घंटे, 1967–68 में 15,358 घंटे, 1968–69 में 15,466 घंटे और 1969–70 में 9,113 घंटे)।

उपर्युक्त मशीनों में से पांच मशीनों ने दिसम्बर 1967 और उसके बाद केवल एक पारी में काम किया, जबकि बाकी मशीनों ने दो पारियों में काम किया। प्रत्येक पारी 8 घंटों की होती है जिसमें से 2 घंटे पारी के शुरु और अन्त में कर्मचारियों को कार्यस्थल तक और वहां से वापस वहन करने के लिए और एक घंटा लंच और सर्विसिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। चार वर्षों के दौरान भारी टूट फूट के कारण 27,396 घंटों की हानि हुई। मंत्रालय ने यह बताया (नवम्बर 1970) कि मशीनों को वर्षा के मौसम में चलाना संभव नहीं था और "डोलों को चलाने के लिए सामान्यतया उपलब्ध अवधि केवल 15 नवम्बर से 15 जून तक है और अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले वर्षों में, जैसा कि 1967 में, यह अवधि लगभग एक माह और कम हो जाती है।" इस प्रकार ये मशीनें एक वर्ष में सामान्यतया केवल 7 महीने काम करती है (दिल्ली क्षेत्र में)। डोलों को चलाने के लिए कर्मचारी पूरे वर्ष के लिए रखे गए थे। उनके वेतन और भत्तों का वार्षिक व्यय लगभग 2.57 लाख रुपए था।

सातवां अध्याय

कर्जे और पेशगियां

वित मंत्रालय

70. **यू० एस० ए० आई० डी० कर्जे**—यू० एस० ए० आई० डी० से लिए गए कर्जों में से 73.65 लाख अमरीकी डालर (5.524 करोड़ रुपए) की कुल राशि ए० आई० डी० प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण 1967–68 और 1969–70 के बीच वापस कर दी गई । धन-वापसियों का मोटे तौर पर वर्गीकरण निम्नप्रकार किया गया है :—

अमरीकी डालरों में वापस की गई राशि

वर्ग	तीन वर्षों के दौरान की गई धन-वापसियों की संख्या	गैर सरकारी पार्टियों को	सरकारी कंपनियों और स्वायत्त निकायों को	सरकारी विभागों को	वापस की गई कुल राशि अमरीकी डालरों में
1	2	3	4	5	6
(1) आयात माल का उपयोग न किए जाने के कारण धन वापसियां . . .	12	662,141.08	554,502.53	97,021.12	1,313,664.73
(2) आयात माल को अनुपयुक्त प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के कारण धन वापसियां	5	223,409.48	2,845,247.00	..	3,068,656.48

1	2	3	4	5	6
(3) विदेशी मुद्रा के अनुपयुक्त मदों पर खर्च कर दिए जाने के परिणाम-स्वरूप धन वापसियां	58	403,018.75	757,133.72	294,473.95	1,454,626.42
(4) यू० एस० ए० आई० डी० से प्रतिपूर्तियों की अधिक दुबारा प्राप्त राशियों के कारण धन वापसियां . . .	21	786,916.94	1,015.80	..	787,932.74
(5) ठिकाने से पहले उतारने से हुई क्षति आदि के दावों के निपटारे के कारण धन-वापसियां	93	695,327.83	30,817.96	14,013.13	740,158.92
जोड़ . .	189	2,770,814.08	4,188,717.01	405,508.20	7,365,039.29

या 5,52,37,794.65 रु०

धन वापसियों के कुछ विशेष मामले नीचे दिये गये हैं :—

(i) **आयात माल का उपयोग न किए जाने के कारण धन वापसियां** :—इन धन वापसियों में 282,000 डालर, 116,947 डालर और 60,250 डालर शामिल है जो कि क्रमशः ट्राम्बे उर्वरक परियोजना, दिल्ली "सी" ऊष्मीय बिजलीघर और बरौनी ऊष्मीय बिजली परियोजना द्वारा आयात किए गए 4 वैगन टिपलरों की लागत को दर्शाते हैं। इन मामलों में आयात किए गए टिपलरों को केवल चार पहियों वाली बोगियों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था । अतः कोयला वहन करने के लिए आठ पहियों वाले वैगनों को इस्तेमाल करने की नई नीति के कारण इन टिपलरों का उपयोग नहीं किया जा सका, अथवा कुछ अन्य कारणों से इन टिपलरों को ठीक समय के अन्दर अन्दर इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

चूंकि रेलवे द्वारा 1964 में आयात किए गए इस्पात का उचित अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया गया था और चूंकि खुली हुई हालत में प्राप्त किये गये प्रेषण के कुछ भाग के सर्वेक्षण के बारे में, पत्तन न्यास प्राधिकारियों, आदि के साथ चल रहे विवाद के कारण उक्त भाग भारत में पहुंचने के तीन वर्ष के बाद भी बम्बई पत्तन से उठाया नहीं गया था, इसलिए 89,978.30 डालर वापस करने पड़े । यह बताया गया (नवम्बर 1970) कि "रेलवे ने इस बात की पुष्टि की है कि कम वितरित की गई थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर उनके द्वारा आयात किए गए इस्पात का रेल के डिब्बों के विनिर्माण और मरम्मत के लिए उपयोग किया गया है।" 91,164,53 डालरों की एक और धन वापसी करनी पड़ी क्योंकि बारापानी जल विद्युत परियोजना के लिए आयात किया गया उपस्कर भारत में देर से प्राप्त होने (अर्थात मई 1964) के कारण इस्तेमाल नहीं किया जा सका था । इसका कारण यह था कि इसके लिए आर्डर काफी पहले से नहीं दिए गए थे या उपस्कर अन्य परियोजनाओं को भेज दिए गए थे । नवम्बर 1970 में मंत्रालय ने यह बताया कि "आर्डर देते समय उपर्युक्त उपस्कर की आवश्यकता महसूस की गई थी, और यू० एस० ए० आई० डी० ने भी उसकी स्वीकृति दे दी थी । लेकिन बाद में हुई प्रगति के कारण, उनका उपयोग नहीं किया जा सका संबंधित प्राधिकारियों को यह सूचित करने को कहा गया है कि उक्त मदों का बाद में किस प्रकार उपयोग किया गया । उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा का विनिधान करने से पहले यह सुनिश्चय करने का हर प्रयत्न किया जाता है कि वह आयात, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का विनिधान किया जाता है, अनिवार्य है । विदेशी मुद्रा के विनिधान पर विचार करने से पहले परियोजना के प्राधिकारियों को अपने संबद्ध वित्त-विभाग से स्वीकृति भी लेनी होती है । लेकिन मांग का गलत अनुमान लगाने या शिल्प विज्ञान संबंधी अनपेक्षित परिवर्तनों के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयात की गई मद का उपयोग नहीं किया जाता ।

(ii) **आयात माल के अनुपयुक्त प्रयोजनों के लिए विचलन के कारण धन वापसियां** :—दो गैर सरकारी पार्टियों द्वारा आयात किए गए 121,555.63 डालर की लागत के स्नेहक आयात-लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आर्डनेंस फैक्टरियों को बेच दिये गए। लेकिन इस सौदे में ए० आई० डी० कर्जा करारों की शर्तों का उल्लंघन किया गया था जिनके अनुसार रक्षा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए कर्ज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अन्य दो मामलों में 2,381,366 डालर और 463,911 डालर वापस करने पड़े क्योंकि खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया तांबा आर्डनेंस फैक्टरियों को भेज दिया गया (उक्त कर्जे आर्थिक विकास के लिए थे, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं)। आर्डनेंस फैक्टरियों को उक्त तांबा बेचते समय, निगम के स्टाक में मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों से आयात किए गए तांबे की काफी मात्रा मौजूद थी और यदि सरकार द्वारा उन्हें यथोचित रूप से अनुदेश दिए गए होते तो निगम उक्त स्टाक से रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। मंत्रालय ने नवम्बर 1970 में यह बताया "चूंकि ए० आई० डी० कार्यक्रम के अधीन निधियां, आर्थिक विकास की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त की जाती है, इसलिए हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि रक्षा प्रयोजनों के लिए ए० आई० डी० निधियों से कोई विनिधान न किए जाएं.....इसलिए, जब इस प्रकार की धन वापसी का पहला दावा हमारे ध्यान में आया तो हमने उद्योग मंत्रालय को मई 1967 में अनुदेश जारी किए कि वह इस बात का सुनिश्चिय करे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यपवर्तनों के ऐसे मामलों की पुनरावृति नहीं होती। उक्त अनुदेशों में इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि ए० आई० डी० द्वारा दिए गए विनिधानों से केवल सिविल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। हमने सभी संबद्ध विभागों, आदि को अनुदेश जारी करते हुए इस बात पर पुनः बल दिया है कि ए० ई० डी० द्वारा प्रदत्त निधियों को केवल सिविल प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।" आगे यह भी बताया गया कि "धन वापसी का व्यावहारिक रूप से तात्पर्य यह है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त व्यवस्था मुक्त विदेशी मुद्रा से की गई और यदि ए० आई० डी० द्वारा प्रदत्त निधियों का उपयोग करने में तकनीकी गलती न होती तो स्थिति मूलतः ऐसी ही होती।"

(iii) **विदेशी मुद्रा के अनुपयुक्त मदों पर खर्च कर दिए जाने के परिणामस्वरूप धन-वापसियां**:—ये धन वापसियां नीचे (क) से (च) में उल्लिखित अनुपयुक्त मदों की बाबत कर्जे की निधियों में से की गई प्रतिपूर्तियों को दर्शाती है :—

(क) पात्रता—तारीख से पहले किए गए, आयात, (ख) गैर-अमरीकी ध्वज पोतों और एयर लाइनों पर भाड़ा प्रभार, (ग) अमरीका के अलावा अन्य स्रोतों से बीमा कराना, (घ) आस्थगित अदायगियों पर विदेशी पूर्तिकर्ताओं को अदा किए गए ब्याज प्रभार, (ङ) ए० ई० डी० द्वारा वित्त पोषण के लिए उपयुक्त मदों में शामिल न किए गए माल का आयात, (च) विदेशी पूर्तिकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा आदि में अदा किया गया भारतीय एजेंटों का कमीशन।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

71. **उपभोक्ता सहकारी समितियां**—उपभोक्ता सामग्रियों के उचित मूल्यों पर ठीक वितरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नवम्बर, 1962 में भारत सरकार ने 50,000 और अधिक की जनसंख्या वाले महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का संगठन आरंभ किया। अवमूल्यन के बाद, 2 लाख और अधिक जनसंख्या वाले नगरों में बड़े विभागीय स्टोरों की फुटकर वितरण व्यवसाय पर स्वस्थ प्रभाव डालने की दृष्टि से, स्थापना की व्यवस्था करने के लिए योजना का विस्तार किया गया। 1968–69 में सरकारी क्षेत्र में योजना के अंतरण तक, शेयरपूंजी अंशदान, ट्रकों और गोदामों के लिए ऋण व आर्थिक सहायता और प्रबंधकीय आर्थिक सहायता का 22.78 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था जिसमें से शेयर पूंजी (955.13 लाख रुपए) और ऋण (877.69 लाख रुपए) की राशियां राज्य सरकारों के दिये गए ऋणों की द्योतक है। 1969–70 से उपभोक्ता सहकारी समितियों को दी जानेवाली केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और राज्य सरकारों को देय अनुदानों का अंश होती है।

नवम्बर 1962 में आरंभ की गई केन्द्र प्रयोजित योजना में 200 थोक केन्द्रीय भंडारों और 4,000 प्राथमिक भंडारों/थोक भंडारों की शाखाओं की परिकल्पना की गई थी। अवमूल्यन के बाद सरकार ने प्रथमतः 101 नए थोक भंडार, 2,000 प्राथमिक शाखाएं और 43 विभागीय भंडार और स्थापित करने का निश्चय किया। निम्नलिखित सारणी 30 जून 1969 तक प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत वास्तविक रूप से स्थापित समितियों की संख्या दर्शाती है :—

प्रकार	संख्या	कैफियत
प्राथमिक समितियां . . .	13,950	संख्या 30–6–1968 की स्थिति की सूचक है। 30–6–69 की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है। 13,950 समितियों में से लगभग 7,000 समितियां योजना आरंभ होने से पहले संगठित की गईं थीं।
केन्द्रीय/थोक भंडार . . .	385	
विभागीय भंडार	80	

इसके अतिरिक्त, थोक भंडारों के 14 राज्य संघ तथा एक राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना की गई।

सितम्बर 1970 में लेखापरीक्षा द्वारा की गई एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :—

(i) **प्राथमिक भंडार** :—भारत सरकार द्वारा 1968–69 के अंत तक प्राथमिक भंडारों को दी गई कुल वित्तीय सहायता, शेयर पूंजी के अंशदान के 158 लाख रुपयों तथा आर्थिक सहायता के 84 लाख रुपयों को मिलाकर, 242 लाख रुपए थी। प्राथमिक भंडारों के कार्यचालन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	समितियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	विक्रय	प्रबंध की लागत	लाभ		हानि		बगैर लाभ/हानि के कार्य करने वाली समितियों की संख्या
					संख्या	राशि	संख्या	राशि	
				(लाख रुपयों में)					
(सहकारिता वर्ष)									
1965-66	13,077	615·93	16,229·51	485·64	6709	214·75	2763	79·36	3605
1966-67	13,837	730.15	19,537·56	603·11	6834	224·44	3233	111·71	3770
1967-68	13,950	766·65	18,321·40	706·46	6136	266·55	4163	129·18	3651

मंत्रालय द्वारा 1969 में की गई एक समीक्षा ने यह दर्शाया कि प्राथमिक समितियां "उपभोक्ता सहकारी आंदोलन में सबसे कमजोर कड़ी थीं" और पश्चिम बंगाल और गुजरात में सरकार द्वारा किए गए एक नमूना अध्ययन से पता चला कि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या के 15 से 20 प्रतिशत से अधिक समितियां जीव्य अथवा सक्षम जीव्य यूनिटों के रूप में नहीं उभर सकती थीं। अगस्त 1969 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सिफारिश की कि वे जीव्य अथवा सक्षम रूप से जीव्य यूनिटों के निर्धारण के लिए शीघ्र ही एक सर्वेक्षण कर ताकि यदि आवश्यक हो तो उन्हें थोक भंडारों के साथ अनिवार्य रूप से विलयित कर दिया जाए तथा शेष भंडारों को समाप्त कर दिया जाए। पंजाब में राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण आवश्यक नहीं समझा गया। अन्य राज्यों में सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है (नवम्बर, 1970)। सितम्बर-अक्तूबर 1970 में हुई राज्य सहकारिता मंत्रियों और रजिस्ट्रारों की कांफ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा मार्च, 1971 तक एक कार्यक्रम बना लिया जाना चाहिए।

(ii) **केन्द्रीय थोकस्टोर**--निम्नलिखित तालिका में 1968-69 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय थोक स्टोर की संख्या और उनकी वित्तीय स्थिति दिखायी गई है :-

	1966-67	1967-68 (सहकारी वर्ष)	1968-69*
स्टोरों की संख्या	371	385	365
शाखाओं की संख्या	2,267	2,425	2,472
प्रदत्त पूंजी			
	करोड़ रु०	करोड़ रु०	करोड़ रु०
(क) सदस्यों का हिस्सा	3.43	3.78	3.54
(ख) सरकार का हिस्सा	4.66	6.45	7.24
जोड़	8.09	10.23	10.78
बिक्री	190.15	208.76	160.20
लाभ में चल रहे स्टोर			
(क) संख्या	264	168	122
(ख) रकम	123.94 लाख रु०	81.40 लाख रु०	41.09 लाख रु०
हानि में चल रहे स्टोर			
(क) संख्या	98	188	172
(ख) रकम	60.19 लाख रु०	141.94 लाख रु०	127.94 लाख रु०
बिना लाभ/हानि के चल रहे स्टोर	27	29	†

हानियों के कारण –मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1970 में की गई पिछली वार्षिक समीक्षा में अन्य बातों के साथ हानियों के निम्नलिखित कारण स्पष्ट किए गए हैं :-

(i) "कृषि पण्यों की कीमतों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव ।

(ii) स्थापना लागत और अन्य व्यय में तदनुरूपी कमी किए बिना कुल बिक्री (नियंत्रण को ढीला करने और खाद्य स्थिति के सुधारने के कारण) का ह्रास ।

---

*आंकड़े अनन्तिम हैं और 365 केन्द्रीय थोक स्टोरों से संबंधित हैं ।

†शेष 71 स्टोरों से सम्बन्धित जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

(iii) प्राथमिक समितियों को उधार बिक्री करने क परिणामस्वरूप भारी बाकी रकमों का जमा होना ।

(iv) बगैर सोचे समझे खरीदारी करने के परिणामस्वरूप अतिसंचय/कमी, चोरी और और अन्य अनाचार ।"

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) कि सितम्बर-अक्तूबर 1970 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों और राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन के द्वारा राज्य सरकारों का ध्यान उपर्युक्त कमियों की ओर दिलाया गया था ।

जांच परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित और बातें भी मालूम हुईः–

(क) अठान्वें स्टोर 1966–67 से लेकर लगातार तीन वर्षों से हानि में चल रहे थे । 1968–69 तक उनकी संचयी हानि लगभग 2.24 करोड रुपये थी । आठ स्टोर परिसमापित कर दिए गए तथा उनमें से छः स्टोरों से लगभग 12.96 लाख रुपए का कर्ज/शेयर पूंजी बकाया थी । मध्य प्रदेश के एक अन्य स्टोर को, जिसने 8 लाख रुपए की वित्तिय सहायता प्राप्त की थी, 30 जून 1969 तक 10.43 लाख रुपए की संचित हानि हुई इसे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 16.81 लाख रुपए देने हैं और बताया जाता है कि "इसकी कार्य प्रणाली का बैंक की वित्तीय स्थिति पर जो जिले में सहकारी आंदोलन का आधार स्तम्भ है, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है ।"

(ख) उनचास स्टोरों की कुल बिक्री में 1966–67 से लगातार कमी हुई । 1968–69 में यह कमी 5 मामलों में 66 प्रतिशत या इससे अधिक 7 मामलों में 50 से 66 प्रतिशत और 7 मामलों में 40 से 50 प्रतिशत थी ।

(ग) 30 जून 1968 को सम्बद्ध प्राथमिक समितियों और अन्य निकायों को दिए गए उधार की 388.97 लाख रुपए की राशि बकाया थी । किन अवधियों से उधार राशि बकाया थी यह तो ज्ञात नहीं है किन्तु मंत्रालय को यह पता चला है कि बहुत सी प्राथमिक समितियों ने अपनी उधार राशि की वापस अदायगी नहीं की है जिससे थोक स्टोर की स्थिति खतरें में पड़ गई है । इसके अतिरिक्त उन्होनें इन ब्याज मुक्त उधार राशियों का उपयोग गैर सरकारी व्यापारियों से माल खरीदनें में किया । मंत्रालय के अनुसार ये उधार राशियाँ थोक स्टोरों के विरुद्ध "दोनों प्रकार से घातक" सिद्ध हुई ।

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1971) कि राज्य सरकारों से प्राथमिक समितियों को उधार बिक्रियों के नियमानुकूलन की आवश्यकता तथा उनसे प्राप्य राशियों की वसूली करने का अनुरोध किया है ।

(iii) **विभाग स्टोर** :––ये स्टोर अधिकांशतया थोक स्टोरों द्वारा चलाए गए, जिनके लेखों में इनके लेनदेनों को मिला दिया गया । मार्च 1969 तक भारत सरकार द्वारा 122 विभाग स्टोरों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को कर्ज (589.82 लाख

रुपए) और आर्थिक सहायता (66.56 लाख रुपए) के रूप में 656.38 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी गई। इन स्टोरों के कार्य चालन परिणाम नीचे दिए गए हैं ।

वर्ष (सहकारी वर्ष)	स्टोरों की संख्या	कुल बिक्री	*लाभ कमाने वाले स्टोरों की संख्या	* हानि उठाने वाले स्टोरों की संख्या
			(करोड़ रुपयों में)	
1966-67	38	11.72	21	17
1967-68	61	22.35	27	34
1968-69	80	26.00	48	32
1969-70	101	30.00 (अनुमानित)	(उपलब्ध नहीं हैं)	

इन स्टोरों के लाभ हानि राशि की सूचना मंत्रालय के पास नहीं थी तथापि, मंत्रालय ने हानियों के मुख्य कारण बताए हैं :—

(क) "भारी प्रारंभिक व्यय,

(ख) कुछ मामलों में इमारतों के ऊंचे किराए,

(ग) स्थापना और अन्य ऊपरी खर्चों पर भारी व्यय,

(घ) इस प्रकार की बड़ी स्थापनाओं को चलाने में प्रबंधक वर्ग को अपेक्षाकृत कम अनुभव, अनुचित खरीदें, उचित वस्तु सूची नियंत्रण का अभाव, विक्रय मूल्यों का निर्धारण आदि, और

(ङ) आशा से कम बिक्री, स्टाक के पक्के और नियमित सत्यापन की उचित पद्धति का अभाव, स्टाक में कमियां, ग्राहकों और कर्मचारियों द्वारा चोरी, और कुछ मामलों में गलत लेन-देन ।"

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1970) कि राज्य सरकारों को उपर्युक्त कारणों की सूचना दे दी गई है और इनके और उपाय भी उन्हें सुझा दिए गए हैं ।

भारी हानियों और त्रुटिपूर्ण प्रबंध के कारण दो विभाग स्टोरों को (एक को 1967-68 में और दूसरे को जून, 1969 में) बंद कर दिया गया ।

1966-67 से लेकर 1968-69 के दौरान सात राज्यों को 16 विभाग स्टोरों की स्थापना के लिए दी गई 62.77 लाख रुपए की राशि का, अभी तक (नवम्बर, 1970) प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से अप्रैल 1970 में इस राशि को लौटाने के लिए कहा गया था ।

---

*मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) "कि लाभ या हानि में चल रहे विभागीय स्टोरों के आंकड़े अनुमानित हैं, क्योंकि बहुत से मामलों में, विभाग स्टोरों के अलग से लेखे नहीं रखे गए हैं, और केवल थोक स्टोरों के समेकित लेखे ही तैयार किए जाते हैं, ये थोक स्टोर ही इन विभाग स्टोरों को चलाते हैं। इतना ही नहीं, ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इनकी लेखापरीक्षा होनी बाकी है।"

(iv) राज्य महासंघ*:—राज्य सहकारी उपभोक्ता महासंघ की प्रदत्त पूंजी, बिक्री और उसके कार्यचालन के वित्तीय परिणाम नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

महासंघों की संख्या	सदस्य समितियां			प्रदत्त पूंजी (लाख रु० में)						बिक्री (लाख रु०में)		
	67-68	68-69	69-70	67-68		68-69		69-70		67-68	68-69	69-70
				सरकारी	सदस्य	सरकारी	सदस्य	सरकारी	सदस्य			
14	300	329	349	41.84	33.80	61.02	35.83	62.73	40.73	822.90	775.39	784.48

लाभ (+)/हानि (−) (लाख रुपयों में)		
67-68	68-69	69-70
+3.50 (5 महासंघ)	+8.25 (12 महासंघ)	उपलब्ध नहीं है
−15.47 (9 महासंघ)	−3.20 (2 महासंघ)	
−11.97	+5.05	

*मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) के उपर्युक्त सारणी में दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(क) 1968-69 में केवल दो महासंघों को हानि हुई जबकि 1967-68 में नौ को हानि हुई थी। 1968-69 के दौरान इन दो महासंघों को 3.20 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ी जबकि शेष को 8.25 लाख रुपए का लाभ हुआ।

(ख) 1969-70 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान चौदह में से आठ महासंघों की कुल बिक्री में कमी हुई। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कमी 40 प्रतिशत से अधिक थी। और मैसूर के महासंघों में कमी 30 प्रतिशत से अधिक थी।

मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1970 में महासंघों की समीक्षा से यह मालूम हुआ कि "इनमें से अधिकतर महासंघों ने अपने संघटक थोक स्टारों के लाभ के लिए कृषि तथा थोक पण्यों की थोक प्राप्ति के अपने मुख्य कर्तव्य में महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया है।"

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1970) कि राज्य सरकार को इस विषय में क्या उपाय सुझाए गए हैं।

V राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने जिसकी स्थापना अक्तूबर 1965 में की गई थी और 14 राज्य महासंघ जिसके सदस्य थे, 1966-67 में कार्य करना शुरू किया। 30 जून, 1970 को 20.20 लाख रुपए की कुल शेयर पूंजी की तुलना में इसकी शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान 15 लाख रुपए था। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 3.55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। महासंघ के कार्यचालन के परिणाम नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

वर्ष	कुल बिक्री	लाभ + हानि − (लाख रुपयों में)
1965-66	शुरू नहीं हुई	−0.33
1966-67	107.17	+1.66
1967-68	252.10	+4.82
1968-69	287.10	+7.10*
1969-70	427.08	+10.49*

कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार ने (दिसम्बर, 1968) संयुक्त रजिस्ट्रार को जांच करने का आदेश दिया जिसके निष्कर्ष जनवरी (1969) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित थे :

(क) 127 मीटरी टन लौंग में से 21 मीटरी टन लौंग, जो महासंघ ने राज्य व्यापार निगम से खरीदी थी, दिसम्बर, 1967 से मार्च, 1968 के दौरान उस समय की प्रचलित थोक दरों (40 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 42 रुपए प्रति किलोग्राम तक) से कम दरों पर (33 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 39 रुपए प्रति किलोग्राम तक) गैर-सरकारी व्यापारियों को बेच दी गई, हालांकि उस समय महासंघ द्वारा थोक सहकारी समितियों को सीमित पूर्ति की जा रही थी।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) कुछ लेन-देन, जैसे दिल्ली में गोदाम किराए पर लेना, लेखनसामग्री का मुद्रण और पूर्ति, और 1967-68 में चने और जौ की खरीद, प्रबंधक वर्ग के सदस्य से संबंधित पार्टियों की मार्फत किए गए ।

(ग) महासंघ द्वारा 1967-68 में, कुछ उपभोक्ता सहकारी समितियों और सुपर बाजार को घटिया किस्म के अखरोटों (250 बोरियां और 20 पेटियां) की पूर्ति की गई थी ।

सहकारिता विभाग द्वारा शुरू (सितम्बर, 1970) किया गया महासंघ के कार्य का ब्यौरेवार अध्ययन अभी जारी है (नवम्बर 1970) ।

VI कार्यकारी पूंजी कर्जों/पेशगियों के लिए गारंटी

थोक स्टारों और महासंघ के लिए पर्याप्त कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने मई, 1966 में वित्त पोषक बैंकों के, जो माल को गिरवी या दृष्टिबंधक रख कर उपभोक्ता सहकारी समितियां को कर्जे और पेशगियां देते हैं, गारंटियां (कर्जों और पेशगियों की राशि के 25 प्रतिशत तक) देने की व्यवस्था की । बैंकों द्वारा 142 समितियों को कर्ज के रूप में दिए गए 1,513.28 लाख रुपए के लिए 4 अगस्त 1970 को इसी प्रकार की गारंटी दी गई थी । इक्कीस समितियों को, जिनके लिए 274.22 लाख रुपए की राशि की गारंटियां दी जा चुकी थीं, 1968-69 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान हानि (कुल हानि 114.47 लाख रुपये) उठानी पड़ी । मंत्रालय दिसम्बर, 1970 में बताया कि सरकार ने 16 समितियों के नाम दी गई गारंटियों का नवीयन नहीं किया है ।

आठवां अध्याय

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम

72. 31 मार्च, 1970 को वाणिज्यिक और वाणिज्यवत् प्रकार के 33 सरकारी उपक्रम थे और वह संख्या 31 मार्च, 1969 को इन उपक्रमों की संख्या के समान ही थी ।

नियंत्रण मंत्रालय/विभाग के अनुसार प्रबंधित इन उपक्रमों की सूची अनुबंध "क" में 31 मार्च 1970 को उनके वित्तीय परिणाम संबंधी सूचना सहित दी हैं । वित्तीय परिणामों की प्रति वर्ष निश्चित रूप से जानकारी सरकार के सामान्य लेखों के बाहर प्रोफार्मा आधार पर लेखों का विवरण तैयार करके प्राप्त की जाती है । क्रम संख्या 29 और 30 (प्रकाशन शाखा, दिल्ली तथा भारत-सरकार प्रैस) के व्यापार तथा लाभ व हानि लखे और तुलन–पत्र तैयार नहीं किए जाते अपितु इनके केवल स्टाक लेखे ही तैयार किए जाते हैं । अनुबंध "क" की क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 और 32 पर दिए गए 25 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे अभी तक (दिसम्बर, 1970) प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अनुबंध 'क'

1969-70 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसंपत्तियां (निविल)	आज तक मूल्यह्रास	लाभ (+) हानि (−)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ	माध्य पूंजी के मुकाबिले कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वित्त मंत्रालय								
1.	भारत सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड़								लेखे प्राप्त नहीं हुए।
2.	मुद्रा नोट प्रेस, नासिक रोड़								लेखे प्राप्त नहीं हुए।
3.	सरकारी अफीम फैक्टरी, मंदसौर और नीमच	1,09,80	1,66	8*	(+) 1,09,84	36	(+) 1,10,20	1,306.66	*केवल 1969-70 वर्ष का मूल्यह्रास।

4. सरकारी अफीम और ऐलकाला-यड वर्क्स, गाजी-पुर								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
5. भारत सरकार टकसाल, बम्बई								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
6. भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
7. भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	1,73,35	40,47	1,14*	(+)74	7,48	(+)8,22	4.96	*केवल 1969-70 वर्ष का मूल्यह्रास ।
8. परख विभाग, बम्बई								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
9. परख विभाग, कलकत्ता	19	47	2*	(+)29	@	(+)29	252.06	*केवल 1969-70 वर्ष का मूल्यह्रास ।
								@ब्याज केवल 502 रुपए था ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	चांदी परिष्करण परियोजना, कलकत्ता								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
11.	कोलार सोना खनन उपक्रम	7,61,45	5,13,08	68,37	(−) 3,72,42	38,50	(−) 3,33,92	..	कोलार सोने की बिक्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दर से की जाती है।
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय								
12.	आकाशवाणी								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
13.	रेडियो प्रकाशन								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
14.	फिल्म डिवीजन								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
	संचार विभाग								
15.	समुद्रपार संचार सेवा, बम्बई	10,53,87	8,37,74	2,67,67	(+) 2,59,52	34,09	(+) 2,93,61	38.15	
	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय								
16.	दीपघर और दीपपोत विभाग								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।

17. जहाजरानी विभाग, अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
18. घाट व्यवस्था, अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
19. नौ विभाग (गोदी बाड़ा) अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
20. चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम, चंडीगढ़	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	
21. उर्वरकों का आरक्षित पूल	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
22. दिल्ली दुग्ध योजना	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
23. वन विभाग, अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
24. हिम व हिमीकरण संयंत्र, एर्नाकुलम	इसकी संस्थापना (20 नवम्बर, 1967) से ही लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
गृह मंत्रालय	
25. राज्य परिवहन व्यवस्था, अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स्वास्थ्य परिवार नियोजन निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय								
26.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली	18,15	2,08	4,45*	(+)8.02	67	(+)8.69	58.95	*मूल्यह्रास में केवल 1969-70 वर्ष के दौरान पशुधन पर हुआ व्यय शामिल है ।
27.	मैडिकल स्टोर डिपो								लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
28.	मानसिक रोग अस्पताल, रांची की बेकरी, खनिज जल फैक्टरी और शाकवाड़ी	32	33	1*	(+)2	1	(+)3	9.27	(1) *केवल 1969-70 वर्ष का मूल्यह्रास (2) खनिज जल फैक्टरी के

	प्रोफार्मा लेखे प्राप्त नहीं हुए।
29. प्रकाशन शाखा, दिल्ली	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
30. भारत सरकार क प्रेस	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
सिंचाई और बिजली मंत्रालय	
31. बिजली विभाग, अंडमान	लेखे प्राप्त नहीं हुए ।
32. बिजली विभाग, लकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीव द्वीपसमूह	संस्थापना (अप्रैल, 1961) से ही विभाग ने अभी तक लेखों के प्रकार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण प्रोफार्मा लेखों का संकलन नहीं किया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेश व्यापार मंत्रालय								
33.	पथिनी चाय संपदा	32,32	16,83	1,60	(+) 1,85	–	(+) 1,85	6.04	(1) लेखों में पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। (2) आंकड़े कैलेंडर वर्ष 1969 के लेखों पर आधारित है।
	वित्त मंत्रालय								
1.	भारत सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड	4,70,68	1,57,55	92,28	(+) 55,34	18,58	(+) 73,92	17.30	
2.	मुद्रा नोट प्रेस, नासिक रोड़	5,53,54	1,83,68	88,78	(+) 1,69,88	19,46	(+) 1,89,34	42.33	
3.	सरकारी अफीम और ऐलकालायड वर्क्स, गाजीपुर	3,26,19	10,18	27,39	(+) 2,11,88	7,92	(+) 2,19,80	120.22	
4.	भारत सरकार टकसाल, बम्बई,	6,85,00	1,10,79	3,70*	(–) 1,28,53	28,30	(–) 1,00,23	..	*केवल 1968-69 वर्ष का मूल्यह्रास।

5. भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	5,68,03	1,21,37	1,42,24	(+) 29,30	27,02	(+) 56,32	8.44	
6. परख विभाग, बम्बई	1,40	44	3*	(−) 20	5	(−) 15	..	*केवल 1968-69 वर्ष का मूल्यह्रास ।
7. चांदी परिष्करण परियोजना, कलकत्ता	4,04,93	76,98	35,86	(−) 22,44,18	16,54	(−) 22,27,64	..	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय								
8. आकाशवाणी	31,15,69	10,96,55 (पूंजीगत परिसंपत्तियां) 30,48 (राजस्व परिसंपत्तियां)	5,93,94 6,28*	(+) 13,10	44,22	(+) 57,32	1.88	(1) *केवल 1966-67 वर्ष का मूल्यह्रास । (2) 1966-67 के ही आंकड़े लिए गए हैं क्योंकि बाद के वर्षों के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं ।
9. रेडियो प्रकाशन	66,21	12	3*	(−) 5,56	10	(−) 5,46	..	(1) *केवल 1966-67 वर्ष का मूल्यह्रास ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(2) 1966-67 के आंकड़े लिए गए हैं क्योंकि परवर्ती वर्षों के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं ।
10.	फिल्म प्रभाग	70,30(क)	26,42	21,46	(−) 49,08	3.11	(−) 45,97	..	(क) निःशुल्क प्रदर्शन के लिए जारी की गई फिल्मों पर काल्पनिक मूल्य के पुनर्समायोजन के पूर्व ।
	जहाजरानी और परिवाहन मंत्रालय								
11.	दीपघर तथा दीपपोत विभाग	8,88,25	8,20,74	96,42	(+) 48,46	9	(+) 48,55	5.80	
12.	जहाजरानी विभाग, अंडमान	23,63	89,63	10.94*	(−) 56,14	3,38	(−) 52,76	..	*केवल 1968-69 के वर्ष का मूल्यह्रास ।

13. नौघाट सेवा, अंडमान	34,82	37,35	6,59*	(−) 11,24	1,83	(−) 9,41	..	*केवल 1968-69 के वर्ष का मूल्यह्रास ।
14. समुद्री विभाग (डॉकयार्ड), अंडमान	17,21	2,68	11*	(−) 2,55	75	(−) 1,80	..	*केवल 1968-69 क वर्ष का मूल्यह्रास ।
15. चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम, चंडीगढ़	42,25	35,65	12,68*	(−) 1,72	1,05	(−) 67	..	*इसमें 31 मार्च, 1969 तक के निधि-शेष पर ब्याज प्रभार भी सम्मिलित हैं। मूल्य-ह्रास सुरक्षित निधि के आंकड़ों में सम्मिलित किए गए ब्याज के वर्षवार ब्यौरे प्रबंध मंडल के पास उपलब्ध

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									नहीं थे इस प्रकार परि-सम्पत्ति का निवल मूल्य इस सीमा तक न्यून कथित है ।
	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय								
16.	उर्वरकों का आरक्षित पूल	20,48,13	..	..	(+) 13,76,37	1,46,98	(+) 15,23,35	44.88	
17.	दिल्ली दुग्ध योजना	20,11,46	2,11,79	1,06,84	(−) 76,42	10,77	(−) 65,65	..	
18.	वन विभाग, अंडमान	8,75,18	50,25	7,30*	(+) 23,82	34,22	(+) 58,04	7.29	*केवल 1968-69 के वर्ष का मूल्यह्रास ।
	गृह मंत्रालय								
19.	राज्य परिवहन सेवा, अंडमान	7,85	9,13	8,62	(+) 2	30	(+) 32	4.58	

स्वास्थ्य परिवार नियोजन, आवास, निर्माण तथा नगर विकास मंत्रालय								
20. मैडिकल स्टोर्स डिपो	2,99,60	45,01	3,25	(−) 4,78	9,76	(+) 4,98	1.76	1966-67 के आंकड़े ले लिए गए हैं क्योंकि परवर्ती वर्षों के प्रोफार्मा लेख प्राप्त नहीं हुए हैं ।
सिंचाई और बिजली मंत्रालय								
21. विद्युत विभाग, अंडमान	30,31	31,90	1,85*	(−) 5,78	1,37	(−) 4,41	..	*केवल 1968-69 के वर्ष का मूल्यह्रास ।

73. विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. प्रस्तावना

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 23 विद्युत-जनित सेटों (2 भाप चालित तथा 21 डीजल चालित) से बिजली के उत्पादन तथा द्वीपों में उसकी पूर्ति के लिए 8 बिजलीघरों का अनुरक्षण करता है ।

2. कार्यचालन परिणाम

31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले 4 वर्षों के विभाग के कार्यचालन परिणाम निम्न प्रकार हैं (1969-70 के प्रोफार्मा लेखों को विभाग ने अंतिम रूप नहीं दिया गया है) । सरलीकृत प्रोफार्मा लेखा परिशिष्ट VIII के रूप में अनुलग्नित है :

(लाख रुपयों में)

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
हानि	3.29	4.94	7.58	7.77 (पिछले वर्षों की 1.99 लाख रुपये की आय को छोड़कर)

यह दृष्टव्य है कि विभाग को हुई हानि में हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, यह वृद्धि 1965-66 में 3.29 लाख रुपये से लेकर 1968-69 में 7.77 लाख रुपये थी ।

टैरिफ के परिशोधन के लिए और बिजली विभाग को हुई हानियों के कारणों का पता चलाने के लिए नियुक्त टैरिफ सलाहकार समिति ने अप्रैल, 1966 में यह कहा था कि दरों की वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं है, विशेषतः जबकि इस द्वीपसमूह में बिजली की पूर्ति की दरें देश भर में प्रचलित दरों से अधिक हैं, हानि इसलिए हुई क्योंकि भाप के पुराने ईजनों को चलाए रखना किफायती नहीं था । समिति ने यह भी कहा कि इस द्वीप समूह में हाल ही में बिजली विभाग के कार्य के अध्ययन के लिए गए, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के एक निदेशक की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है और यदि आवश्यक हुआ उस रिपोर्ट में उल्लिखित बातों के संदर्भ में इस विषय की समीक्षा की जा सकती है ।

अंडमान प्रशासन ने उपर्युक्त सिफारिशों पर अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की है, यह मालूम नहीं है ।

प्रबंधकों ने जुलाई, 1968 में 22 पैसे प्रति यूनिट (निवल) की दर के परिशोधन के लिए कहा था, वन-विभाग को सितंबर, 1960 से इन्हीं दरों पर बिजली दी जा रही थी । यह विभाग औद्योगिक बिजली का थोक उपभोक्ता है, किन्तु अभी तक (सितंबर, 1970) कोई परिशोधन नहीं किया गया है ।

3. लाइन अपव्यय

यद्यपि बिजली विभाग के अनुसार 12 प्रतिशत की लाइन-हानि अनुमत्य है, तथापि लाइन अपव्यय 1965-66 में 16.3 प्रतिशत से लेकर 1968–1969 में 25.8 प्रतिशत तक रहा है । विभाग के कथनानुसार 1967-68 और 1968-69 में लाइन का "लोड" "पिछले

वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा था जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों में लाइन हानि अधिसामान्य हुई।"

इस संबंध में प्रबंधकों का कथन (सितंबर, 1970) इस प्रकार है :–

".....इस विभाग ने पोर्टब्लेयर क्षेत्र में, पहले से ही सरलतम तरीके से सम्पूर्ण तंत्र को बदलकर इस प्रकार की हानियों को कम से कम कर दिया है। वर्तमान तंत्र 6.6 किलो वोल्ट का है जिसे अब 11 किलो वोल्ट में बदला जा रहा है। ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए 2,00,000 रुपयों की आवश्यकता होगी। ट्रांसफार्मर खरीद लिए गए हैं और अब उन्हें बदला जा रहा है। जब तंत्र को 11 किलो वोल्ट में बदल दिया जाएगा तो काफी बचत होगी....."।

4. उत्पादन/वितरण की लागत की तुलना में बिजली का विक्रय-मूल्य

निम्नलिखित तालिका में 1965-66 से लेकर 1968-69 के दौरान, प्रतियूनिट बिजली का उत्पादन/वितरण और औसत विक्रय-मूल्य (सितंबर, 1960 में नियत टैरिफ के आधार पर) सूचित किया गया है :

(राशि पैसों में)

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1. प्रति यूनिट उत्पादन और वितरण की लागत .	48	49	56	53
2. प्रति यूनिट औसत विक्रय-मूल्य	40	39	44	42

5. फुटकर देनदार

31 मार्च, 1969 को गैर-सरकारी पार्टियों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी विभागों से कुल मिलाकर 4.83 लाख रुपए की राशि की वसूली बकाया थी, वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्राप्य राशि		
	गैर-सरकारी पार्टियों से	सरकारी कर्मचारियों से	सरकारी विभागों से
1965-66 तक	0.05	1.09	0.45
1966-67	0.01	–	0.30
1967-68	1.10	–	
1968-69	1.03	–	1.80
जोड़ . .	1.19	1.09	2.55

वर्ष 1968–69 के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से प्राप्य राशियों में से सितंबर, 1970 तक 95,485 रु० वसूल हो चुके हैं।

प्रबंधकों का कथन है कि (सितंबर, 1970) की बकाया राशियों को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

74. भारत सरकार के मुद्रणालय

1. प्रस्तावना

(i) 1968 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के खंड XXV में भारत सरकार के मुद्राणालयों के कार्य चालन की समीक्षा की गई थी। अगले पैराग्राफों में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुई अवधि में मुद्रणालयों के कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है।

(ii) रक्षा, रेलवे और डाक-तार सहित भारत सरकार के सभी विभागों का मुद्रण कार्य मुख्यतः मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 14 सरकारी मुद्रणालयों में किया जाता है।

(iii) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नये मुद्रणालयों की स्थापना और मौजूदा मुद्रणालयों में विस्तार की व्यवस्था की गयी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(क) मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में पाठ्यपुस्तकों के लिए 3 मुद्रणालयों की स्थापना (चंडीगढ़ के मुद्रणालय की 1971 के मध्य में चालू होने की संभावना है। मैसूर और भुवनेश्वर के मुद्रणालय 1972 के आरंभ में चालू हो जाएंगे)।

(ख) कुछ मुद्रणालयों की क्षमता में विस्तार।

• उत्पादन कार्य

(क) क्षमता और उत्पादन

(i) मार्च, 1963 में विभाग के तकनीकी अधिकारियों के अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 1.8 पारियों के आधार पर मुद्रणालयों की वार्षिक क्षमता की गत 5 वर्षों के दौरान उनके वास्तविक उत्पादन से तुलना सामने की गई है :–

क्रम संख्या	भारत सरकार के मुद्रणालय का नाम	वार्षिक मुद्रण क्षमता	वास्तविक उत्पादन					टिप्पणियां
			1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	
1.	के० एस० राय रोड, कलकत्ता	6.85	5.06	4.52	4.59	5.02	5.27	
2.	शिमला	3.64	2.99	3.07	3.22	3.17	2.70	
3.	राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	0.57	0.57	0.51	0.34	0.26	0.26	एक पारी के आधार पर क्षमता ।
4.	अलीगढ़	19.65	14.42	12.47	15.54	14.42	11.39	
5.	मिंटोरोड, नई दिल्ली	15.35	5.23	4.64	4.51	3.68	3.60	1.8 पारी के आधार पर क्षमता, परन्तु मुद्रणालय दो पारियों में काम करता है ।
6.	टैंपल स्ट्रीट, कलकत्ता	12.43	10.73	10.15	9.00	9.20	8.62	
7.	नीलोखेड़ी	4.00	3.83	3.92	3 53	3.63	3.81	
8.	नासिक रोड	20.60	12.16	12.71	13.71	11.90	11.61	
9.	फरीदाबाद	6.34	5.30	5.55	4.67	4.64	4.69	
10.	संतरागाची	25.07	11.65	10.64	12.66	13.93	11.05	
11.	गंगटोक	1.15	1.15	1.24	1.19	0.96	1.12	
12.	कोयम्बटूर	8.14	3.94	4.29	3.33	2.87	2.99	एक पारी के आधार पर क्षमता ।
13.	कोरट्टी	4.02	—	0.65	2.45	2.67	3.08	एक पारी के आधार पर क्षमता । उत्पादन अक्तूबर, 1966 से आरंभ हुआ ।
14.	रिंग रोड, नई दिल्ली	प्राप्य नहीं	—	—	—	—	1.04	आरंभिक उत्पादन 15 अप्रैल, 1969 से शुरू हुआ ।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि नई दिल्ली (मिंटो रोड) नासिक रोड, संतरागाची और कोयम्बटूर के मुद्रणालयों का वास्तविक उत्पादन तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्धारित मुद्रण की वार्षिक क्षमता से बहुत कम था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यांत्रिक खराबियों, कागज और पुर्जों के अभाव और प्रचालकों की अनुपस्थिति के कारण शिमला, अलीगढ़, नीलोखेड़ी और फरीदाबाद की विभिन्न मशीनें काफी समय तक बेकार रहीं जिससे उत्पादन में भारी कमी हुई।

मंत्रालय ने यह कहा है (दिसम्बर, 1970) :—

> "1968 में आंकी गई क्षमता को अधिक से अधिक एक मोटा अनुमान माना जा सकता है जिसके मुकाबले में वास्तविक उत्पादन को आंकना चाहिए। किसी भी मुद्रणालय की क्षमता को निर्धारित करना एक जटिल कार्य होता है क्योंकि उसमें कई परिवर्तनशील पक्ष रहते हैं। 1968 में किए गए अध्ययन को मुद्रणालयों की क्षमता निर्धारित करने का पहला गंभीर प्रयास मनाना चाहिए जिसे मुद्रणालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिशोधित किया जा सकता है न कि उनके कार्य को मापने की एक मात्र नियत कसौटी।"

(ii) लोक लेखा समिति ने अपनी तरेसठवीं रिपोर्ट (तृतीय लोक सभा—नवम्बर, 1966) के पैरा 2.33 में, सरकारी प्रैसों में स्थापित क्षमता आंकने के लिए एक-समान और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने और क्षमता के प्रचालन और उसके वास्तविक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि उनके प्रचालन और उपयोग की क्षमता पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

सरकार ने इस संबंध में जो कार्रवाई की है उसकी सूचना समिति को नवम्बर, 1967 में दे दी गई थी। अब तक की प्रगति इस प्रकार है :—

की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
स्थापित की गई मशीनों की यांत्रिक दक्षता के मुकाबले एक परीक्षात्मक फार्मूले का परीक्षण किया जा रहा था।	परीक्षात्मक फार्मले के आधार पर आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किए गए और विभिन्न मुद्रणालयों की निर्धारित क्षमता को जो उपर्युक्त उप पैरा (i) की सारणी में दिखाई गई है, तकनीकी अधिकारी द्वारा आंका गया (मार्च, 1968)।
(ख) विभिन्न मशीनों के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा तथा उनका परस्पर संबंध जोड़ा जाएगा ताकि फार्मूलों को अंतिम रूप दिया जा सके और उसके आधार पर स्थापित क्षमता आंकी जा सके। आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में उत्पादिता सांख्यिकी कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।	मुद्रणालयों के कार्य के मूल्यांकन और मुद्रणालयों की क्षमता के निर्धारण के लिए सितम्बर, 1970 में एक उत्पादिता कक्ष स्थापित किया गया है।

की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
(ग) फरीदाबाद में भारत सरकार के मुद्रणालय का राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा ब्यौरेवार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था। इस कार्य के लिए अधिकारियों के एक दल की राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के विशेषज्ञों के साथ प्रतिनियुक्ति की जानी थी। ये अधिकारी बाद में भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के कार्य का अध्ययन करेंगे।	सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की मई, 1969 की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। उत्पादिता परिषद के अनुसार, विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पादन की लागत 45.5 प्रतिशत कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप 42 लाख रु० की वार्षिक बचत होगी। दिल्ली के फोटो लिथो प्रैस और अलीगढ़ के फार्म प्रेस के, जनवरी, 1971 में विस्तृत अध्ययन का प्रस्ताव है।

(ख) आर्डर की इंडेंट से अधिक पूर्ति

हैदराबाद के सी० डब्ल्यू० और पी० सी० के केन्द्रीय गाजिग सर्कल के अधीक्षक इंजीनियर ने मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक को छपने वाले रजिस्टरों की आरंभिक संख्या में कमी के लिए जून, 1964 में संशोधन जारी किया किन्तु कोयम्बेटूर मुद्रणालय को इसकी सूचना नहीं दी गई और परिणामस्वरूप नीचे लिखे अनुसार अधिक पूर्ति की गई :–

फार्म संख्या	आरम्भ में मांगी गई संख्या	परिशोधित मांग	वास्तव में भेजी गई संख्या	पूर्ति की अधिक संख्या
	रजिस्टर	रजिस्टर	रजिस्टर	रजिस्टर
सी जी सी–2	6000	150	6000	5850
सी जी सी–3	6000	150	6200	6050
सी जी सी–4	50000	500	9360	8860
सी जी सी–5	6000	150	6000	5850

दिसम्बर, 1965 में इंडेंटकर्ता ने मुद्रणालय को 0.56 लाख रु० (लगभग) के मूल्य की अधिक पूर्ति की सूचना दी।

उपर्युक्त अधिक पूर्तियों के अलावा 0.95 लाख रु० (लगभग) की लागत के 39,950 रजिस्टर अभी तक (सितंबर, 1970) मुद्रणालय के पास पड़े हैं। मुद्रणालय ने इन रजिस्टरों को कालतू मान कर रद्दी कागज के भाव बेचने का प्रस्ताव किया है (सितम्बर, 1970), अक्तूबर, 1970 में जम्मू के चिनाब अन्वेषण सर्कल के अधीक्षक इंजीनियर से 500 रजिस्टरों की मांग प्राप्त हुई है और उसके पूरा किए जाने की प्रतीक्षा है।

रिंग रोड, नई दिल्ली मुद्रणालय के चालू करने में देरी

(i) रिंग रोड, नई दिल्ली का मुद्रणालय सितम्बर, 1967 में चालू होना था। यद्यपि गुप्त अनुभाग में आरंभिक उत्पादन 15 अप्रैल, 1969 से शुरू हो गया, मुद्रणालय निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह चालू न हो सका :--

(क) मिंटो रोड मुद्रणालय से स्थानांतरित लाइनों मशीनों की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों और मैट्रिसों की नवम्बर, 1967 में पूर्ति और निपटान के महानिदेशक से मांग की गई। परन्तु उन्होंने उनके लिए मार्च, 1970 में आर्डर दिया। मैट्रिस प्राप्त हो गए हैं परन्तु फालतू पुर्जों की अभी तक (दिसंबर, 1970) प्रतीक्षा है।

(ख) मोनो मशीनों का आर्डर देने में देरी। विभाग से नवंबर, 1968 में मशीनों का इन्डैंट प्राप्त होने पर, पूर्ति और निपटान के महा निदेशक ने उनके लिए अप्रैल, 1969 में आर्डर दिया। मशीनें जनवरी, 1970 में प्राप्त हुई और जून, 1970 में उनका निरीक्षण किया गया।

इसी दौरान 7.13 लाख रु० के मूल्य की लाइनों और मोनो धातु के लिए मार्च, 1967 में अग्रता के आधार पर आर्डर दिया गया जो 29 नवम्बर, 1967 तक पूरी मात्रा में प्राप्त हो गयी परन्त उसका उपयोग नहीं किया गया।

(ii) भवन निर्माण में देरी के कारण, 25.31 लाख रु० के मूल्य की छपाई की उन 24 मशीनों को लगाने में देरी हुई जो फरवरी 1968 और अक्तूबर, 1968 के दौरान प्राप्त हुई थीं। मशीनों को लगाए जाने के बाद विभाग ने उन्हें अप्रैल और अगस्त, 1969 के दौरान स्वयं अपने अधिकार में ले लिया।

इसी प्रकार 6.19 लाख रु० के मूल्य की (80 प्रतिशत अदायगी के बराबर) 17 जिल्दबन्दी मशीनें मार्च, 1968 और जून, 1968 के दौरान प्राप्त हुई। वे मार्च/अप्रैल 1969 में लगाई गईं और विभाग ने निरीक्षण के बाद अगस्त/अक्तूबर, 1969 के दौरान उन्हें अपने अधिकार में ले लिया।

4. मशीनों की स्थापना में देरी

टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता में भारत सरकार के मुद्रणालय में रौटरियों के साथ लगाने के लिए 15 मई, 1957 को 22,118 रु० की लागत से तांबे और निकल फेसिंग संयंत्र (डी० सी० शक्ति से चलाई जाने वाला) खरीदा गया। दिसम्बर 1962 में यह फैसला किया गया था कि सभी रौटरियों को संतरागाची के मुद्रणालय में चलाया जाए इसलिए उक्त संयंत्र को जनवरी, 1963 में उक्त मुद्रणालय में स्थानांतरित किया गया। संतरागाची में जून, 1967 में जब संयंत्र खोला गया तो उसके कुछ पुर्जे कम पाए गए।

मंत्रालय ने यह बताया है (दिसम्बर, 1970) कि "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने संयंत्र को स्थापित कर दिया है परन्तु बिजली के अभाव में उसे अभी चालू नहीं किया गया है।"

(ii) लोक सभा से संबंधित हिन्दी के जावों की छपाई के लिए 1969 के आरंभ में 4.46 लाख रु० के मूल्य के आई० बी० एम० और आफसेट अनुलिपित्र खरीदे गए जिनकी दैनिक क्षमता 100 पृष्ठ थी। नई दिल्ली के मुद्रणालय में अभी तक (दिसम्बर, 1970) ये मशीनें चालू नहीं की गई हैं।

मंत्रालय नें यह कहा (दिसम्बर, 1970) आई० बी० एम० और आफसेट अनुलिपित्र, मिंटो रोड, नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय में स्थापित कर दिए गए हैं परन्तु आई० बी० एम० टाइपराइटरों का अभी आयात किया जाना है । इनके अभाव में सामग्री को कम्पोज नहीं किया जा सकता है । इसलिए मुद्रणालय में यह यूनिट चालू नहीं हुआ है ।"

5. छपाई जॉबों की लागत

लोक लेखा समिति ने अपनी तरेसठवीं रिपोर्ट (तृतीय लोक सभा–नवम्बर, 1966) के पैरा 2.48 यह सिफारिश की थी कि सरकारी मुद्रणालयों में छपे प्रकाशनों की लागत के आकलन की पद्धति तैयार करने के लिए एक दल की नियुक्ति के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए और सरकारी मुद्रणालयों की दक्षता में सुधार की दृष्टि से निजी प्रेसों की तुलना में सरकारी प्रेसों की छपाई की लागत निर्धारित करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाए । प्राक्कलन समिति ने अपनी तिरासीवीं रिपोर्ट (चतुर्थ लोक सभा-अप्रैल, 1969) के पैरा 2.138 में यह राय दी कि मुद्रणालयों में अलग अलग जाबों के लिए लागत पद्धति अपनाना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में गैर सरकारी प्रेसों की तुलना में सरकारी प्रेसों की उपयोगिता और आर्थिक दृष्टि से वर्तमान सरकारी मुद्रणालयों के और नये मुद्रणालयों की स्थापना के लिए कोई भी अन्य विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता ।

भारत सरकार ने 9 फरवरी, 1968 को एक 'लागत अध्ययन दल' की नियुक्ति की । दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1969 में भेजी और निम्नलिखित सिफारिशें/टिप्पणियां दीं :–

(i) भारत सरकार के मुद्रणालयों की लागत पद्धति पुरानी और प्रभावहीन है ।

(ii) सरकारी मुद्रणालयों को लागत की एकसमान पद्धति अपनानी चाहिए ताकि सरकार कीमत निर्धारित करने की उपयुक्त और व्यवहारिक नीति बना सके, और लागत नियंत्रण कर सके तथा बरबादी और अकुशलता के कारणों का पता चल सके ।

(iii) वास्तविक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए हर प्रेस के लिए मुद्रण-कार्यक्रम और बजट तैयार किया जाए और प्रति व्यक्ति/मशीन घंटा लागत निकाली जाए ।

(iv) विद्युत-जुड़नारों, संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास का हिसाब सरल रेखा प्रणाली से लगाया जाए ।

(v) सभी गैर अदायगी-कर्ता विभाग अदायगी-कर्ता विभाग बना दिए जाएं । लागत लेखे की एकीकृत प्रणाली चालू होने तक जॉबों के लिए मांग-कर्ता के नामे राशियां, प्रेस विशेष के जॉब की मानक लागत के आधार पर डाली जाए न कि वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर ।

(vi) भारत सरकार के प्रेसों में प्रकाशन–लागत की तुलना उन्हीं जॉबों के लिए निजी क्षेत्र के प्रेसों की प्रकाशन लागत से करना संभव न होगा । हां, इसकी विपरीत तुलना की जा सकती है ।

(vii) प्रकाशनों के मूल्य-निर्धारण के सीमित प्रयोजन के लिए पृष्ठ-दर फार्मूले का उपयोग किया जा सकता, तथापि लागत-पद्धति को बिल्कुल छोड़ देने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए ।

(viii) मुख्यालयों और सरकारी प्रेसों में लागत निर्धारण सेल खोले जाएं और उनमें योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाएं ।

लागत अध्ययन दल की सिफारिशें अभी तक मुद्रण और लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक के विचाराधीन हैं। जहां तक उपर्युक्त मद (V) का संबंध है, लोक-लेखा समिति की 34वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा–नवंबर 1968) में दी गई सिफारिशों के अनुसार सभी विभाग 1 अप्रैल, 1971 से 'अदायगी-कर्ता' घोषित कर दिए गए हैं।

6. भंडार

(i) अधिकतम/न्यूनतम सीमाएं

(क) भारत सरकार द्वारा नवंबर, 1965 में सामग्री के विभिन्न वर्गों के लिए नियत न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं का तीन वर्षों तक पालन किया जाना था। न तो ये सीमाएं सभी प्रेसों में (कोरट्टी और नासिक प्रेसों के अतिरिक्त) बिन कार्डों और भंडार खातों पर दर्ज की गई और न ही वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए इन पर अब तक पुनर्विचार हुआ है।

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1970) कि "कागज और अन्य सामग्री की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के पुनर्विचार का प्रश्न पहले से ही विभाग के विचाराधीन है------।"

(ख) यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रेसों में कागज, जिल्दबंदी सामग्री और लेखन-सामग्री का अन्त स्टाक सरकार द्वारा नवंबर, 1965 में निर्धारित सीमा-9 महीनों की खपत से बहुत अधिक था।

प्रेस का नाम	अन्त स्टाक का मूल्य (लाख रुपयों में)			अन्त स्टाक-महीनों की खपत के रूप में		
	1966-67	1967-68	1968-69	1966-67	1967-68	1968-69
1. नीलोखेड़ी	10.20	10.02	10.38	13	13	14
2. गंगटॉक	2.47	2.29	2.05	22	18	28
3. कोरट्टी	5.80	11.08	8.79	44	19	17
4. कोयम्बटूर	11.93	15.76	12.42	16	20	21

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1970):–

"..... यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि निर्धारित सीमा आदर्श सीमा है पर इसका पालन आदर्श स्थितियों में ही किया जा सकता है। प्रेसों को 'थोक विक्रेता' के रूप में कागज का स्टाक करना पड़ता है अर्थात उन्हें सभी आवश्यक किस्मों के कागज का स्टाक रखना पड़ता है।..... .....सरकारी धन के अनावश्यक अवरोध के यथासंभव परिहार के लिए, प्रेसों के प्रबंधकों द्वारा संचित स्टॉक की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जा रही है। .....लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा बताये गए आधिक्य, सामग्री को अधिक मात्रा में रोके रखने के कारण नहीं है बल्कि पूर्ति की अनिश्चित स्थिति तथा प्रेसों द्वारा निष्पादन के लिए प्राप्त जॉबों की प्रकृति के कारण है।"

(ii) **भंडारों का वास्तविक सत्यापन :**

प्रेस पुस्तिका के पैरा 138 के उपबंधों के अनुसार स्टाक की बेकार चीजों की पंचवर्षीय स्टॉक जांच आवश्यक है। नासिक, नीलोखेड़ी, फरीदाबाद और मिंटो रोड, नई दिल्ली, स्थित प्रेसों के स्टॉक की कमियों और आधिक्यों का हिसाब नहीं लगाया गया है, न जांच पड़ताल की गई है और न ही वास्तविक जांच रिपोर्टों के अनुसार वस्तुओं की मात्राओं के लेखों में परिवर्तन किए गए हैं। टैम्पल स्ट्रीट, कलकता स्थित प्रैस में 1954 से कोई प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई है। कोयम्बटूर प्रेस में मार्च, 1970 में स्टॉक में बेकार पड़ी चीजों का सत्यापन किया गया था, पर कुछ असंगतियों का पता लगने पर दोबारा सत्यापन का आदेश दे दिया गया है।

(ख) जुलाई, 1969 में मुद्रण और लेखन-सामग्री के महानिदेशक के एक प्रतिनिधि ने नई दिल्ली (मिन्टो रोड) प्रेस में मुद्रधातु (सीसे) का आकस्मिक सत्यापन किया। खातों में दिखाई गई धातु का पुस्तक शेष 5586.25 क्विंटल के मुकाबले सत्यापन करने पर 4569.99 क्विंटल पाया गया। इस प्रकार 1016.26 क्विंटल धातु कम थी जिसका मूल्य 4.7 लाख रुपए था।

मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1970) "भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में मुद्रधातु के स्टॉक की जांच के संबंध में सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट टीका-टिप्पणी के लिए भारत सरकार के मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली, के महाप्रबंधक को भेजी गई थी। उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और इस कार्यालय में विचाराधीन है।"

7. प्रोफार्मा लेखे—प्रेसों को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है और लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्रों के रूप में नियमित प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए जाते। इसकी बजाए, केवल भंडार लेखे रखे जाते हैं। 1967–68 से लेकर आगे के समेकित प्रोफार्म लेखों (अर्थात भंडार लेखों) की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1970)।

75. आकाशवाणी (आकाशवाणी के प्रकाशनों सहित)

1. प्रस्तावना

आकाशवाणी का संचालन भारत सरकार के एक विभाग के रूप में किया जा रहा है। प्रसारण और सूचना के माध्यमों के विषय में गठित समिति ने अप्रैल 1966 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रसारण कार्य एक स्वायत निगम को सौंपा जाना चाहिए और इस निगम का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

आकाशवाणी के कार्य की पिछली बार समीक्षा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक), 1970 के अनुभाग XXVI में की गई थी और लोक लेखा समिति ने इस पर अपनी 27 वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा—अप्रैल 1968) के पैरा 1.22 से 1.52 में इस पर चर्चा की थी। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण उनकी 32 वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा—अप्रैल 1969) में उपलब्ध है।

2. आयातित उपस्करों को लगाने और ट्रांसमिटरों को चालू करने में विलम्ब

(क) 90.15 लाख रु० के कुछ आयातित ट्रांसमीटरों, स्टूडियो उपस्करों, आदि को जारी करने में 23 से लेकर 40 महीने तक का विलम्ब हुआ। पूर्ति आर्डरों के अनुसार उक्त उपस्करों के

लिए प्राप्ति की तारीख से लेकर एक साल तक की गारंटी दी गई थी। लगाए जाने के लिए इन उपस्करों को जारी करने से पहले ही गारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

(ख) इसी प्रकार, 98.22 लाख रुपय के कुछ ट्रांसमीटरों को लगाने और उन्हें चालू करने की तारीखों में 5 से लेकर 36 महीने तक का विलम्ब हुआ।

3. वाणिज्यिक प्रसारण सेवा

प्रसारण और सूचना माध्यम समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप बंबई-नागपुर-पूना सेक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रसारण सेवा की एक पालइट परियोजना स्कीम का पहली नवंबर, 1967 को उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य इस कार्य क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना और देश के अन्य भागों तक इस सेवा का विस्तार करने के लिए एक आधारभूत ढांचे का निर्माण करना था। यह सेवा 15 अक्तूबर, 1968 को कलकत्ता तक, पहली अप्रैल, 1969 को दिल्ली तक, 13 अप्रैल, 1969 को मद्रास-त्रिची तक, 4 अक्तूबर, 1970 को चंडीगढ़-जालंधर तक, 18 अक्तूबर, 1970 को बंगलौर-धारवाड़ तक, 29 नवंबर, 1970 को अहमदाबाद-राजकोट तक और 28 दिसंबर, 1970 को कानपुर-लखनऊ-इलाहाबाद तक बढ़ा दी गई।

(क) विज्ञापन आदि प्राप्त करना

विज्ञापन या तो विज्ञापकों से सीधे प्राप्त किये जाते हैं या एजेंटों के मार्फत प्राप्त किये जाते हैं जिनकी तीन श्रेणियां हैं अर्थात् 'प्रत्यायित,' 'मान्यताप्राप्त' और 'पक्ष-प्रचारक'। प्रत्यायित और मान्यता प्राप्त एजेंटों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए सकल व्यवस्था का 15 प्रतिशत कमीशन मिलता है जबकि पक्ष प्रचारक एजेंटों को सकल व्यवस्था का केवल $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत कमीशन मिलता है।

विभाग द्वारा 31 मार्च, 1970 तक प्राप्त किए गये 331.27 लाख रुपये के कुल व्यवसाय में से 324 लाख रुपये का व्यवसाय (97.8 प्रतिशत) एजेंटों की मार्फत प्राप्त किया गया और शेष व्यवस्था विज्ञापकों से सीधे प्राप्त किया गया। उक्त व्यवस्था प्राप्त करने के लिए एजेंटों को 48.19 लाख रुपए कमीशन दिया गया।

प्रत्यायित एजेंटों को, प्रसारण करने के महीने के अगले महीने की पहली तारीख से 45 दिन तक उधार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निम्नलिखित सारणी में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यायित एजेंटों से प्राप्य बकायों की स्थिति दर्शायी गई है :-

(लाख रुपयों में)

	1967–68	1968–69	1969–70
प्रत्यायित एजेंटों की मार्फत अर्जित सकल राजस्व	15.47	67.35	185.20
वर्ष के अन्त में प्रत्यायित एजेंटों से प्राप्य राशि	6.21	16.41	31.95
सकल राजस्व की तुलना में बकायों की प्रतिशतता	40.1	24.4	17.3

प्रत्यायित एजेंटों पर, औसतन, दो महीनों की बिक्री के बराबर धनराशि हमेशा बकाया रहती है ।

यह ज्ञातव्य है कि उन विज्ञापन एजेंसियों को, जो रेडियो श्री लंका, रेडियो पाकिस्तान और अमरीका में अधिकांश वाणिज्यिक तंत्र के लिए विज्ञापन प्राप्त करती हैं, पेशगी अदायगी करनी पड़ती है ।

(ख) विज्ञापन दरों का नियतन

विज्ञापन की दरें एक दर समिति द्वारा नियत की जाती है जिसमें विज्ञापकों, एजेंटों और विभाग के प्रतिनिधि होते हैं । दर समिति ने प्रति 1,000 चालू रिसीवरों के हिसाब से दर नियत करने के लिए निम्नलिखित संदर्शन-आधार निर्धारित किए —

(i) सर्वाधिक विकसित देशों में समाचार पत्रों की प्रति हजार दर और रेडियो दरों में निकट संबंध था । सामान्यतया, रेडियो दरें समाचार पत्र दरों की 7 से 8 गुना थीं । भारत में प्रथम छह अधिक बिक्री वाले समाचार पत्रों की प्रति हजार दर बेची गई प्रति हजार प्रतियों के लिए 10 पैसे थी । समिति के विचार से इस आधार पर प्रति 1,000 चालू रिसीवरों के लिए 'व्यस्ततम' घण्टों के लिए 75 पैसे 'अर्ध–व्यस्ततम' घंटों के लिए 70 पैसे और 'अव्यस्ततम', घंटों के लिए 65 पैसे की दरें उचित थीं ।

(ii) 30 सैकिण्ड और 15 सैकिण्ड के स्पाटों को आनुपातिक रूप से, एक मिनट की दर से क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक प्रभारित किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, दर-कार्डों को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जाता है :–

(i) सेवा क्षेत्र में रेडियो लाइसेंसों की संख्या;

(ii) क्षेत्र में विविध भारती सेवा की लोकप्रियता; और

(iii) क्षेत्र की बाजार संभाव्यताएं ।

विभिन्न केन्द्रों पर वाणिज्यिक प्रसारणों के लिए तय की गई और अनुमोदित की गई दरें निम्नलिखित हैं :–

(आंकड़े रुपयों में)

	बंबई-पूना-नागपुर और कलकत्ता						दिल्ली						मद्रास-त्रिची और अन्य सेक्टर					
	रविवार			अन्य दिन			रविवार			अन्य दिन			रविवार			अन्य दिन		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
7 सेकिंड . . .	55	40	25	40	25	20	40	30	20	30	20	15	35	25	20	25	20	15
15 सेकिंड . . .	90	55	25	55	28	20	65	45	20	45	20	15	60	40	25	40	25	15
30 सेकिंड . . .	150	100	35	100	48	35	115	75	35	75	40	30	100	65	35	65	35	30
60 सेकिंड . . .	250	160	65	160	80	45	190	120	55	120	60	40	165	110	55	110	55	40

क-व्यस्ततम घण्टे

ख-अर्ध-व्यस्ततम घण्टे

ग-अव्यस्ततम घण्टे

विभागीय फाइलों में उपलब्ध कागजातों की जांच करने से निम्नलिखित स्थिति का पता चला :–

(i) बम्बई-पूना नागपुर सैक्टर और मद्रास त्रिची सैक्टर

बम्बई-पूना-नागपुर सैक्टर और मद्रास-त्रिची सेक्टर के लिए दरें क्रमश: जुलाई, 1967 और जनवरी, 1969 में निश्चित की गई थीं। बम्बई-पूना-नागपुर सेक्टर की दरें जून 1968 में परिशोधित की गईं (1 सितम्बर, 1968 से लागू)। मद्रास-त्रिची सैक्टर में लागू दरों का अभी तक (दिसम्बर, 1970) कोई परिशोधन नहीं किया गया है।

(ii) कलकत्ता सैक्टर

कार्यक्रम की लोकप्रियता और रेडियो सेटों की संख्या के आधार पर विस्तृत गणना किए बिना बंबई-पूना-नागपुर सेक्टर में लागू दरों को कलकत्ता सेक्टर में लागू कर दिया गया। बम्बई-पूना-नागपुर सैक्टर और कलकत्ता सैक्टर में बी० आर० लाइसेंसों की संख्या और जन संख्या नीचे दी गई है :–

	बम्बई-पूना-नागपुर	कलकत्ता
बी०आर० लाइसेंसों की संख्या (दिसंबर, 1967)	6,68,866	9,11,779
जनसंख्या (1961)	60,21,776	1,46,21,885

ये दरें अभी तक (दिसम्बर, 1970) परिशोधित नहीं की गई हैं। मंत्रालय ने यह बताया है (जनवरी, 1971) कि :–

> विविध भारती वाणिज्यिक सेवाओं का कार्य स्थल अध्ययन मार्च, 1969 को किया गया था। अध्ययन से प्राप्त परिणामों से मौजूदा दरों का भी औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए, दरों को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठाया गया। अब भी, वाणिज्यिक प्रसारण के लिए उपलब्ध संपूर्ण समय बड़ी कठिनाई से बिक पाता है।

(iii) दिल्ली सैक्टर

जैसा कि पहले उल्लिखित किया गया है, वाणिज्यिक प्रसारण सेवा दिल्ली में पहली अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ की गई। प्रामाणिक आंकड़ों के अभाव में, विविध भारती कार्यक्रम की लोकप्रियता प्रतिशतता बम्बई सैक्टर के बराबर मान ली गई और भविष्य में बी० आर० लाइसेंसों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि को हिसाब में लिए बिना, जैसा कि बम्बई-पूना-नागपुर सैक्टर की दरों को निश्चित करते समय किया गया था दिल्ली सेक्टर की दरें 31 दिसम्बर, 1967 को बी० आर० लाइसेंसों की संख्या के आधार पर अगस्त, 1968 में निश्चित की गईं। यद्यपि वाणिज्यिक प्रसारण सेवा को दिल्ली में लागू करने से पहले 31 दिसम्बर, 1968 को बी० आर० लाइसेंसों की संख्या विभाग के पास उपलब्ध थी तथापि पहले से निश्चित की गई दरों को संशोधित नहीं किया गया।

31 दिसम्बर, 1967 और 31 दिसम्बर, 1968 को बी० आर० लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :–

व्यौरा	31 दिसम्बर, 1967 को	31 दिसम्बर, 1968 को
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली हरियाणा के रोहतक और गुड़गांव जिले और उत्तर प्रदेश के मेरठ और बुलन्दशहर जिले	5,24,958	6,30,959

विविध भारती कार्यक्रम की लोकप्रियता के अलावा, यदि दरों को निश्चित करने के लिए 31 दिसम्बर, 1968 को बी० आर० लाइसेंसों की संख्या को हिसाब में लिया गया होता तो मौजूदा दरों में 23.85 रुपये प्रति मिनट की वृद्धि हो जाती जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन लगभग 1,908 रुपए का अतिरिक्त राजस्व या वार्षिक 6·96 लाख रुपए का सकल राजस्व प्राप्त होता।

दर समिति ने 13 अगस्त 1968 को हुई अपनी बैठक में वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के लिए व्यापक श्रोता अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह मालूम हो सके कि किन क्षेत्रों में प्रभार बढ़ाए जा सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया कि इस सेवा से हुई आय के एक भाग को व्यापक श्रोता अनुसंधान सेवा के लिए नियत कर दिया जाए।

विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में अगस्त 1969, मार्च 1970 और अक्तूबर /नवम्बर 1970 में सर्वेक्षण किए हैं, किन्तु इन सर्वेक्षणों के आधार पर किसी भी क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रसारण सेवा की दरों का परिशोधन नहीं किया गया (दिसम्बर 1970)।

इस संबंध में मंत्रालय ने यह बताया है (जनवरी, 1971) कि :–

"ऐसे समय में, जबकि वाणिज्यिक सेवा को निरन्तर नये केन्द्रों तक बढ़ाया जा रहा है, दरों में बारम्बार परिवर्तन करने से व्यवसाय को काफी नुकसान होगा। जैसी कि इस समय स्थिति है, नये केन्द्रों में पर्याप्त व्यवसाय उपलब्ध नहीं हो रहा है। कलकत्ता और मद्रास की स्थिति भी कमजोर है। वाणिज्यिक सेवा के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने और समस्त भारतीय बाजार में प्रचलित हो जाने के बाद ही प्राप्त अनुभव के आधार पर दरों को फिर से निर्धारित करने का उचित समय होगा। इस समय वाणिज्यिक सेवा की दरें इतनी अधिक हैं जितनी कि व्यापार वहन कर सकता है।"

4. **विदेश सेवाएं**

प्रचार पत्रिकाएं

विदेश सेवा विभाग 'इंडिया कॉलिंग' नामक एक मासिक अंग्रेजी कार्यक्रम पत्रिका और त्रैमासिक फोल्डरों को 10 विदेशी भाषाओं, अर्थात् अरबी, फारसी, पश्तो, बर्मी, इंडोनेशियाई, स्वाहिली, फ्रेंच, चीनी, नेपाली और तिब्बती में प्रकाशित करता है। उक्त 'पत्रिका' और 'फोल्डरों' को सरकारी प्रेस में छापा जाता है और उन्हें उन श्रोताओं को, जो डाक-सूची में हैं प्रेषित किया जाता है, एवं मुफ्त वितरण के लिए भारतीय मिशनों को भेजा जाता है।

जनवरी 1969 से लेकर दिसम्बर 1969 तक के महीनों में पत्रिका के मुद्रण के लिए प्रेस में लगे समय की समीक्षा से मालूम हुआ कि मुद्रण में $1\frac{3}{4}$ से लेकर $2\frac{3}{4}$ महीने तक का समय लगा। पत्रिका की मुद्रित प्रतियां पत्रिका के तत्संबंधी महीने से पिछले महीने के पहले सप्ताह के अन्त से लेकर तीसरे सप्ताह तक अथवा महीने के अंत से कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई।

'इंडिया कालिंग' नामक पत्रिका विदेशों को समुद्री जहाज से भेजी जाती है जिसे भेंजने की तारीख से श्रोता तक पहुंचने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। ऊपर दिये गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पत्रिका श्रोताओं के पास कार्यक्रम के महीने के पहले दिन अथवा उससे पहले नहीं पहुंच सकती थी। इसमें सन्देह है कि पत्रिका के मुद्रित किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति अपेक्षित सीमा तक हो रही है। 'इंडिया कालिंग' और फोल्डरों के मुद्रण पर 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान 1,45,230 रुपए व्यय किए गए।

विभाग ने 'इंडिया कॉलिंग' नामक पत्रिका को किसी अच्छे प्राइवेट प्रेस में मुद्रित करवाने का निर्णय मार्च, 1970 में किया। लेकिन यह कार्य अभी तक (दिसम्बर 1970) किसी प्रेस को नहीं दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी, 1971) कि उक्त पत्रिका की प्रतियों को, उन 800 प्रतियों के अतिरिक्त जो कि राजनयिक डाक-थैले से भेजी जा रही हैं, यूरोपीय देशों और अमेरिका में 3500 प्रेप्यों के लिए अक्तूबर, 1970 से विमान से भेजा जाने लगा है।

5. कार्यचालन परिणाम

(क) आकाशवाणी 31 मार्च, 1964 तक घाटे में चल रही थी; उस तारीख तक की संचयी हानि की राशि 2,026.36 लाख रुपए थी। रेडियो लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि होने और वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के शुरू होने (पहली नवम्बर, 1967) के कारण 1964-65 से इसे लाभ होने लगा।

31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के कार्यचालन परिणामों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। सरलीकृत प्रोफार्मा लेखे (पैरा 6 में उल्लिखित रेडियो प्रकाशनों समेत) परिशिष्ट IX के रूप में संलग्न है।

	1965-66	1966-67
	रु०	रु०
1. लाइसेंस शुल्क से राजस्व और विविध प्राप्तियां	8,89,49,307	9,38,70,448
2. व्यय	8,35,53,846	9,02,57,990
3. निवल अधिशेष	37,04,486	13,10,143
4. कार्यक्रम के घंटों की संख्या . . . (विदेश सेवाओं को छोड़कर) . .	2,45,310	2,16,888
5. प्रति घंटा कार्य-निष्पादन की औसत लागत .	341	416

टिप्पणियां:—(1) 1967-68 के प्रोफार्मा लेखे लेखापरीक्षा विभाग को नवम्बर 1970 में दिए गए। छानबीन के परिणामस्वरूप, विभाग को इन लेखों को परिशोधित करने की सलाह दी गई है। 1968-69 और 1969-70 के प्रोफार्मा लेखे अभी तक (दिसम्बर, 1970) विभाग द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं।

(2) मद 2 में दिए गए आंकड़ों में विदेश सेवाओं पर होने वाला व्यय और पंचवर्षीय योजना प्रचार कार्यक्रमों की 1965-66 और 1966-67 की क्रमशः 16,90,975 रुपए और 23,02, 315 रुपए की राशियां शामिल नहीं हैं।

यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम घंटे की औसत लागत में 1965-66 की तुलना में 1966-67 के दौरान वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतया व्यय में वृद्धि और कार्यक्रम घंटों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

6. रेडियो प्रकाशन

(क) बिक्री की स्थिति

मार्च, 1969 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कार्यक्रम पत्रिकाएं और उनकी बिक्री का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	बिक्री जिसमें मुफ्त वितरण भी शामिल है		
		1966-67 संख्या	1967-68 संख्या	1968-69 संख्या
1.	आकाशवाणी (अंगेजी) . .	2,77,125	3,02,111	2,91,998
2.	आकाशवाणी (हिन्दी) . .	87,062	85,396	84,448
3.	आवाज (उर्दू) . . .	21,042	19,695	26,226
4.	बेतार जगत (बंगाली) . .	13,15,124	12,41,755	12,67,864
5.	अकाशी (असमिया) . .	14,876	14,327	12,802
6.	वनोली (तमिल) . . .	11,02,351	11,65,500	13,65,880
7.	वाणी (तेलुगू) . . .	3,55,039	3,50,665	3,52,007
8.	नभ वाणी (गुजराती) . .	37,610	32,785	31,392

अंग्रेजी पत्रिका की साप्ताहिक बिक्री जो 1946 में 24,900 थी 1968–69 में कम होकर 5,615 रह गई यद्यपि इस अवधि के दौरान बहुत से नए स्टेशन खोले गए थे और बी० आर० लाइसेंसों की संख्या जो दिसम्बर, 1965 में 54,00,000 थी बढ़कर दिसम्बर, 1968 में 92,82,349, हो गई थी।

सभी पत्रिकाओं की प्रत्येक प्रति की औसत बिक्री और लाइसेंसों की संख्या के मुकाबले उसकी प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लाइसेंसों की कुल संख्या	प्रत्येक प्रति औसत बिक्री	लाइसेंसों की कुल संख्या की तुलना में बिक्री की प्रतिशतता
1966-67	64,83,896	1,27,542	1.97
1967-68	75,79,468	1,27,065	1.68
1968-69	92,82,349	1,36,474	1.47

प्रसारण और सूचना मीडिया समिति ने इन पत्रिकाओं की बिक्री में कमी के निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(1) पत्रिका की सामग्री अनाकर्षक हैं;

(2) दोषपूर्ण संगठन और शक्तियों के अपर्याप्त प्रत्यायोजन के कारण संपादकीय और प्रबंधकीय कार्यप्रणाली असंतोषजनक है;

(3) मुद्रणालयों का चयन करने में बहुत समय लगता है और कार्याविधि कुछ ऐसी है कि बेहतर मुद्रणालयों का चयन करना भी संभव नहीं है; और

(4) पत्रिकाओं के लिए प्रयोग किया गया कागज या तो बहुत घटिया किस्म का है या बहुत महंगा है। पूर्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बहुत बेढंगी हैं।

इस सम्बन्ध में, मंत्रालय ने यह बताया (जनवरी, 1971) कि :

(i) "प्रायोगिक उपाय के रूप में आकाशवाणी (अंग्रेज़) के आकार को बदल दिया गया है ताकि वह अधिक आकर्षक लगे और पढ़ने के लिए भी अधिक सामग्री प्राप्त हो।"

(ii) "इसे प्रमुख बाधा नहीं माना गया। फिर भी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जा रही है.....।"

(iii) "अब यह निर्णय किया गया है कि पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए 'क' श्रेणी के प्रेसों से सीमित टेंडर मांगे जाएं.....।"

(iv) "बेहतर किस्म के कागज का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है.....।"

(ख) प्रकाशन-लागत और बिक्री से प्राप्ति

1966-67 से लेकर 1968-69 के दौरान विभिन्न पत्रिकाओं की प्रकाशन लागत और उसकी तुलना में बिक्री से प्राप्ति की समीक्षा से यह मालूम हुआ कि विभाग को वनोली (तमिल) को छोड़कर बाकी सभी पत्रिकाओं से हानि हो रही है। यह भी कहा गया है कि :-

(i) 'आवाज' के मामले में प्रकाशन-लागत और हानि फ़ी प्रति सबसे अधिक थी, प्रकाशन-लागत सभी मदों में, अर्थात् कागज, मुद्रण, स्थापना और विविध व्यय, सबसे अधिक थी।

(ii) 1968-69 के दौरान 'आकाशवाणी (अंग्रेजी)', 'आकाशवाणी (हिन्दी)', 'बेतार जगत', और 'आकाशी' की फ़ी प्रति प्रकाशन-लागत 1967-68 की लागत से अपेक्षाकृत अधिक थी, इसके मुकाबले 'आवाज', 'वनोली' और 'नभोवाणी' की फ़ी प्रति प्रकाशन-लागत कम थी, 'वाणी' की प्रकाशन-लागत 1967-68 की लागत के समान थी।

(iii) 'वनोली' की फ़ी प्रति प्रकाशन-लागत 'बेतार जगत' और 'आकाशी' दोनों की कुल लागत से कम थी जबकि बिक्री लगभग समान थी।

(iv) 'नभोवाणी' की फ़ी प्रति प्रकाशन-लागत कम बिक्री के होते हुए भी 'आकाशवाणी (हिंदी)' से कम थी, जबकि इसकी बिक्री अधिक थी।

प्रसारण और सूचना मीडिया समिति ने एक स्वायत्त यूनिट की स्थापना करने की सिफारिश की, जिसे यह निश्चय करने का अधिकार हो कि किन प्रकाशनों को जारी रखा जाए और किन नई भाषा पत्रिकाओं को उनकी विकास क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर शुरू किया जाए। सरकार ने इस सिफारिश को अक्तूबर/नवम्बर, 1966 में स्वीकार कर लिया और प्रायोगिक आधार पर, 'आकाशवाणी (अंग्रेजी)' के प्रकाशन का कार्य प्राइवेट प्रकाशक को सौंपने का निश्चय किया गया। बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के केन्द्र निदेशकों से केवल 10 जून, 1968 को ही अनौपचारिक रूप से इस बात का पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या कोई प्रतिष्ठित प्रकाशक इस कार्य को करना चाहेगा। क्योंकि इस संबंध में कोई प्रोत्साहक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतएव फरवरी 1969 में यह निश्चय किया गया कि पत्रिका के प्रकाशन का कार्य विभाग स्वयं ही करता रहे।

हालांकि प्रसारण और सूचना मीडिया समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए 4 वर्ष हो चुके हैं, तथापि किसी भी पत्रिका को बंद करने के संबंध में अभी तक (अक्तूबर 1970) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मंत्रालय ने यह भी बताया है (जनवरी 1971) :—

(i) "इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य आकाशवाणी का महत्वपूर्ण जनसम्पर्क कार्यकलाप है, इसलिए विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम देने वाले केन्द्रों के लिए संबंधित भाषाओं में पत्रिका प्रकाशित करते रहना चाहिए।"

(ii) "आकाशवाणी कार्यक्रम की पत्रिकाओं का स्वावलम्बी होना या लाभ कमाना ही रेडियो पत्रिकाओं की मुख्य या एक मात्र धारणा नहीं है।

(iii) प्रायोगिक उपाय के रूप में, मेसर्स..... को मराठी में एक नई कार्यक्रम पत्रिका निकालने की अनुमति दे दी गई है।..... पत्रिका के प्रकाशन का कार्य अक्तूबर 1970 में पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस नई पत्रिका की सफलता को देखकर, वर्तमान पत्रिकाओं को प्राइवेट प्रकाशकों से प्रकाशित करवाने के प्रश्न पर पुन-विचार किया जाएगा।

7. भंडार

लोक लेखा समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट ((चौथी लोक सभा—अप्रैल, 1968) के पैरा 1.44 में यह कहा कि आकाशवाणी के स्टाक में फालतू सामग्री उसकी वार्षिक खपत की तुलना में अनावश्यक रूप से अधिक रखी गई थी। समिति ने यह सुझाव दिया कि सरकार को निर्बाध सेवा के अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए सामग्री-सूची की स्थिति की ध्यान-पूर्वक समीक्षा करनी चाहिए ताकि यथासंभव किफायत की जा सके।

मार्च, 1968 को समाप्त हुए तीन वर्षों के अंत में भंडार-स्थिति का उल्लेख निम्नलिखित सारणी में किया गया है :

(लाख रुपयों में)

	1965-66		1966-67		1967-68 में लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़े	
	आवर्ती अनुदान	पूंजीगत अनुदान	आवर्ती अनुदान	पूंजीगत अनुदान	आवर्ती अनुदान	पूंजीगत अनुदान
1. भंडार का अंतशेष	151.30	11.09	169.69	9.22	171.24	9.19
2. वर्ष के दौरान खपत	22.14	3.69	18.94	2.55	31.52	1.62
3. मासिक खपत के रूप में अंत शेष	82.01	36.07	107.51	43.39	65.19	68.07

नवां अध्याय

बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियां तथा निरीक्षण रिपोर्टें

76. **बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियां**—केन्द्रीय लेखापरीक्षा में देखी गई वित्तीय अनियमितताएं और दोष आपत्ति-विवरणों के जरिए विभागीय अधिकारियों को सूचित किए जाते हैं। बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्टें भी लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को, शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक उपाय करने के उद्देश्य से भेजी जाती हैं।

(i) निम्नलिखित मंत्रालयों तथा उनसे संबद्ध और अधीन कार्यालयों में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या काफी बढ़ी है :—

मन्त्रालय/विभाग	मार्च, 1970 तक उठाई गई आपत्तियों की कुल संख्या	कुल राशि (लाख रु० में)	अप्रैल 1967 से पहले उठाई गई आपत्तियों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
क—सिविल विभाग				
संचार	183	76.76	12	0.05
शिक्षा और युवा सेवा . .	3,234	1,00.86	666	15.94
विदेश मामले . . .	8,314	1,40.04	5,292	74.49
वित्त	11,774	82.58	2,221	8.91
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता . .	4,523	90.42	485	13.76
विदेश व्यापार . . .	613	24.85	148	2.07
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास . . .	17,743	29,22.76	2,707	1,57.08
गृह	13,601	6,87.32	2,920	1,61.17
सूचना और प्रसारण . .	1,497	12.56	138	1.18
सिंचाई और विद्युत . .	2,595	29,06.13	613	179.94
श्रम, रोजगार और पुनर्वास .	5,540	2,58.12	1,799	65.55
पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु . . .	3,328	64.01	561	3.06
जहाजरानी और परिवहन .	888	49.42	89	0.35
समाज कल्याण . . .	455	10.59	30	0.45
पर्यटन और सिविल विमानन .	3,267	3,08.27	397	1.27

(ख) विभागीय प्रबंध के अधीन वाणिज्यिक और अर्धवाणिज्यिक उपक्रम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	37	10.24	..	..
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास	94	14.29	..	..
सूचना और प्रसारण	58	0.16	12	0.02
जहाजरानी और परिवहन	85	13.92	1	0.01

(ii) नीचे बकाया आपत्तियों का स्थूल विश्लेषण दिया जा रहा है :–

आपत्ति का स्वरूप	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
क–सिविल विभाग		
(क) स्थापनाओं के लिए या स्थापनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरियों का अभाव	1,123	54.54
(ख) विविध और आकस्मिक व्यय की मंजूरियों का अभाव	3,271	3,25.62
(ग) अनुमानों या स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय की मंजूरियों का अभाव	2,239	10,78.49
(घ) व्यौरेवार बिलों, वाउचरों, पाने वालों की रसीदों, टिकट लगी पावतियों या अन्य दस्तावेजों का अभाव	30,324	21,55.62
(ङ) वसूल होने योग्य अग्रिम राशियां निर्धारित अवधि के भीतर वसूल नहीं की गईं और समायोजित नहीं की गईं	24,971	1,29.82
(च) करारों का अभाव	1,251	8,78.08
(छ) अधिक अदायगी या लेखापरीक्षा द्वारा जिसकी अनुमति नहीं दी गई ऐसी राशियों की गैर-वसूली	549	5.32
(ज) ठेकों के संदर्भ में अदायगियों में अनियमितताएं	10	0.02
(झ) वित्तीय औचित्य के आधार पर उठाई गई आपत्तियां	5	0.01
(ञ) अन्य कारण	18,734	31,25.18
(ख) विभागीय प्रबंध के अधीन वाणिज्यिक और अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम		
(क) अनुमानों या स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय की मंजूरियों का अभाव	39	7.36
(ख) व्यौरेवार बिलों, वाउचरों, पानेवाले की रसीदों, टिकट लगी पावतियों या अन्य दस्तावेजों का अभाव	139	30.14
(ग) अन्य कारण	37	0.96

ऐसे सारे व्यय की जिसके लिए व्यौरेवार बिल और वाउचर प्रस्तुत नहीं किए जाते, लेखा-परीक्षा नहीं हो पाती ।

77. **बकाया निरीक्षण रिपोर्टें**—केन्द्रीय कार्यालय में लेखापरीक्षा के साथ स्थानीय निरीक्षण भी किया जाता है। स्थानीय लेखापरीक्षा और निरीक्षणों के दौरान प्रारंभिक लेखों में देखी गई सभी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएं और दोष निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल कर लिए जाते हैं और आवश्यक कार्यवाही के लिए विभागीय अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां और बकाया निरीक्षण रिपोर्टों के अर्धवार्षिक विवरण भी प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजे जाते हैं।

(i) ऐसे मंत्रालय, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक निरीक्षण रिपोर्टें बकाया हैं, नीचे दिए जा रहे हैं :—

मंत्रालय/विभाग	सबसे पहली बकाया रिपोर्ट भेजने का वर्ष	बकाया की संख्या	
		रिपोर्टें	रिपोर्टों में पैरों की संख्या
1	2	3	4
क— सिविल विभाग			
शिक्षा और युवा सेवा . . .	1950-51	859	2,908
विदेश मामले	1954-55	284	1,481
वित्त	1950-51	598	1,519
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	1951-52	607	2,749
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास . . .	1952-53	1,906	12,966
गृह	1949-50	965	3,586
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य . . .	1950-51	206	552
सिंचाई और विद्युत . . .	1953-54	515	4,093
श्रम, रोजगार और पुनर्वास . .	1951-52	899	5,884
जहाजरानी और परिवहन . .	1954-55	256	903
समाज कल्याण	1956-57	160	362
पूर्ति	1949-50	133	542
पर्यटन और सिविल विमानन . .	1956-57	219	1,115

(ख) विभागीय प्रबन्ध के आधीन वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता	1965-66	15	35
वित्त	1957-58	43	115
स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास . . .	1959-60	67	176
सूचना और प्रसारण . . .	1961-62	83	191
जहाजरानी और परिवहन . .	1966-67	9	37

(ii) निरीक्षण और स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताओं के अधिक महत्वपूर्ण प्रकारों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

	ऐसे कार्यालयों की संख्या जिनमें अनियमितताएं देखी गई
क– सिविल विभाग	
1. लोक निर्माण कार्यालय–	
(i) त्रुटिपूर्ण योजनाओं, डिजाइनों और निर्माणकार्यों को छोड़ देने के कारण व्यर्थ और निष्फल व्यय	65
(ii) निम्नतम टेंडर की अस्वीकृति अथवा टेंडरों की स्वीकृति में देरी के कारण सरकार को अधिक लागत	18
(iii) ठेकों की शर्तों का पालन न करने अथवा ठेकों में बचाव की आवश्यक शर्तों की व्यवस्था न करने के कारण अधिक अदायगी .	29
(iv) क्रय-आदेशों के टुकड़े करना	19
(v) ठेकेदारों को अनधिकृत वित्तीय सहायता . . .	34
(vi) ठेकेदारों से जमानत-जमा की वसूली करने में और ठेकेदारों के बिलों की अदायगी में देरी	57
(vii) रोड़ी के प्रारम्भिक लेखे, स्थल पर सामग्री के लेखे आदि के अनुरक्षण में बकाया/या अनुरक्षण न करना	84
(viii) बिना करार किए, या औपचारिक कार्य आदेश जारी किए और प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने से पहले बातचीत के आधार पर कार्य दे देना ।	14
(ix) अन्य अनियमितताएं	241

	ऐसे कार्यालयों की संख्या जिन में अनियमितताएं देखी गई
2. खजाने और अन्य सिविल कार्यालय–	
(i) रोकड़ की अभिरक्षा और रख-रखाव, रोकड़ बही के खतियाने और रख-रखाव, हाजिरी रजिस्टर, रोकड़ के वास्तविक सत्यापन, खजाना अभिलेखों से विभागीय रसीदों और प्रेषित राशियों के समाधान मापों को रिकार्ड करने आदि संबंधी नियमों का पालन न करना .	367
(ii) रोकड़ और भंडार संभालने वालों से जमानतें नहीं ली गई अथवा, यदि ली गई तो निर्धारित राशि की नहीं ली गई . . .	182
(iii) स्टोरों के लेखे ठीक प्रकार से नहीं रखे गए और आवधिक सत्यापन नहीं किया गया	334
(iv) स्टाफ कार आदि की कार्यपंजी (लाग बुक) का त्रुटिपूर्ण अनुरक्षण तथा/या अनुरक्षण न करना	155
(v) अधिकृत सीमाओं से अधिक लेखा-सामग्री की स्थानीय खरीद और उचित मंजूरी के बिना व्यय	109
(vi) प्राप्तियों, अग्रिमों तथा अन्य प्रभारों आदि की वसूली में देरी और/या वसूली न करना	337
(vii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का ठीक अनुरक्षण न होना	90
(viii) वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सहायक अनुदानों की अदायगी	228
(ix) लेखा अभिलेखों का अनियमित अनुरक्षण और पद्धति को अन्तिम रूप न देना	41
(x) अन्य प्रकार की अनियमितताएं	1,295
(ख) विभागीय प्रबंध के अधीन वाणिज्यिक और अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम	
(i) त्रुटिपूर्ण योजनाओं, डिज़ाइनों, और निर्माण कार्यों को छोड़ देने के कारण व्यर्थ और निष्फल व्यय	2
(ii) निम्नतम टेंडर की अस्वीकृति अथवा टेंडरों की स्वीकृति में देरी के कारण सरकार को अधिक लागत	2
(iii) ठेकों की शर्तों का पालन न करने अथवा ठेकों में बचाव की आवश्यक शर्तों की व्यवस्था न करने के कारण अधिक अदायगी . .	3
(iv) क्रय आदेशों के टुकड़े करना	2

	ऐसे कार्यालयों की संख्या जिन में अनियमितताएं देखी गईं
(v) रोकड़ की अभिरक्षा और रख-रखाव, रोकड़ बही के खतियाने और रख-रखाव, हाजिरी रजिस्टर, रोकड़ के वास्तविक सत्यापन, खजाना अभिलेखों से विभागीय रसीदों और प्रेषित राशियों के समाधान, मापों को रिकार्ड करने आदि संबंधी नियमों का पालन न करना .	9
(vi) रोकड़ और भंडार संभालने वालों से जमानतें नहीं ली गईं अथवा, यदि ली गईं तो, निर्धारित राशि की नहीं ली गईं . . .	1
(vii) स्टोरों के लेखे ठीक प्रकार से नहीं रखे गए और आवधिक सत्यापन नहीं किया गया	20
(viii) अधिकृत सीमाओं से अधिक लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद और उचित मंजूरी के बिना व्यय	5
(ix) अग्रिम राशियों आदि की वसूली में देरी तथा/या वसूली न करना .	10
(x) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का ठीक से अनुरक्षण न होना	3
(xi) अन्य प्रकार की अनियमितताएं	85

निर्मल कुमार भट्टाचार्य

नई दिल्ली,
तारीख 3-6-1971

(एन० के० भट्टाचार्य)
महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय मैंने निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा, इस रिपोर्ट के प्रारंभ में दिए गए प्रमाण-पत्र को ध्यान में रखा है ।

निर्मल कुमार भट्टाचार्य

नई दिल्ली,
तारीख 3-6-1971

(एन० के० भट्टाचार्य)
महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

एस. रंगनाथन

नई दिल्ली,
तारीख 5-6-1971

(एस० रंगनाथन)
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट I

(पैरा 39 देखिए)

इस वर्ष के दौरान देखी गई विविध अनियमितताओं, हानियों आदि का विवरण। इसमें ऐसी छोटी हानियां भी शामिल हैं जिनका संबंध तो पिछले वर्षों से है पर बट्टेखाते 1969-70 के दौरान डाली गई।

भाग I

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

कथित गबन*—मई 1969 में केन्द्रीय अनुसंधानशाला, कसौली के निदेशक ने अपने रोकड़िये द्वारा 57,896 रु० के गबन की सूचना दी। आगे जांच-पड़ताल पर जुलाई 1969 में यह सूचित किया गया कि गबन की कुल राशि 1.21 लाख रुपए है (अप्रैल 1967 से अप्रैल 1969 के दौरान)।

सितम्बर 1969 में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने बताया कि प्रमाण नष्ट करने के लिए प्रश्नाधीन लेन-देनों संबंधी अधिकांश रिकार्डों में तत्कालीन रोकड़िये ने हेर-फेर कर दिया है अथवा उन्हें नष्ट कर दिया है। कहा गया है कि अन्य संबद्ध रिकार्ड विशेष पुलिस की अभिरक्षा में हैं जिन्हें यह मामला जांच के लिए मई 1969 में भेजा गया था।

दिसम्बर 1970 में अनुसंधान शाला के निदेशक ने लेखापरीक्षा अधिकारियों को यह सूचित किया कि मई 1970 में विशेष पुलिस स्थापना ने भूतपूर्व रोकड़ियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंडाघाट की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है और अब शिमला के सत्र-न्यायालय में अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन केस चलाया जाएगा।

---

*इस मामले की सूचना मंत्रालय को नवम्बर, 1970 में दी गई, उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1970)।

(क) इस वर्ष मुख्यत: चोरी, आग, आदि, लावसूल राजस्व, शुल्क, पेशगियां, आदि राजस्व की माफी और राजस्व की मांग के परित्याग आदि के कारण होने वाली हानियों के 6422 मामलों में 118.80 लाख रुपए की राशि को बट्टे खाते डाल दिया गया; ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों, लावसूल राजस्व, शुल्कों, पेशगियों आदि को बट्टे खाते डाला गया		अनुग्रहपूर्वक अदायगियां		वसूली का परित्याग		राजस्वों की माफी तथा राजस्वों की मांग का परित्याग	
	मामलों की संख्या	राशि (रुपए)	मामलों की संख्या	राशि (रुपए)	मामलों की संख्या	राशि (रुपए)	मामलों की संख्या	राशि (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
परमाणु ऊर्जा	42	3,998	..	..	..	..	..	..
शिक्षा और युवा सेवा	11	9,637	1	339	7	2,354	..	..
विदेश मामले	75	33,199	1	7,149	3	1,518	..	..
वित्त	28	29,354	2	115	19	225	41	1,42,671
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	1,047	61,00,272	..	..	1	1,63,396	2	16,261
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन								
निर्माण, आवास और नगर विकास	34	1,77,067	..	..	1	2,042	..	..
गृह मंत्रालय	47	1,43,195	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार . .	63	36,361	2	6,31,180	4	490	..	..
सूचना और प्रसारण . .	13	15,162	..	..	..	..	..	..
सिंचाई और बिजली . .	208	6,86,305	..	..	1	58	..	..
श्रम, रोजगार और पुनर्वास .	69	53,588	..	..	1	2	795	2,63,564
योजना आयोग . .	4	2,254	..	..	..	..	..	..
पेट्रोलियम रसायन और खनिज तथा धातु . .	62	5,51,268	..	..	..	..	..	..
परिवहन और जहाजरानी .	3,743	22,92,843	60	2,76,250	3	15,390	..	..
समाज कल्याण . .	2	1,487	..	..	..	..	..	..
पूर्ति . . .	..	..	6	1,67,554	16	26,936	..	..
पर्यटन और सिविल विमानन .	7	24,020	..	..	1	2,632	..	..
जोड़ . .	5,455	1,01,60,010	72	10,82,587	57	2,15,043	838	4,22,496

(ख) निम्नलिखित राशियां लापरवाही अथवा जालसाजी के कारण बेकार, अप्रचलित के रूप में घोषित सामान के अंकित मूल्य की सूचक हैं।

मंत्रालय/विभाग का नाम	जोड़	
	संख्या	राशि (रुपए)
1. परमाणु ऊर्जा	6	716
2. संचार	6	8,357
3. विदेश मामले	11	10,062
4. शिक्षा और युवा सेवा	65	1,25,796
5. खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	1	824
6. गृह मंत्रालय	2	14,616
7. वित्त	7	658
8. पर्यटन और सिविल विमानन	4	13,967
जोड़ . .	102	1,74,996

परिशिष्ट II

(पैरा 7 देखें)

मुख्य निवेश और लाभांश

उपक्रम/प्रतिष्ठान का नाम	निवेश			सरकार को क्रेडिट किये गए लाभांश	
	1968-69 के दौरान	1969-70 के दौरान	1969-70 तक	1968-69 के दौरान	1969-70 के दौरान
	(लाख रुपयों में)			(लाख रुपयों में)	
I. सांविधिक निगम					
एयर इंडिया कारपोरेशन	..	..	2682	80	80
इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन	400	350	2944	—	71
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	375	104	12426	—	—
जीवन बीमा निगम	—	—	500	—	627
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	67	59	805	44	24
II. (क) सरकारी कम्पनियां					
भारतीय तेल निगम	—	—	7108	498	498
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन	—	—	8000	—	—
हैवी इलेक्ट्रिकल्स	—	—	5000	—	—
भारी इंजीनियरी निगम	—	—	10000	—	—
हिन्दुस्तान स्टील	500	—	55700	—	—
हिन्दुस्तान एण्टीबॉयोटिक्स	—	—	205	—	35
हिन्दुस्तान केबल्स	80	130	529	17	26
नेशनल न्यूजप्रिंट और कागज की मिलें	—	—	250	−15	25

राज्य व्यापार निगम	—	—	200	42	80
खनिज और धातु-व्यापार निगम	—	—	300	22	—
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	796	1366	10692	—	—
उर्वरक निगम	515	2380	9655	—	—
हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज	71	—	1200	—	—
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	17	40	684	—	—
भारतीय टेलीफोन उद्योग	—	—	359	30	36
अशोक होटेल्स	—	−236	−2	16	7
मुगल लाइन्स	—	—	295	6	8
नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट्स	19	13	326	—	—
हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स	—	28	125	8	8
बोकारो इस्पात	11000	14997	35296	—	—
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	100	828	3334	—	—
भारतीय जहाजरानी निगम	—	—	2345	117	117
(ख) अन्य कम्पनियां					
भारतीय विस्फोटक	95	47	274	13	13
सिंगरेनी कोयला खान कंपनी	48	—	272	—	—
आयल इंडिया	−99	−120	2431	322	316
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	—	—	106	—	—
उर्वरक और रसायन, ट्रावनकोर	665	336	1401	—	—
III. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	—	—	211	—	—
IV. परमाणु-ऊर्जा विभाग	3776	902	21225	—	—
V. अन्य मदें	5518	9053	39020	104	211
जोड़	23943	30277	235898	1304	2182

परिशिष्ट—III

(पैरा 17 देखें)

राज्य सरकारों और एक स्वायत्त निकाय को दिये गए कर्जे जिनके लिए शर्तें 31 मार्च, 1970 तक तय नहीं की गई थीं

मंत्रालय का नाम	आंध्र प्रदेश	असम	जम्मू और काश्मीर	केरल	मध्य प्रदेश	मैसूर
					(लाख रुपयों में)	
वित्त	3571.00	4854.00	5692.00	1788.00	150.00	1750.00
शिक्षा तथा युवक सेवा	—	—	—	—	—	—
श्रम, रोजगार और पुनर्वास (पुनर्वास विभाग)	—	—	21.89	—	—	—
विदेश व्यापार	—	—	—	—	—	—
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कंपनी मामले (औद्योगिक विकास विभाग)	—	—	—	—	3.65	—
जोड़	3571.00	4854.00	5713.89	1788.00	153.65	1750.00

मंत्रालय का नाम	उड़ीसा	तमिलनाड	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	चाय बोर्ड	जोड़
वित्त	3213.00	700.00	100.00	991.00	—	22809.00
शिक्षा तथा युवक सेवा	—	1.25	—	—	—	1.25
श्रम, रोजगार और पुनर्वास (पनर्वास विभाग)	—	—	—	—	—	21.89
विदेश व्यापार	—	—	—	—	176.00	176.00
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कंपनी मामले (औद्योगिक विकास विभाग)	—	—	—	—	—	3.65
जोड़	3213.00	701.25	100.00	991.00	176.00	23011.79

परिशिष्ट IV

(पैरा 18 देखें)

राज्य सरकारों से इतर अन्य पार्टियों को दिए गए कर्जों और पेशगियों की वसूली का बकाया।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी मामलों का मंत्रालय

जिसको कर्जा दिया गया	31 मार्च, 1970 को बकाया राशि		बकायों से संबंधित सबसे पुरानी अवधि
	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4
	(लाख रुपयों में)		
हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ लिमिटेड, बंगलौर . .	6.83	3.37	1967-68
(1970-71 के दौरान ब्याज के रूप में 3.04 लाख रुपए वसूल किए गए)			
हर्दा तकनीकी शिक्षा समिति, हर्दा . .	0.08	कुछ नहीं	1969-70
फरीदाबाद औद्योगिक और उत्खनन कम्पनी, फरीदाबाद	0.41	0.21	1962-63
डोगरा स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, फरीदाबाद	0.86	0.42	1959-60
भारतीय धातु वस्तु उद्योग . . .	4.18	0.10	1958-59
(1970-71 के दौरान वसूल किए गए)			
यूनिवर्सल ट्रेड एम्पोरियम . . .	0.07	कुछ नहीं	1969-70
(1970-71 के दौरान 0.03 लाख रुपए वसूल किए गए)			
लघु उद्योग यूनिटें, अण्डमान और निकोबार .	0.06	0.01	1964-65
दिल्ली गार्मेण्ट्स को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली (परिसमापन की जा रही है)	1.67	0.08	1958-59
फैमिली वैलफेयर इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता	0.02	कुछ नहीं	1969-70
नैशनल इन्सट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता . .	कुछ नहीं	29.83	1968-69
अलग-अलग व्यक्तियों को दिये गये कर्जे . .	0.14	0.04	1967-68
खादी ग्राम ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई . .	50.00	कुछ नहीं	1969-70
	64.32	34.06	

1	2	3	4
इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय			
मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, भद्रावती	150.00	86.86	1967-68
भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स . . .	कुछ नहीं	2.79	1969-70
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड . . .	कुछ नहीं	20.27	1968-69
	150.00	109.92	
सिंचाई और बिजली मंत्रालय			
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान . . .	9.70	13.00	1969-70
भारत सेवक समाज . . .	1.86	0.08	1969-70
	11.56	13.08	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
अलग-अलग व्यक्तियों को कर्जे . .	0.02	कुछ नहीं	1962-63
प्रसारण भवन कैण्टीन . . .	0.01	कुछ नहीं	1969-70
	0.03	कुछ नहीं	
संचार विभाग			
टैलीपोस्ट को-ऑपरेटीव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, मद्रास	कुछ नहीं	2.27	1964-65
मंत्रिमण्डल सचिवालय			
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता .	8.00	2.40	1969-70
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय			
भारत का एयरोक्लब . . .	कुछ नहीं	0.01	1968-69
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय			
विभिन्न शिक्षा संस्थाएं और इंजीनियरी कालेज .	28.23	9.87	1958-59
	(1970-71 के दौरान मूलधन के रूप में 2.96 लाख रुपए और ब्याज के रूप में 0.39 लाख रुपए वसूल किए गए)		
विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर . .	0.53	0.75	1966-67
ईरान सोसाइटी, कलकत्ता . .	0.20	0.20	1969-70
अलग-अलग व्यक्तियों को कर्जे . .	0.06	0.02	1965-66

1	2	3	4
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय---जारी			
संगीत भारती	0.36	0.15	1961-62
रवीन्द्रनाथ टैगोर शताब्दी समिति (क) .	4.26	4.60	1965-66
सहकारी शिल्प विद्यालय . . .	3.12	1.96	1963-64
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् . . .	0.03	कुछ नहीं	1969-70
विश्व मामलों की भारतीय परिषद् . . .	0.10	0.03	1969-70
	36.89	17.58	
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध)			
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम . . .	540.82	208.55	1964-65
दिल्ली एजुकेटेड पर्सन्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, (परिसमापन की जा रही है) . .	1.05	0.27	1962-63
दिल्ली परिवहन	430.19	271.63	1964-65
केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	13.19	11.41	1964-65
	985.23	491.86	
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)			
तिबिया कालेज	2.00	कुछ नहीं	1955-56
विभागीय कैन्टीन	0.02	कुछ नहीं	1966-67
दिल्ली नगर निगम . . .	30.44	44.11	1964-65
संयुक्त जल तथा मल बोर्ड . . .	181.84	390.12	1964-65
	234.30	434.23	

(क) यह कर्जा (17 लाख रुपए) नई दिल्ली में रवीन्द्र रंगशाला के निर्माण के लिए मंजूर किया गया था। दिखाई गई बकाया राशियां कर्जे की वापस अदायगी की मूल शर्तों के अनुसार है।

1	2	3	4
(निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग)			
स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि० भोपाल . . .	0.05	कुछ नहीं	1969-70
उड़ीसा इन्डस्ट्रीज़, लि०, बारंग . .	0.32	0.11	1964-65
मध्यम आय वर्ग आवास स्कीम के लिए . .	1.84	2.39	1962-63
निम्न आय वर्ग आवास स्कीम के लिए . .	2.29	5.78	1956-57
ग्रामीण आय वर्ग स्कीम के लिए . .	0.80	0.87	1962-63
टैक्नॉलाजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल, बिरला-कालोनी, भिवानी, हरियाणा .	0.08	0.01	1969-70
दिल्ली परिवहन	0.39	0.25	1969-70
वर्क चार्ज स्टाफ कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटि लि०	कुछ नहीं	0.11	1968-69
दिल्ली नगर निगम	30.26	50.41	1965-66
	36.03	59.93	
पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय			
दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली . . .	0.06 (1970-71 के दौरान वसूल की गई)	0.02	1969-70
इन्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स, लिमिटेड .	1094.69 (1970-71 के दौरान 248.60 लाख रु० ब्याज के रूप में वसूल किए गए)	252.16	1968-69
फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड	384.75	202.11	1967-68
मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड . .	कुछ नहीं	33.00	1969-70
कोचीन रिफाइनरीज़ . . .	12.50	कुछ नहीं	1969-70
सिंगरेनी कोलरीज़ लिमिटेड . . .	205.06	102.55	1966-67
सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन . .	कुछ नहीं	2.91	1967-68
इन्डियन ब्यूरो आफ माइन्स कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी . . .	0.04	0.01	1967-68
	1697.10	592.76	

1	2	3	4
विदेश व्यापार मंत्रालय			
हैन्डी क्राफ्ट एम्पोरियम, मद्रास . . .	कुछ नहीं	0.57	1965-66
इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई . .	कुछ नहीं	10.08	1969-70
आल इंडिया हैन्डलूम फेब्रिक-मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड	19.09	3.04	1968-69
उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन . . .	कुछ नहीं	68.81	1966-67
दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम . .	0.08	कुछ नहीं	1969-70
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (परिसमापन की जा रही है)	46.50	9.58	1952-53
	65.67	92.08	
गृह मंत्रालय			
गृह कल्याण केन्द्र	0.13	0.06	1969-70
केन्द्रीय सरकार-उपभोक्ता सहकारी समिति .	कुछ नहीं	0.27	1969-70
दिल्ली नगर निगम . . .	45.35	42.14	1968-69
	45.48	42.47	
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय			
(पुनर्वास विभाग)			
सहायक और कल्याण की संयुक्त परिषद् (परिसमापन की जा रही है) . .	0.03	कुछ नहीं	1955-56
दिल्ली नगर निगम . . .	3.73 (1970-71 के दौरान 0.14 लाख रुपए तथा 0.88 लाख रुपए ब्याज के रूप में वसूल किए गए)	19.79	1967-68
हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल . .	1.10 (1970-71 के दौरान वसूल किए गए)	0.59	1969-70
तिब्बती हाऊस सोसाइटी, नई दिल्ली . .	कुछ नहीं	0.06	1969-70
विदेशों में शैक्षिक कर्जे . . .	0.85 (1970-71 के दौरान 0.11 लाख रुपए वसूल किए गए)	कुछ नहीं	1952-53
	5.71	20.44	

1	2	3	4
(श्रम विभाग)			
श्रम आयुक्त कार्यालय-कैन्टीन . . .	0.01	कुछ नहीं	1968-69
खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास और सहकारिता मंत्रालय			
(कृषि विभाग)			
राष्ट्रीय बीज निगम	16.89 (1970-71 के दौरान वसूल किए गए)	8.19	1969-70
दिल्ली प्रशासन			
दिल्ली नगर निगम	7.87	16.37	1965-66
वित्त मंत्रालय			
विभागीय कैन्टीन	0.05	कुछ नहीं	1967-68
पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक द्वारा कर्जे .	मंत्रालय ने जून 1970 में बताया कि 1969-70 के अन्त में कुल शेष कर्जों की संख्या 3119 थी, 194.64 लाख रुपए मूलधन तथा 113.41 लाख रुपए ब्याज।		

परिशिष्ट V

(पैराग्राफ 23 देखिए)

पूरक अनुदानों/विनियोजनों के उपयोग की सीमा

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन	अनुदान/विनियोजन की रकम		वास्तविक व्यय	बचत (कालम 3+4-5)
		मूल	पूरक		
1	2	3	4	5	6
				(लाख रुपयों में)	

क–उन ग्यारह महत्वपूर्ण मामलों का विवरण जहां पूरक मांगे अनावश्यक सिद्ध हुई :—

वित्त मंत्रालय

1.	14–वित्त मंत्रालय .	309.94	5.70	301.21	14.43
2.	20–मुद्रा व सिक्के ढलाई	1752.62	35.00	1726.22	61.40
3.	21–टकसाल . .	330.39	4.48	319.12	15.75
4.	110–वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय	192.00	1425.00	94.25	1522.75

विदेश व्यापार व पूर्ति मंत्रालय

5.	37–विदेश व्यापार व पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	748.81	15.53	721.74	42.60

स्वास्थ्य व परिवार नियोजन और निर्माण, आवास व नगर विकास मंत्रालय

6.	42–स्वास्थ्य व परिवार नियोजन और निर्माण आवास व नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	259.21	10.00	256.09	13.12

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी मामलों का मंत्रालय

7.	61–औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी मामलों के मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1489.55	8.10	1487.08	10.57

1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपयों में)
	सिंचाई व विद्युत मंत्रालय				
8.	66–बहुउद्देश्यीय नदी योजनाएं . .	217.45	5.01	198.88	23.58
	पैट्रोलियम व रसायन और खान व धातु मंत्रालय				
9.	126–पैट्रोलियम रसायन और खान व धातु मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय . .	8660.69	148.58	7217.86	1591.41
	पर्यटन व सिविल विमानन मंत्रालय				
10.	88–पर्यटन व सिविल विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	276.06	44.00	238.38	81.68
	समाज कल्याण विभाग				
11.	98–समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	453.98	1.50	449.46	6.02
	ख–उन बाईस महत्वपूर्ण मामलों का विवरण जहां पूरक अनुदान या विनियोजन अधिक सिद्ध हुए ।				
	वित्त मंत्रालय				
1.	16–संघीय उत्पादन शुल्क	1618.17	27.46	1622.76	22.87
2.	26–राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान .	41723.16	1584.00	42896.80	410.36
3.	112–केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्जे व पेशगियां (**प्रभारित**) .	*76691.30*	*26500.00*	*102928.29*	*263.01*
	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय				
4.	29–खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय .	189.87	5.62	190.14	5.35
5.	33–खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	4559.05	1221.60	5560.69	219.96

1	2	3	4	5	6
	खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय–जारी				
					(लाख रुपयों में)
6.	114–खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय . .	5640.09	916.65	6348.83	207.91
	गृह मंत्रालय				
7.	43–गृह मंत्रालय .	175.15	8.60	175.52	8.23
8.	44–मंत्रीमंडल .	66.68	8.21	71.74	3.15
9.	46–पुलिस . .	5796.14	949.46	6728.31	17.29
10.	52–चंडीगढ़ . .	588.81	63.05	630.43	21.43
11.	54–आदिवासी क्षेत्र .	2544.45	369.96	2755.63	158.78
12.	119–संघ शासित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय .	2486.20	113.55	2580.93	18.82
	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार व कम्पनी मामलों का मंत्रालय				
13.	60–नमक . .	64.30	12.53	66.86	9.97
14.	121–औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार व कंपनी मामलों के मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय . .	464.37	650.91	1051.21	100.07
	सूचना व प्रसारण मंत्रालय				
15.	64–सूचना व प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	647.77	9.98	651.37	6.38
	जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय				
16.	82–जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	309.57	415.00	556.37	168.20
17.	129–जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय .	668.61	40.01	684.39	24.23

1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपयों में)
	पर्यटन व सिविल विमानन मंत्रालय				
18.	87–विमानन .	1627.42	57.82	1674.69	10.55
19.	132–पर्यटन व सिविल विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय .	550.15	181.66	697.79	34.02
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
20.	90–परमाणु-ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	2052.73	450.01	2356.19	146.55
	संसद राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
21.	100–लोक सभा . .	184.51	54.57	202.86	36.22
22.	101–राज्य सभा . .	77.63	21.70	79.12	20.21

ग–उन पांच महत्वपूर्ण मामलों का विवरण जहां पूरक अनुदान या विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए ।

					अधिक व्यय
	वित्त मंत्रालय				
1.	109–पेंशनों का परिवर्तित मूल्य . . .	602.79	32.43	657.29	22.07
	स्वास्थ्य व परिवार नियोजन और निर्माण , आवास व नगर विकास मंत्रालय				
2.	40–लोक निर्माण कार्य .	4067.50	271.94	4359.02	19.58
	गृह मंत्रालय				
3.	53–अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह . .	784.26	206.11	1015.70	25.33
	जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय				
4.	78–जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय .	140.62	0.90	144.03	2.51
	इस्पात व भारी इंजीनियरी मंत्रालय				
5.	83–इस्पात व भारी इंजीनियरी मंत्रालय .	22.80	2.50	26.49	1.19

परिशिष्ट VI

(पैराग्राफ 25 देखिए)

दत्तमत अनुदानों के अधीन बचतें

क्रम सं०	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
				(लाख रुपयों में)	
	कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत वाले दत्तमत अनुदान नीचे दिये गये हैं :—				
1.	28—विभाजन से पूर्व के भुगतान . .	1.78	0.80	1.70	95.5
2.	110—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजीगत परिव्यय	1617.00	94.25	1522.75	94.2
3.	104—शिक्षा व युवक सेवा मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय .	726.55	135.89	590.66	81.3
4.	105—भारत सुरक्षा मुद्रणालय का पूंजीगत परिव्यय . .	66.56	15.79	50.77	76.3
5.	107—टकसालों पर पूंजीगत परिव्यय .	50.27	14.50	35.77	71.1
6.	84—इस्पात व भारी इंजीनियरी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	160.42	50.08	110.34	68.7
7.	115—विदेश व्यापार व पूर्ति मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय .	208.62	82.26	126.36	60.5
8.	131—विमानन पर पूंजीगत परिव्यय .	1280.52	692.18	588.34	46.0
9.	72—श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	8.64	5.04	3.60	41.7
10.	1—रक्षा मंत्रालय .	177.09	114.53	62.56	35.3

1	2	3	4	5	6
	दत्तमत अनुदानों के अधीन बचतें--जारी				
					(लाख रुपयों में)
11.	122–सूचना व प्रसारण मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय . .	518.04	335.43	182.61	35.2
12.	127–सड़कों पर पूंजीगत परिव्यय . .	4664.82	3161.20	1503.62	32.2
13.	116–दिल्ली पूंजीगत परिव्यय . .	703.77	508.96	194.81	27.7
14.	106–मुद्रा और सिक्के ढलाई पर पूंजीगत परिव्यय . .	1556.24	1132.79	423.45	27.2
15.	18–स्टाम्प . .	533.27	389.55	143.72	26.9
16.	30–कृषि . .	1062.01	777.36	284.65	26.8
17.	135–संचार विभाग का अन्य पूंजीगत परिव्यय	449.80	330.05	119.75	26.6
18.	88–पर्यटन व सिविल विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	320.06	238.38	81.68	25.5
19.	123–बहूउद्देश्यीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय . .	2050.56	1552.91	497.65	24.2
22.	82–जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	724.57	556.37	168.20	23.2

परिशिष्ट VII

(देखिए पैराग्राफ 59)

मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं अथवा निकायों (विधिक निकायों के अतिरिक्त) और व्यक्तियों को दिए गए अनुदान ।

मंत्रालय/विभाग का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
रक्षा	19.14
शिक्षा और युवक सेवा	19,42.13
विदेश मामले	4.04
वित्त	79.30
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	12,59.10
विदेश व्यापार और पूर्ति	5,40.77
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास	7,55.23
गृह मंत्रालय	6,27.59
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी मामले	1,90.74
सूचना और प्रसारण	17.40
सिंचाई और बिजली	19.80
श्रम, रोज़गार और पुनर्वास	79.76
पैट्रोलियम, रसायन, खनिज और धातु	1.30
परिवहन और जहाजरानी	3,27.10
पर्यटन और सिविल विमानन	3,04.16
संचार	17.16
समाज कल्याण	33.32
योजना आयोग	5.40
अन्य	15.77
जोड़	62,39.21

परिशिष्ट—VIII

(पैराग्राफ 73 देखिए)

विद्युत विभाग, अंडमान द्वीप समूह

31 मार्च 1969 को तुलन-पत्र

देयताएं	1967-68 रुपए	1968-69 रुपए	परिसम्पत्तियां	1967-68 रुपए	1968-69 रुपए
सरकारी पूंजी			अचल परिसम्पत्तियां (निवल)	28,88,354	31,89,920
आदि शेष	21,04,945	29,12,119	हाथ स्टाक . . .	71,418	86,311
जोड़े– वर्ष के दौरान निवल समायोजन	15,64,815	6,97,595	फुटकर देनदार . .	2,95,516	5,04,966
	36,69,760	36,09,714			
घटाएं–आय से अधिक व्यय . .	7,57,641	5,78,423			
	29,12,119	30,31,291	नकद शेष . . .	849	1,211
फुटकर लेनदार . . .	3,09,150	7,10,786			
लेखापरीक्षा शुल्क . . .	30,353	34,362			
व्यय के लिए आरक्षित निधि .	4,515	5,969			
जोड़ .	32,56,137	37,82,408	जोड़ .	32,56,137	37,82,408

विद्युत विभाग, अंडमान द्वीप समूह

1968–69 वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

नामे राशियां			जमा राशियां		
व्यय	1967-68	1968-69	आय	1967-68	1968-69
	रुपए	रुपए		रुपए	रुपए
अधिकारियों का वेतन व स्थापना प्रभार	4,86,856	5,84,934	बिजली, बत्ती, पंखा, विद्युत मीटर का किराया, सड़क बत्ती आदि . . .	9,43,144	13,35,499
पेंशन प्रभार . . .	9,388	11,681	विविध प्राप्तियां . . .	32,481	1,31,738
अतिरिक्त पुर्जों, संयंत्र और मशीनरी तथा बिजली घर भवन का अनुरक्षण .	55,359	60,762			
निदेशन व पर्यवेक्षण प्रभार . . .	5,411	10,168	अन्य विभागों को बेचा गया भंडार .	43,114	3,010
पूंजी पर ब्याज . . .	1,19,134	1,36,946			
उपभोग की गई सामग्री की लागत .	8,99,008	10,38,084	आन्तरिक तार लगाने के लिए अन्य सरकारी विभागों से वसूली-योग्य राजस्व	—	42,560
मूल्यह्रास	1,61,714	1,85,251			
कार्यालय भवन का किराया . .	1,367	1,367			
लेखापरीक्षा शुल्क . . .	1,626	4,009	आय से अधिक व्यय . .	7,57,641	5,78,423
सामान्य प्रभार . . .	36,517	58,028			
जोड़ .	17,76,380	20,91,230	जोड़ .	17,76,380	20,91,230

परिशिष्ट—IX

(पैराग्राफ 75 देखिए)

आकाशवाणी

31 मार्च, 1967 के सामान्य तुलन-पत्र

नामें राशियां देयताएं	1965-66	1967-67	परिसम्पत्तियां	1965-66	1966-67	जमा राशियां
	रुपए	रुपए		रुपए	रुपए	
सरकारी पूंजी	15,46,62,126	17,34,71,098	(i) पूंजीगत लेखा के अनुसार	15,06,66 298	16,90,49,085	
सरकारी चालू लेखा	14,79,41,950	13,80,98,058	(ii) राजस्व लेखा के अनुसार	30,42,846	30,48,215	
फुटकर लेनदार	98,74,069	1,25,04,638	भंडार व अतिरिक्त पुर्जे	1,62,38,479	1,78,90,925	
			भंडार मार्ग में	65,204	76,991	
प्रतिपार्श्व नकद प्रतिभूति जमा	14,508	15,323	फुटकर देनदार	1,16,466	3,99,777	
पेशगी में प्राप्त आय	—	171	प्रतिपार्श्व नकद जमा प्रतिभूति जमा	14,508	15,323	
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	5,22,66,780	5,93,93,959	पूर्व-दत्त व्यय	1,48,698	2,94,034	
अनुन्मुक्त देयता			हाथ रोकड़	41,253	88,560	
लेखापरीक्षा शुल्क	15,83,067	20,82,460	सर्विस स्टाम्पें	49,709	59,737	
			आय से अधिक व्यय	19,59,59,039	19,46,43,060	
जोड़	36,63,42,500	38,55,65,707	जोड़	36,63,42,500	38,55,65,707	

आकाशवाणी

1966–67 वर्ष के लिए राजस्व लेखा

नामें राशियां			जमा राशियां		
व्यय	1965-66	1966-67	आय	1965-66	1966-67
	रुपए	रुपए		रुपए	रुपए
वेतन, भत्ते व मानदेय आदि . .	2,56,41,831	2,84,37,401	लाइसेन्स शुल्क . . .	8,80,63,739	9,29,35,892
सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकार समितियों, समाचार एजेंसियों प्रचार कार्यक्रमों, कलाकारों, आदि को भुगतान .	1,59,94,037	1,73,79,734	विविध प्राप्तियां . .	8,85,568	9,34,556
बिजली, बत्ती, टैलीफोन और अन्य विविध व्यय . . .	99,27,184	1,12,40,233			
ग्रामोफोन रिकार्डों की खरीद . .	92,242	1,00,559			
फर्नीचर और उपस्कर के भाड़े सहित अनुरक्षण व मरम्मत . .	45,05,670	43,57,673			
रायल्टी	2,09,238	2,39,577			
पेंशन और उपदान . . .	22,65,951	24,31,835			
मूल्यह्रास	81,92,846	80,32,934			

नामें राशियां — 1966 67 वर्ष के लिए राजस्व लेखा — जमा राशियां

व्यय	1965-66	1966-67	आय	1965-66	1966-67
	रुपए	रुपए		रुपए	रुपए
लेखापरीक्षा प्रभार . . .	4,19,204	4,99,393			
पूंजी पर ब्याज . . .	39,95,828	44,22,013			
सहायक अनुदान	—	19,064			
मार्ग में खोया गया भंडार . . .	—	4			
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान .	—	11,39,273			
मुख्यालय प्रभार	25,04,048	28,30,434			
लाइसेंस के शुल्क संग्रह प्रभार अर्वध रेडियो पर रोक के कार्य के लिए डाक व तार विभाग को दत्त प्रभार .	1,14,96,742	1,14,30,178			
व्यय से अधिक आय . . .	37,04,486	13,10,143			
जोड़ . .	8,89,49,307	9,38,70,448	जोड़ . .	8,89,49,307	9,38,70,448

31 मार्च, 1967 को रेडियो प्रकाशनों का सामान्य तुलन-पत्र

देयताएं	1965-66 रुपए	1966-67 रुपए	परिसम्पत्तियां	1965-66 रुपए	1966-67 रुपए
सरकारी पूंजी . . .	57,93,253	66,20,834	राजस्व से खरीदी गई परिसम्पत्तियां .	13,126	11,766
फुटकर लेनदार	7,00,556	8,03,121	हाथ भंडार . . .	2,47,203	5,52,189
प्रतिपार्श्व नकद प्रतिभूति जमा . .	8,000	—	फुटकर देनदार . . .	1,68,492	2,80,556
पेशगी में प्राप्त आय . . .	—	14,896	पूर्व-दत्त व्यय . . .	355	3,080
अनुन्मुक्त देयता					
लेखापरीक्षा शुल्क . . .	66,299	95,827	प्रतिपार्श्व जमा राशियां . .	8,000	—
			हाथ रोकड़	1,520	1,468
			1934-35 से 1966-67 तक आय से अधिक व्यय .	61,29,412	66,85,619
जोड़ .	65,68,108	75,34,678	जोड़ .	65,68,108	75,34,678

आकाशवाणी

31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रेडियो प्रकाशनों का आय और व्यय लेखा

नामे राशियां			जमा राशियां		
व्यय	1965-66 रुपए	1966-67 रुपए	आय	1965-66 रुपए	1966-67 रुपए
निम्नलिखित पर :–			निम्नलिखित से :–		
वेतन, भत्ते और पेंशन अंशदान	2,92,756	3,17,930	चन्दे	1,09,264	1,05,499
मुद्रण, लेखन सामग्री, ब्लाक व कार्टून आदि	10,86,866	11,82,116	विज्ञापन	3,60,463	3,92,944
विविध व्यय	1,64,177	1,72,065	बिक्री	9,97,266	10,17,297
बिक्री पर कमीशन और विज्ञापन	2,09,447	3,32,165	विविध प्राप्तियां	9,622	8,366
अप्राप्य ऋण	1,581	50	आय से अधिक व्यय	3,35,238	5,56,212
पूंजी पर ब्याज	6,452	9,759			
लेखा-परीक्षा शुल्क	16,072	29,528			
मुख्यालय प्रभार	31,816	33,861			
मूल्यह्रास	2,686	2,844			
जोड़	18,11,853	20,80,318	जोड़	18,11,853	20,80,318

M/S382AGCR—1,050—27-5-71—GIPS

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
8	1	शीष	शीर्ष
12	पाद टिप्पणी की पंक्ति 1	'राजस्व	राजस्व
14	6	स्त्रोतों	स्रोतों
18	1	स्त्रोतों	स्रोतों
	3	स्त्रोत	स्रोत
23	3	गरंटियां	गारंटियां
32	28	अनदान	अनुदान
33	4	भाशाओं	भाषाओं
36	12	अनुययुक्त	अनुपयुक्त
38	6	पर्वानुमति	पूर्वानुमति
42	9	मैं	में
52	1	जहाज रानी	जहाजरानी
56	9	प्रति यूनि	प्रति यूनिट
62	2	की	कि
74	6	बेचा	बेच
79	1	गह	गृह
83	3	वित	वित्त
86	9	स्रोतों	स्रोतों
	29		
88	24	कर	करें
96	2	विव्रीय	वित्तीय
101	5	क	के
104	17	परिवाहन	परिवहन
112	21	फ़ार्मले	फ़ार्मूले
116	15	क	के
125	11	अंग्रेज	अंग्रेजी
131	1	आधीन	अधीन
133	20	निदशक	निदेशक
157	2	वष	वर्ष

शुद्धि-पत्र II

केन्द्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1969-70

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
12	26	जानाबिल	खजाना बिल
33	29	रारक	करार
38	आखिरीपंक्ति	चाल	चालू
41	32	पटंट	पट्टे
44	30	इंजनों न	इंजनों ने
45	11	लाचों	लांचो
50	10	किलोवाट	किलोवोल्ट
50	27	उच्च तारों	उच्च तनन जस्ताचढ़ी इस्पात तारों
53	नीचे से चौथी	विसिस्ट	वसिस्ट
54	8	विसिस्ट	वसिस्ट
60	17	स्थिति	स्थित
65	1	विशिष्टि	विशिष्ट
66	3	क्यबिक	क्यूबिक
81	27	को	थे
86	20, 30	ई०	आई०
94	9	स्टारों	स्टोरों
96	5	निविल	निवल
108	3	जनित	जनित्र
115	7	248	248 में
115	नीचे से चौथी	सकता	सकता था
117	नीचे से पांचवी	32 वीं	82 वीं
118	7	पालइट	पाइलट
118	17,18	व्यवस्था	व्यवसाय
141	14 और 21	उत्दनन	उत्खनन
157	12	ौर	और
160	8	कार्ू न	कार्टून

आह्वानांक 336.54
(Call No.) B469

अवाप्ति सं०
(Accn. No.)
120039

लेखक
Author भारत के नियंत्रक महालेखा

शीर्षक
Title परीक्षक की रिपोर्ट 1969-70

निकासी तिथि Issued on	लेने वाले के हस्ताक्षर Borrower's Signature	वापसी तिथि Returned on